हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 मार्च, 1984

खण्ड 1, अंक 12

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 27 मार्च, 1984

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(12)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(12)23
अध्यक्ष द्वारा घोशणा– एम0एल0ए0 फ्लैटस की अलाटमैंट संबंधी	(12)27
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(12)27
अध्यक्ष द्वारा रूलिंग– श्री रो ान आर्य, एम0एल0ए0 की अभिकथित गिरफ्तारी के बारे में उठाए गए ब्रीच आफ प्रिविलेज प्र न संबंधी	(12)32
विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(12)35
बिल्ज (इन्ट्रोडयूस्ट सदन की अनुमति से) (1) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1984	(12)36

(2) दि फरीदाबाद कम्पलैक्अस (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) फीज वैलिडे ान बिल, 1984	(12)38
(3) दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड (अमैंडमैंट) बिल 1984	(12)41
(4) दि हरियाणा अर्बन डिवल्पमैंट अथौरिटी (अमैंडमैंट) बिल 1984	(12)41
(5) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुले ान आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 1984	(12)44
(6) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली	(12)44
(7) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिज (अमैंडमैंट) बिल 1984	(12)45
(8) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1984	(12)46
(9) दि हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एण्ड वैलिडे ान) बिल 1984	(12)47
वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान	(12)48
वैयक्तिक स्पश्टीकरण–	(12)58

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री द्वारा	
वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)59
बैठक का समय बढ़ाना	(12)81
वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)81
बैठक का समय बढ़ाना	(12)86
वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)86
बैठक का समय बढ़ाना	(12)88
वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(12)89

हरियाणा विधान सभा,

मंगलवार, 27 मार्च, 1984

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Central Investment Subsidy to Industries

***532 Prof. Sampat Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state the names of the industries located in the Centrally Notified Backward Areas in the State disbursed Central Investment Subsidy of more than rupees five lakhs during the years 1979-80, 1980-81, 1981-82 and 1982-83 ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया): वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

वर्श	क्रमांक	औद्योगिक इकाई का नाम
1979–80	1	मैसर्ज सहगल पेपर लिमिटिड, धारूहेड़ा, महेन्द्रगढ़
	2	मैसर्ज राजेन्द्रा आयल मिल्ज, हिसार
1980–81	1	मैसर्ज हरियाणा एग्रो कैटल फीड प्लांट, जीन्द
	2	मैसर्ज टेकनोलोजीकल इंस्टीच्यूट आफ टैक्सटाईल, भिवानी
	3	मैसर्ज ईस्ट इण्डिया सैन्टैक्स लिमिटिड, धारूहेड़ा
	4	मैसर्ज हिन्दुस्तान गम एण्ड कैमिकल्ज लिमिटिड, भिवानी
	5	मैसर्ज भिवानी टैक्सटाईल मिल्ज, भिवानी
	6	मैसर्ज सैन्यूरी टयूब्ज, भिवानी
1981–82	1	मैसर्ज धारूहेड़ा कैमीकल लिमिटिड, धारूहेड़ा
	2	मैसर्ज राम प्रताप बांसल, टोहाना
	3	मैसर्ज रामा फाईबर्ज लिमिटिड, गांव बामला, भिवानी

	4	मैसर्ज मल्टीटेक इण्टरनै ानल लिमिटिड, धारूहेड़ा
	5	मैसर्ज जे0बी0 पेपर्ज मिल्ज, प्राईवेट लिमिटिड, धारूहेड़ा
	6	मैसर्ज प ुपति स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज लि0 धारूहेड़ा
	7	मैसर्ज के0सी0 टैक्सटाईलज लिमिटिड, पांडू पिन्डारा जीन्द
	8	मैसर्ज ओम स्टील टयूब्ज लिमिटिड, धारूहेड़ा
1982–83	1	मैसर्ज प्रका ा पाईपस एण्ड इण्डस्ट्रहीज गांव मईयर, जिला हिसार

प्रो0 सम्पति सिंह : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदया ने एक लिस्ट पढी है कि इन इन इन्डस्ट्रीज को सबसिडी दी गई है। मैंने यह सवाल उनसे पूछा था कि कितने ऐसे केसिज हैं जिनको 5 लाख रूपये से ऊपर सबसिडी दी गई हैं। इस बारे में इन्होंने 17 इंडस्ट्रीज की एक लिस्ट यहां हाउस में रख दी है। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि इनको ऐक्चुअल कितनी कितनी रा ि ा सबसिडी के रूप में दी गयी और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो सबसिडी लेने के बाद बन्द हो गई है ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, इन उद्योगों को कितनी कितनी रा ि ा स्वीकृत की गयी तथा कितनी वितरित की गयी, वह सूचना निम्न प्रकार है:

इकाई का नाम	स्वीकृत की गई रा ि ा	वितरित की गई रा ि ा
मै0 सहगल पेपर लि0 धारूहेड़ा	15 लाख रूपये	15 लाख रूपये
मै0 राजेन्द्रा आयल मिल्ज, हिसार	5 लाख 73 हजार 686 रूपये	5 लाख 30 हजार 430 रूपये
मै0 हरियाणा एग्रो कैटल फीड प्लांट, जीन्द	5 लाख 66 हजार 196 रूपये	5 लाख 66 हजार 196 रूपये
मै0 टैक्नोलोजिकल इन्स्टीच्यूट आफ टैक्सटाईल, भिवानी	15 लाख रूपये	15 लाख रूपये
मै0 ईस्ट इंडिया सैंटैक्स लि0 धारूहेड़ा	15 लाख रूपये	15 लाख रूपये
मै0 हिन्दुस्तान गम एण्ड कैमीकल्ज लि0 भिवानी	12 लाख 77 हजार 264 रूपये	10 लाख 61 हजार 545 रूपये
मै0 भिवानी टैक्सटाईल मिल्ज, भिवानी	15 लाख रूपये	15 लाख रूपये
मै0 सैन्चुयरीटयूबस, भिवानी	11 लाख 97 हजार 737 रूपये	11 लाख 97 हजार 737 रूपये
मै0 धारूहेड़ा कैमिकल लि0	14 लाख 44 हजार रूपये	14 लाख 44 हजार रूपये

धारूहेड़ा		
मै0 राम प्रताप बंसल, टोहाना (हिसार)	5 लाख 74 हजार 693 रूपये	5 लाख 74 हजार 693 रूपये
मै0 मल्टीटेक अन्तर्राश्ट्रीय लि0 धारूहेड़ा	15 लाख रूपये	12 लाख 75 हजार रूपये
मै0 जे0बी0 पेपर्ज, मिल्ज प्रा0 लि0 धारूहेड़ा	14 लाख 79 हजार रूपये	14 लाख 79 हजार रूपये
मै0 प ुपति स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्ज, लि0 गांव कापड़ीवास (महेन्द्रगढ़)	15 लाख रूपये	15 लाख रूपये
मै0 के0सी0 टैक्सटाईलज लि0 गांव पांडू पिंडारा, जींद	15 लाख रूपये	15 लाख रूपये
मै0 ओम स्टील टयूब्ज, लि0 धारूहेड़ा	9 लाख 81 हजार 425 रूपये	9 लाख 81 हजार 425 रूपये
मै0 प्रका ा पाईपस एवं उद्योग गांव मईयर (हिसार)	15 लाख रूपये	9 लाख रूपये
मै0 रामा फाईबर्ज लि0, गांव बामला (भिवानी)	15 लाख रूपये	15 लाख रूपये

जहां तक इनके दूसरे सवाल का संबंध है, उसके बारे मैं बताना चाहती हूं कि सहगल पेपर मिल बंद हो चुकी हैं

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय अभी मंत्री महोदया ने यह बताया कि एक मिल बंद हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से उनसे यह जानना चाहता हूं कि टैक्सटाइल मिल, भिवानी की क्या स्थिति है ? जिस वक्त इस मिल को सबसिडी दी गयी थी, उस वक्त वहां कितने मजदूर काम कर रहे थे और कितनी यूनिटस वहां पर काम कर रही थीं।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः अधयक्षा महोदय, वैसे तो ये इसका अलग से नोटिस देते तो उचित था। फिर भी मैं इनको बताना चाहती हूं कि जो फैक्ट्रियां पहले भाुरू की गई थीं, उनमें से कुछ बंद हो चुकी हैं जिनको भारत सरकार और हमने सबसिडी दी थी, उनमें से सिवाय सहगल पेपर मिल के सभी यूं की चूं चालू हैं।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदया ने अपने जवाब में बताया कि सरकार ने इंडस्ट्री को सबसिडी दी है। इसके लिये सरकार के कुछ नार्मज भी होते हैं कि अगर मिल की प्रोडक ान कम हो जाये और मिल की लेबर को घटा दिया जाए यानी अगर नार्मज के अनुसार भार्ते पूरी न होती हों तो सबसिडी नहीं दी जाती। मैं मंत्री महोदया को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि टी0अई0 टी0 मिल भिवानी को जिस वक्त सबसिडी दी गई उस वक्त वह मिल सरकार नार्मज को पूरा नहीं करती थी। क्या मंत्री महोदया इस बात की जांच करवाएंगी कि यह

सबसिडी गलत दी गयी है और क्या इसको वापिस लेने पर विचार किया जाएगा ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अध्यक्ष महोदय, सबसिडी देने के लिये एक कमेटी बनी हुई है। उसी कमेटी ने ही सब देख रेख की है और उसके बाद ही हमने सबसिडी दी है। सबसिडी तब दी जाती है जबकि सभी नार्मज वगैरह की पूर्णतया जांच पडताल कर ली जाए। मेरी नाचलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पर मिल बंद हुई है। अगर कोई ऐसी बात है तो भाई सुरेन्द्र जी मुझे लिखकर दें, मैं उसकी व्यक्ति रूप से जांच करवाऊंगी।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान में भी यह बात आ चुकी है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि बहिन जी को और किस तरह के नोटिस चाहिये। पता नहीं इनको कौन सा ऐसा तरीका है जिसे ये अपनाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, सबसिडभ देने में सरकार की तरफ से गलत तरीके इस्तेमाल किये गये हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री महोदय के नोटिस में कोई बात हो ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि भिवानी की फैक्टरी में कुछ लेबर कम की गई है लेकिन जो सबसिडी देते हैं, उसके कुछ न कुछ आधार होते हैं। वहां पर जितने यूनिटस चलने चाहियें, वे चल रहे हैं। जब सबसिडी दी गई उस वक्त वह फैक्टरी कंडी ांज पूरी करती

होगी। अगर भाई सुरेन्द्र जी को किसी प्रकार का कोई एतराज है तो वे कृपया लिखकर हमें भिजवा दें, हम जांच करवा लेंगे। जब सबसिडी देते हैं तो जो कमेटी बनी होती है, उसकी रिकमैन्डे ान पर ही देते हैं। भारत सरकार भी इस बात की जांच करती है कि आया वह फैक्टरी ठीक ढंग से काम कर रही है और जो पैसा सबसिडी के तौर पर दिया गया है, आया वह सही मायनों में वहीं खर्च किया जा रहा है कि नहीं ? इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसिडी दी जाती है। कायदे के मुताबिक जो सभी कंडी ान्ज को पूरा करता हो, उसको सबसिडी दी जाती है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि जो मै0 ईस्ट इंडिया सैंटैक्स लिमिटिड, धारूहेड़ा और मैं0 धारूहेड़ा कैमीकल लिमिटिड, धारूहेड़ा को क्रम ज्ञः 15 लाख और 14 लाख 44 हजार रूपये की रा ि ा सबसिडी के तौर पर दी गयी है, इन कम्पनियों के पार्टनर्ज कौन कौन से हैं ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़ियाः स्पीकर सर, आफ हैन्ड यह इन्फर्मे ान मैं इनको कैसे बता सकती हूं।

डा0 भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदया ने बताया कि सहगल पेपर मिल बंद हो गया है। उसको 1979–80 में सबसिडी दी गई थी। मैं यह जाना चाहता हूं कि यह

मिल कब बंद हुआ और उससे यह रकम रियलाइज करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हुकम द्वारा यह कम्पनी बाइन्ड अप कर दी गई। यह सबसिडी हरियाणा सरकार की नहीं है बल्कि भारत सरकार की आई0एफ0सी0आई0 की हैं इसे रियलाइज तो वही करेंगे।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि सहगल पेपर मिल को 15 लाख रूपये सबसिडी दी गई। इस मिल की तरफ बिजली बोर्ड का भी लाखों रूपया बकाया है और हरियाणा फाइनैंि ायल कार्पोरे ान का भी पैसा बकाया है। क्या कोई ऐसा लिंग नहीं बनाया जाता कि सबसिडी देते वक्त गवर्नमैंट डयूज वसूल किए जाएं।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, इस मिल का केस हाई कोर्ट में चला हुआ है। मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूं।

Maintenance of Mortality Funds by the Haryana Dairy Development Cooperative Federation

***592. Ch. Balvir Singh Grewal:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether any morality funds is being maintained by the Haryana Dairy Development Cooperative Federation for the payment of compensation to the farmers upon the death of their milch cattle; if so, the total amount available in the said fund at present; and

(b) the number of deaths of milch cattle reported to the Federation since its inception together with the total amount of compensation; if any, paid to the affected farmers to date ?

Cooperation and Dairy Development Minister (Ch. Birinder Singh):

(a) Yes. The total amount available in the cattle mortality fund as on 31st January, 1984 is Rs. 31.94 lacs.

(b) The number of deaths of milch cattle reported together with the total amount of compensation paid to the beneficiaries is as under :-

Year	No. of deaths of milch cattle reported to the Federation	Copensation paid Rs.
1974-75	30	31119-32
1975-76	147	118326.05
1976-77	108	83001.44
1977-78	124	82273.83
1978-79	162	194548.48

1979-80	136	169412.22
1980-81	183	246416.83
1981-82	42	
1982-83	26	31455.87
1983-84	3	
Total	961	956554.04

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः क्या मंत्री जी बताएंगे कि मिलच कैटल की डैथ की रिपोर्ट कितने समय के बाद मांगते रहते हैं ? दूसरे जो 1981–82 में 42 मिल्च कैटल मरे हैं। इनको कम्पनसे ान न देने का क्या कारण है और यह कब तक दे दिया जाएगा ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय,जहां तक रिपोर्ट की बात है। रिपोर्ट तो जिसका प ाु मरता है उसे ही एक फार्म भर कर भेजनी होता हैं उसके बाद फैडरे ान लैवल पर वह रिपोर्ट कंसिडर होती है। दूसरी बात जो 42 प ाुओं की डैथ के कम्पनसे ान के बारे में है इस संबंध में कमेटी की मिटिंग्ज होती रहती हैं। यह जो 42 प ाुओं की डैथ हुई यह भाायद 1981–82 के लास्ट क्वाट्टर में हुई थी। इसको अगले क्वार्टर में कंसिडर किया जाएगा।

श्री हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि 961 प ा जो मरे हैं। उनको 956554.04 रूपये कम्पनसे ान दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मरे हुए प ाओं की सरकार ने क्या यूटिलिटी की है ?

(इस प्र नर का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कंवल सिंह: मंत्री जी ने बताया कि 961 प ा मरे हैं और उनको कम्पनसे ान भी दिया गया हैं क्या यह 961 प ाओं का कम्पनसे ान है या इनमें से कुछ केस रिजैक्ट भी हुए हैं ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, फैडरे ान को कुल 961 प ाओं के मरने की रिपोर्ट मिली। इसमें से 29 केस अभी पैंडिंग हैं। बाकी 932 केस कंसिडर हुए जिनमें से 179 केस रिजैक्ट हुए। इसलिए यह कम्पनसे ान 753 प ाओं का है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, अभी हुड्डा साहब ने सवाल किया था कि मरे हुए प ाओं की यूटिलिटी सरकार ने क्या की। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या प ा मरने के बाद उनकी खाल उतारने का ठेका हुड्डा साहब को दिया जाएगा ? (हंसी)

श्री हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, खाल उतारना कोई बुरा काम नहीं है। अगर भले राम जी अपने काम को छोड़ना

चाहते हैं तो इस काम को मैं लेने के लिए तैयार हूं। काम करना कोई बुरी बात नहीं है। (हंसी)

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर साहब, अगर दुधारू प ा कुछ अरसा दूध देने के बाद मर जाए तो क्या उसको उतना ही कम्पनसे ान दिया जाता है जितने में वह इन्- योर्ड होता है या कम दिया जाता है ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्षम महोदय, दुधारू प ा अगर एक साल के बाद मर जाता है तो उसका कम्पनसे ान 75 परसैंट दिया जाता है; अगर दो साल के बाद मर जाता है तो 60 परसैंट दिया जाता है और अगर तीन साल के बाद मर जाता है तो 50 परसैंट कम्पनसे ान दिया जाता है।

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर, अगर दूध देने वाला प ा 6 महीने के बाद मर जाता है तो उसे पूरा कम्पनसे ान नहीं दिया जाता है। क्या यह बात मंत्री जी के नोटिस में है ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अगर एक साल के अंदर अंदर डैथ हो जाती है तो उसका उतना ही पैसा मिलेगा जो कमेटी फैसला करेगी। एक साल से तीन साल के पीरियड का नार्म मैंने पहले ही बता दिया हैं

श्री राम बिला ा भार्माः अध्यक्ष महादेय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दुधारू प ा के मरने पर कम्पने ासन दिया जाता है उसकी क्या प्रियारिटीज हैं। जो रिपार्ट आती है

उनमें से किन किन केसिज को छांटते हैं। यानी जो लोन लेकर प ु खरीदते हैं उन्हीं को कम्पनसे ान देते हैं या कोई और क्राइटेरिया है ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, ये तीन किस्म की स्कीमें हैं। ऐ तो मिल्क कमि ानर के यहां से स्कीम चलती है और दूसरी एच0एस0एल0डी0बी0 की स्कीम है। वहां पर इन् योरैंस होती है। तीसरे, जो गरीब आदमी तीन हजार रूपये मिनी बैंक से लोन लेता है उसमें मौरटैलिटी फंड का 3 परसैंट काट लिया जाता है और वह पेसा हरको बैंक में जमा हो जाता है। यानी यह पैसा उस स्कीम के तहत मौरटैलिटी फंड में जमाच हो जाता है।

चौधरी ओम प्रका ाः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में बताया है कि जो 1981–82 में 42 मवे ाी मरे थे और 1983–84 में तीन मवे ाी मरे थे उनका मुआवजा नहीं दिया गया और 1982–83 में जो 26 मवे ाी मरे थे उनका दे दिया गया। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंा कि 1981–82 में 42 और 1983–84 में जो 3 मवे ाी मरे थे उनका मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, इसक क्या कारण है ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया था कि कुल 932 केसिज कंसीडर किए गये इनमें से 753 केसिज क्लीयर कर दिये गये और उनको मुआवजा भी दे दिया गया बाकी 179 केस रिजैक्ट कर दिए गए। इसके अलावा इस समय

फेडरे ान के पास 29 केसिज पैंडिग हैं, उनका सभी फैसला नहीं हुआ है। बाकी सभी केसिज का फैसला हो गया है।

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि जो दुधारू प ाु साल या 6 महीने में मर जाता है उसका मुआवजा दिया जाता है। मैं मूंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यदि किसी दुधारू प ाु का बच्चा (काटडू, बाछडू) मर जाता है तो क्या उसका मुआवजा भी दिया जाता है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य की बात ठीक है कि यदि दुधारू प ाु का बच्चा मर जाए तो क्या उसका मुआवजा दिया जाता है। यह भी प्रावधान है कि अगर किसी दुधारू प ाु का बच्चा मर जाने से प ाु ड्राई हो जाए तो उसका पूरा कम्पनसे ान दिया जाता है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि इनके पास जो 22 लाख रूपया पडा है, उसका किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन्होंने जितने दुधारू प ाुओं के मरने का मुआवजा दिया है, उनमें से कितने ऐसे केसिज हैं जिनको 75 परसैंट मुआवजा दिया गया हैं

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, 22 लाख नहीं इस समय हमारे पास 31 लाख 94 हजार रूपए पडे हैं। यह पैसा 9 लाख 56 हजार 554 रूपये की पेमैंट के बाद बाकी पडा है। इसके

अलावा इन्होंने यह पूछा है कि ऐसे कितने केसिज हैं जिनको 75 परसैंट मुआवजा दिया गया है इस बारे में इस समय मेरे पास फिगर्ज नहीं है। वैंसे इसका कमेटी फैसला करती है और इसके लिए नार्मज बने हुए हैं। वह मैंने पहले ही बता दिए हैं

चौधरी साहब सिंह सैनीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मुआवजा देने का क्या क्राइटेरिया एक्सैप्ट किया जाता है और जो 179 केस रिजैक्ट किए गए हैं उनको रिजैक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया एक्सैप्ट किया गया था ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी का दुधारू प ा मर जाता है वह फैडरे ान के पास रिपोर्ट करता है और जो प ा इन्- योर्ड होता है उसका बाकायदा पोस्टमार्टम करवाया जाता है कि वह प ा किस डिजीज से मरा है। यदि फैडरे ान को यह पता लग जाए कि प ा इस डिजीज से मरा है तो पोस्टमार्टम की रिपोट्र को भी फैडरे ान की तरफ से एग्जम्पट कर दिया जाता है और उसका मुआवजा दे दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि 179 केस किस क्राइटेरिया पर रिजैक्ट किए गए हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि इस बारे में कुछ रूल्ज बने हुए हैं जिसके तहत कमेटी फैसलीा करती है। उन रूल्ज में जो इम्पोर्टैंट रूल है वह मैं आपको बता देता हूं। जिस दुधारू प ा का दूध मिल्क प्लांट को 8 महीने जो लेक्टे ान पीरियड है, दिया जाता है उवसके लिए फेडरे ान ने यह रूल बनाया हुआ है

कि पहले चार महीने में जो आदमी उस दुधारू प ा का दूध 140 रूपए पर महीने के हिसाब से और पांचवें और छठे महीने में 120 रूपए के हिसाब से और सातवें और आठवें महीने में 100 रूपए के हिसाबे से देता है यानी आठ महीने में 560, 240 और 200 रूपए का दूध मिल्क प्लांट को बेचे। उसके बाचद अगर उसका प ा मर जाए तो उसका पूरा कम्पनसे ान दिया जाता है। इन केसिज का रिजैक्ट होने का यह भी कारण हो सकता है कि उन्होंने मिल्क प्लांट को दूध न बेचा हो।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिस दुधारू प ा का थान सूख जाता है या चढ जाता है क्या उसका भी मुआवजा दिया जाता है क्योंकि ऐसे कई केसिज हमारे नोटिस में आते हैं ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदन, मैंने अभी बताया था कि यदि कोई दुधारू प ा उसका बच्चा मर जाने के कारण ड्राई हो जाता है तो उसका मुआवजा दिया जाता है। अगर थन सूखन जाने से प ा ड्राई हो जाए तो उसकाच मुआवजा भी मिलता है।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, किसानों ने जो मिल्क प्लांट को दूध बेचा था उनका लाखों रूपया फैडरे ान की तरफ बकाया पडा है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना

चाहूंगा कि इनके पास जो पैसा बकाया पडा है क्या वह पैसा किसानों को इनसैंटिव देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ?

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह मौरटेलिटी फण्ड का पैसा है और यह इसी काम के लिए दिया जा सकता है।

Veterinary Hospital for Village Bahrana, District Rohtak

***671. Ch. Om Parkash:** Will the Minister of State for Animal Husbandary be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Veterinary Hospital in village Barhana of Rohtak district; and

(b) if so, the time by which the said hospital is likely to be opened ?

प ा पालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न नहीं उठता।

चौधरी ओम प्रका ाः स्पीकर साहब, बरहाना गांव की 10 हजार की आबादी है और इसके नजदीक छोछी और गुमाना दो बडे बडे गांव हैं। इन गांवों के नजदीक कोई वैटर्नरी हस्पताल नहीं है। पिछले दिनों जब फल्ड आया था, उस समय मेरी कांस्टीच्यूंएसी के 30 गांव फल्ड की लपेट में आए थे जिनमें ये

गावं भी भाामिल हैं मैं आपको द्वारा राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो गांव बाढ से प्रभावित हो, जिसके अंदर कोई बैटर्नरी हास्पीटल ने खोला गया हो और उस गांव की 10 हजार की आबादी भी है, क्या वहां पर वैटर्नरी हास्पीटल खोलने के लिए सरकार की तरफ से अ योरेंस दी जाएगी।

चौधरी लाल सिंहः इस बारे में सरकार विचार करेगी।

चौधरी साहब सिंह सैनीः अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री जी ने जवाब के पार्ट बी में कहा है कि क्वै चन डज नाट अराइज। इनका यह लिखा हमें बहुत अखरता है। अब राज्य मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि इस बारे में सरकार विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए भी हम लोगो ंने यह कहा था कि जहाचं पर जरूरत है वहां पर वैटर्नरी हास्पीटल नहीं खोले गए हैं उस समय इन्होंने यह कहा था कि आपने हमें पहले इस बारे में बताया ही नहीं था। जब इनको बताया जाता है कि तो यह कह देतेह हैं कि हम विचार कर लेंगें। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वैटर्नरी होस्पीटल खोलने के लिए क्या क्राइटेरिया बनाया हुआ है और बरहाना गांव में वैटर्नरी होस्पीटल क्यों नहीं खोला गया।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, जिस जगह भी गांव के लोग प ा पालन विभाग को जमीन दे देते हैं वहां पर हस्पताल खोलने के लिए सरकार छानबीन भाुरू कर देती है।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, अभी राज्य मंत्री जी ने यह बताया कि यदि गांव वाले हस्पताल खोलने के लिए विभाग को जमीन दे देते हैं तो वहां पर हस्पताल खोल दिया जाता है। मैं मंत्री जी से यह जाना चाहता हूं कि पहले जो वैटर्नरी हास्पीटल खोले गये हैं क्या वे सारे इसी आधार पर खोल गये कि उन हस्पतालों के लिए गांव वालों ने विभाग को पहले जमीन दी है ?

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, आज तक मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि बिना जमीन के हस्पताल खोल दिया गया हो।

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब मैं राज्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब ये रोहतक आयेंगे तो क्या उस समय अपने साथ एक मवेि ायौं के लिए हस्पताल लाएंगे क्योंकि जब पिछली दफा राज्य मंत्री जी मेरे गांव में गये थे, उस समय ये लोगों के सामने यह कह कर आये थे कि आपको पीने के पानी की सुविधा के लिए वाटर सप्लाई स्कीम दी जाएगी। लोगों को वह पानी तो नहीं मिला क्योंकि इनके पास से पानी का महकमा खुस गय। अब इनके पास प ाुओं के हस्पतालों का महकमा है। इसलिए मैं इनसे यही जानना चाहता हूं कि जब ये मेरे गांव में आएंगे तो क्या वहां के लिए प ाुओं का हस्पताल लाएंगे ?

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने यह कहा है कि मैं इनके गांव में गया था और मैं वहां पर लोगों को पीने के

पानी की सुविधा देकर आया था। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जब मैं इनके गांव में गया उस समय ये गांव में नहीं थे, पता नही कहां गये हुए थे। मैंनें उस समय यह कहा था कि यहां के कुएं में इंजन लगवा देते हैं लेकिन गांव वाले नहीं माने। इसके अलावा इन्होंने अपने गांव में हस्पताल खोलने की बात पूछी हैं इस बारे में मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये आज तक इस बारे में मेरे से नहीं मिले हैं। मैं इनको कहता हूं कि ये मेरे कमरे में आकर मेरे साथ बात करें, उस पर विचार कर लेंगे।

श्रीमती बसंती देवीः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि यदि गांव वाले हस्पताल बनाने के लिए जमीन दे देते हैं, तो क्या वहां पर बिल्डिंग सरकार द्वारा बनाई जाती है या गांव वाले अपने आप बिल्डिंग बनवाते हैं ?

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, बिल्डिंग सरकार नहीं बनाती गांव की पंचायत बनवाती है। जब बिल्डिंग बन कर तैयार हो जाती है उसके बाद विभाग वाले वहां पर जाते हैं और सारी चीजों की छानबीन करके हस्पताल खोल देते हैं। गावं वालों को हस्पताल के लिए सरकार की तरफ से 20 हजार रूपये की ग्रांट दी जाती है। वह भी तब दी जाती है जब गांव वाले कुछ करें।

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा राज्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे हल्के असंध में

काफी ऐसे बडे बडे गांव हैं जिनमें वैटर्नरी होस्पीटल नहीं हैं। क्या वहां पर वैटर्नरी होस्पीटल खोलने का सरकार का विचार है।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने गांवों के नाम तो बताए ही नहीं है। ये मेरे से मिल लें और जिस गांव के लिए कहेंगे वहां पर हस्पताल खोलने के बारे में विचार कर लेंगे।

Terms and Conditions for Grants in aid to Schools and Colleges in the State

***572. Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) the criteria; if any, prescribed for allowing grants in aid to the recognised/private schools and colleges in the State togetherwith the method of determining the amount of such grants;

(b) whether any grants, are allowed to any such schools/colleges for the payment of salaries to the teachers working in such schools/colleges; if so, the basis thereof; and

(c) whether the grants to such private schools/colleges are also given for any purpose, other than for the payment of salaries; if so, details thereof ?

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra): (a), (b) & (c). Information is laid on the Table of the House.

INFORMATION

(a) The criteria and the method of determining the grant in aid to the private schools and private affiliated colleges are given below :-

School Side

Permanently recognised privately managed schools are allowed Kothari grant on the basis of cent per cnet difference of pre revised grades and revised grades made applicable to these institutions from time to time. Besides this, the mainteanance grant is also allowed to such Private schools on the basis of the deficit of their approved income and approved expenditure to the extent of the 75% provided 10% of the total expenditure is bonne by them from their own sources. Equipment Grant is also given to 10 Higher Secondary/High privately managed schools every year on the recommendation of the District Education Officers at the rate of Rs. 500/- per school.

College Side

(i)	Maintenance Grant:	Maintenance grant is given at the rate of 95% of the approved deficit of the college for the previous year. The deficit in this respect is calculated after deducting the income of the college from the appoved expenditure. The income of the college consistes of Tuition Fees, Late fees/fines and Adhoc grant and the expenditure

		consistes of salaries of the staff, C.P.F. (Management's share) and Gratuity
(ii)	Special Maintenance Grant:	Special Maintenance grant is given to all Girls colleges and colleges situated in Rural areas at the rate of Rs. 3000/- per annum.
(iii)	Development Grant:	This grant is given to the affilaited colleges for the development purposes on matching basis subject to the availability of funds. This grant is given after taking into consideration of the estimated cost and urgency of the project being undertaken by the college and availability of funds with the Government.
(iv)	Adhoc Grant:	This grant is sanctioned to private affiliated colleges on adhoc basis.
	(b) Yes.	In the case of privately managed schools Kothari grant is allowed on the basis of cent per cent different of pre revised grades and in the case of private affiliated colleges. Maintenance grant and Special maintenance grant are given for the payment of salaries. Adhoc grant can also be utilised for this purpose.

	(c) Yes.	In case of private schools maintenance grant of 75% of the deficit of approved income and approval expenditure and equipment grant of Rs. 500/- to 10 Higher Secondary/High Privately mananged schools every year are given. In case of colleges Development grant is given for purpose other than payment of salaries. Adhoc grant can also be utilised similarly.

10.00 बजे।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब जो सूचना हमें दी गयी है, उसमें छिपाने की ज्यादा कोि ा ा की गयी है और बताने की कम कोि ा ा की गयी है। कालेजिज और स्कूलों के डैंफिसट के लिए जो एक्सपैंडीचर कैलकुलेट करते हैं उसमें कालेज में तो पे के साथ ए0डी0ए0, हाउस रैंट, प्रोविडैंट फण्ड औरा मैडिकल ऐड आदि होती हैं लेकिन प्राईवेट स्कूलों में जो टीचर काम करते हैं उनकी खाली बेसिक पे कन्सिडर करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह मतभेद क्यों बरता जाता है। दूसरे प्राईवेट स्कूलों के टीचरों को डी0ए0 आदि क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, छिपाने की कोई बात नहीं है। स्कूल साइड में कोठारी ग्रांट और मैंटीनैंस ग्रांट दी जाती है और कालेजिज साइड को मैंटीनैंस ग्रांट, स्पे ाल मैंटीनैंस ग्रांट, डिवैल्पमैंट ग्रांट तथा एडहोक ग्रांट दी जाती हैं। इनका सवाल यह है कि कालेजिज को 95 परसैंट ग्रांट दी जाती है और स्कूलों को 75 परसैंट ग्रांट दी जाती है यह मतभेद क्यों है ? कोठारी कमी ान लागू होने से पहले 1980 तक प्राईवेट स्कूलों को केवल 25 परसैंट ग्रांट दी जाती थी। कोठारी कमी ान लागू होने के बाद 1.4.1980 से इन स्कूलों की ग्रांट 25 प्रति ात से बढा कर 75 प्रति ात कर दी गयी है। इनको 75 प्रति ात ग्रांट इसलिए दी जाती है क्योंकि कई स्कूलों की कंडी ान ठीक है। जहां तक ए0डी0ए0 की कि तें देने की बात है वह अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री मंगल सैनः अभी राज्य ि ाक्षा मंत्री महोदय ने फरमाया है कि कालेजिज को 95 परसैंट ग्रांट दी जाती है और स्कूलों को 75 परसैंट ग्रांट इसलिए दी जाती है क्योंकि कई स्कूलों की कंडी ान ठीक है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन दिनों प्राईवेट स्कूलों के टीचर्ज का डैपुटे ान इनसे मिला है और कोई मैमोरेन्डम आदि दिया है। क्या उस डैपुटे ान ने यह मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों को भी ग्रांट 95 परसैंट मिलनी चाहिए और पे भी ट्रेजरी से ही मिलनी चाहिए

? यदि टीचरों ने यह मांग की है तो फिर उसे मानने में हिच क्या है ?

श्री जगदी ा नेहराः यह ठीक बात है कि कालेजित की तरफ से और स्कूल साइड से एक डैपुटे ान मुख्य मंत्री जी से और मेरे से मिला था। उन्होंने अपने मैमोरैंडम में कई डिमांडज की हैं। स्कूल साइड की तरफ से जो मैंमोरैंडम मिला है उसमे उनकी मेन डिमांड यह थी कि ए0डी0ए0 आदि की कि तें जल्दी दी जाएं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह मांग अभी विचाराधीनद है और ट्रेजरी से पे देने वाली मांग भी विचाचराधीन है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, को ग्रांट देने के लिए तो लैक्चरार्ज की बेसिक पे के साथ डी0ए0 हाउस रैंट आदि भाामिल कर लेते हैं लेकिन स्कूलों को ग्रांट देने के लिए टीचर्ज की बेसिक पे के साथ यह खर्चा भाामिल नहीं किया जाता। मैं जानना चाहता हूं कि यह मतभदे क्यों बरता जाता है। क्या स्कूलों को भी उसी तरीके से ग्रांट दी जायेगी जिस तरीके से कालेजों के खर्चे को कैलकुलेट करके ग्रांट दी जाती है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रांट एक्चुअल डैफिसिट के आधार पर दी जाती है या और कोई तरीका है ?

श्री जगदी ा नेहराः इनके कहने का मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि प्राईवेट स्कूलों को जो 75

प्रति ात ग्रांट दी जाती है। उसकी ठीक ढंग से पेमैंट नहीं की जाती और यदि की जाती है तो उसका एक्चुअल खर्चा एकाउंट फार नहीं किया जाता। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि स्कूलों के मामलों में कोठारी अनुदान पूर्व वेतनमानों के भात प्रति ात अंतर अनुसार दिया जाता है। 75 प्रति ा ग्रांट के अंदर क्लास फोर एम्पलाइज का खर्चा और दूसरा खर्चा जो एजुके ान विभाग द्वारा एप्रूवड है दिया जात हैं लेकिन यह 75 प्रति ा ग्रांट भी इन स्कूलों को उसी समय दी जाती है जब उनका मिनिमम 10 परसैंट पैसा जमा हुआ हो।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने आ वासन दिया है कि प्राईवेट स्कूलो के टीचर्ज को डी0ए0 आदि की कि तें देने की बात सरकार के विचाराधीन है। स्पीकर साहब यह बात कई सालों से विचाराधीन है। नतीजा यह हो रहा है कि इस समय 14–15 डी0ए0 की कि तें बकाया पडीहैं लेकिन अभी तक इन कि तों की अदायी नहीं की गयी है। बहरहाल इस समय इन टीचरों को आधी पे मिलती है। मैं मंत्रीजी से आव वासन चाहूंगा कि क्या वे इन बकाया डी0ए0 की कि तों को इस साल देना भाुरू कर देंगें या नहीं ?

श्री जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, यह बात विचाराधीन हैं

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, जिस समय कोटाचरी कमी ान की रिकमैंडे ांज को लागू किया गया था, उस समय एक वि वास प्राईवेट स्कूलों में काचम करने वाले टीचर्ज को दिलाया गया था कि उनको सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के बराबर सुविधाए मिलैंगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार प्राईवेट स्कूलों के टीचर्ज को हाउस रेंट, मैडिकल ऐड और डी0ए0 की कि तैं देने पर विचार नहीं कर रही है ? मैं साथ ही साथ यह भी जानना चाहूंगा कि विचार करने के बाद ये सहूलियतें कब मुहैया की जाएंगी ?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले की बता चुका हूं कि कोठोरी कमी ान का रिकमैंडे ांन लागू होने से पहले इन स्कूलों को केवल 25 प्रति ात मैंटीनैंस ग्रांट दी जाती है। इस कमी ज्ञन की रिकमैंड ांज लागू होने के बाद ही इन स्कूलों को 1.4.1980 से 25 प्रति ात की बजाए 75 प्रति ात ग्रांट दी जाने लगी है। जहां तक इन्होंने पूछा है कि कया उनको हाउस रैंट, मैडिकल ऐड और डी0ए0 आदि की कि तें देने पर भी विचार किया जा रहा है। इस संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह मांग विचाराधीन है। जब भी फण्ड होंगे तो उनको यह अदायगी कर दी जाएगी।

सेठ राम दास धमीजाः अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट स्कूलों में जो टीचर काम करते हैं, उनको जितनी पे दी जाती है, उतनी पर हस्ताक्षर नहीं करवाये जाते। मेरे कहने का मतलब यह है कि

पैसे कुछ दिए जाते हैं और दस्तखत कुछ और पर करवाये जाते हैं। क्या सरकार इस तरफ ध्यान देकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री जगदी ा नेहराः यह तो इंडिविजुअल केस पर डिपैंड करता है। यह तो टीचर्ज को देखना चाहिए कि जितने पैसे उन्हें लेने चाहिएं वह क्यों नहीं लेते। लेकिन अगर ऐसी कोई बात सरकार के नोटिस में आती है तो सरकार उस पर उचित कार्यवाही करती है। पहलें ऐसे इंसटांस हुए थे। उस समय इन्कवायरी की गयी थी। जब ऐसी कोई ि ाकायत उचित पाई जाती है तो ऐसे स्कूलाउें की टेक ओवर कर लिया जाता है और कालेज साइड में सरकार एडिमिनिस्ट्रेटर अप्वायंट कर देती है। फिर भी यदि मैम्बर साहेबान कोई स्पैसिफिक बात बताएंगे तो उसकी इंक्वायरी की जायेगी।

चौधरी लीला कृश्णः स्पीकर साहब जो एनुअल ग्रांट इन स्कूलों और कालेजों को दी जाती है वह कागजों में तो 31 मार्च तक दी गई दिखायी जाती है लेकिन असल में बडी देर बाद उन तक यह ग्रांट पहुंच पाती है। इस साल भाायद 33 प्रति ात कट भी लगाया गया है जिससे अध्यापकों और लैकचरर्ज में असंतोश फैला हुआ है। क्या सरकार ऐसा इंतजाम करेगी कि जो कट लगाया जा रहा है, वह न लगाया जाये और ग्रांट भी 31 मार्च से पहले भेज दी जाये ?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, कालेज साइड में पिछले साल की कमी को पूरा करेन के लिए अप्रैल में 50 प्रति ात ग्रांट दे दी जाती है। इसके बाद अक्तूबर में 25 प्रति ात और उसके बाद बाकी की ग्रांट फरवरी में दे दी जाती है। कई दफा लेट होने के कारण ग्रांट मार्च में दी जाती है। इस साल सारी ग्रांट मार्च में ही कलीयर कर दी है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, सरकार ने ग्रांट देने का प्रावधान किया है लेकिन 95 परसैंट ग्रांट तब मिलेगी, जब मैनेजमैंट के पास पहले ही पेमैंट के लिए 95 परसैंट पैसा मौजूद हो। अगर मैनेजमैंट के पास 95 परसैंट पैसा नहीं है तो उसको सरकार की तरफ से 95 परसैंट ग्रांट नहीं दी जाती। इसका परिणाम यह होता है कि मैनेजमैंट वाले अपने रिकार्ड में बोगसा खर्चा दिखाते हैं, तब उसको 95 परसैंट ग्रांट मिलती है।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, आप ि ाक्षा मंत्री रह चुके हैं। आप जातने हैं कि उनका इन्टरपोल क्या है।

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, ये अपनी बात को खुद नहीं समझे या हमें समझा नहीं पाये हैं। (व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं दोबारा समझा देता हूं। सरकार 95 परसैंट ग्रांट उस मैनेजमैंट को देती है जिसके पास 95 परसैंट पैसा पहले ही एडवांस पेमैंट करने के लिए

मौजूद है। अगर किसी के पास 95 परसैंट पैसा पहले मौजूद न हो तो उसको कोई पेसा नहीं देते। (व्यवधान)

श्री जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, अभी तक इनकी बात मुझे क्लीइयर नहीं हुई है। मैं जो इसका निचौड़ निकाल सका हूं वह यह है कि यदि पहले से 95 परसैंट पैसा मैनेजमैंट के पास नहीं होगा तो ग्रांट नहीं दी जाती। इसका कारण आप समझ नहीं सके हैं। गवर्नमैंअ द्वारा जो ग्रांट दी जाती हे वह पिछले साल की दी जाती है। इस साल जो मैनेजमैंट ने पेमैंट करनी है, उसको तो उनके पास पैसे आलरेडी हैं। इस साल की जो कमी है वह अगले साल देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नमैंट किसी मैनेजमैंअ के पैसे नहीं देती। जिस मैनेजमैंट की माली हालत दुरूस्त होगी और वह अगले साल की पेमैंट कर सकेगी, उसी को अगले साल की ग्रांट दी जाती है।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, कई सालों से हाउस में यह सिलसिला चला आ रहा है कि प्राईवेट टीचर्ज को ट्रेजरी के थ्रू तन्खाह की पेमेंट की जाए लेकिन हर दफा से सरकार की तरफ से यही जवाब आचता है कि यह मामला अंडर कंसीड्रे ान है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कब तक यह माममला अंडर कंसीड्रे ान रहेगा। क्या सरकार कोई डैड लाईन, कोई स्पैसिफिक डेट फिक्स करेगी कि इस मामले का फैसला हो जाएगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह पालिसी मैटर है और हम इस पर विचार कर रहे हैं जो प्राईवेट स्कूल और कालिजों के अध्यापक/प्राध्यापक हैं उनकी तरफ से यह मांग है, वे कहते हैं कि उनको मैनेजमैंट की तरफ से तन्खाह समय पर नहीं मिलती। इन सारी बातों को सामने रख कर 35 परसैंट ग्रांट को बढा कर 95 परसैंट कर दिया है। अगर 100 फीसदी ग्रांट हम इनको दे देंतें तो इससे अच्छा है इनको टेक ओवर ही कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम विचार कर रह हैं कि इनको किसी न किसी प्रकार से ट्रैजरी से पेमैंट मिले। यह बात उनकी ठीक है कि प्राईवेट मैनेजमैंट उनको तन्खाह पूरी नहीं देती। इस बात पर हम विचार कर रहे हैं कि ताकि कोई न कोई रास्ता निकल सके। हम ऐसा रास्ता भी निकालने की कोि ा ा कर रहे हैं कि जसक मैनेजमैंअ को सरकार की तरफ से ग्रांट की भाक्ल में पैसे का जितना हिस्सा मिलता है उसको खजाने में जमा करवा दें और मैनेजमैंट भी जमा करवा दें। इस किस्म का कोई हल निकालने की कोि ा ा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया।

श्रीमती बसन्ती देवी: अध्यक्ष महोदय, सांपला में श्री चन्द मैमोरियल स्कूल है। इस स्कूल का 1981–82 का पैसा गवर्नमैंट के पास है। इसकी पेमैंट के लिए मैंने डी0पी0आई0 से पता किया था। उन्होंने कहा है कि 6500 रूपया नहीं मिलेगा, इसमें कुछ कट

लगेगी। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस कट का क्या कारण है ?

श्री जगदी ा नेहराः इसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यह एप्रूवड आइटम न हो। इसके इलावा आडिट ओक्जैक ान भी हो सकता है जिसकी वजह से पैसा रोका गया है।

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, सरकार स्कूलों और कालिजिज की एजुके ान में पूरी तरह से लिबरल तौर पर डैफिसिट को कवर कर रही है, लेकि आज एजुके ान सिस्टम हमारे लिए बडा भारी चिन्ता का विशय बना हुआ है। प्राईवेट इन्स्टीच्यू ंज में दी जाने वाली एजुके ान और गवर्नमैंट स्कूलो ंमें दी जाने वाली एजुके ान में बडा भारी फर्क है। इन दोनों प्रकार की ि ाक्षा में आपस में बडी भारी डिस्पैरिटी है। प्राईवेट इन्टीच्यू ंज वाले बच्चाों को इंगलि ा मीडियम से पढाते हैं और गवर्नमैंट स्कूलों के बच्चे इंगलि ा मीडियम से नहीं पढाये जाते। इस सिस्टम ये गवर्नमैंट स्कूलों मे ंपढे हुए बच्चों में एक इन्फीरियटी कम्पलैक्स पैदा हो चुका हे। क्या मंत्री महोदय सब स्कूलों में एक ही टाईम की एजुके ान देने के लिए और क्लास सिस्टम खत्म करने के मुद्दे पर विचार करेंग ?

श्री जगदी ा नेहराः सिस्टम को बदलना सरकार के विचाराधीन नही है और न ही सरकार बदलना चाहती है। इसका

कारण यह है कि कांस्टीच्यू ान आफ इंडिया के आर्टिकल 28, 29, 30 और ि ाडयूल्ड 7 के तहत बच्चों को एजुके ान देने में फ्रीडम है। इस तरह की एजुके ान हर व्यक्ति हर इंस्टीच्यू ान में दे सकता है।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, सरकार स्कूलों में, कालेजिज और वि वविद्यालयों में ि ाडयूल्ड कास्टस, ि ाडयूल्ड ट्राईब्ज और बैकवर्ड क्लासिज के लड़कों से पहले फीस जमा करवा दी जाती है और बाचद में गवर्नमैंट उनको वह पैसे देती है। जब उन्होंने एक दफा जमा करवा दी तो इससे साबित होता है कि वे गरीब बच्चे नहीं हैं। जो गरीब बच्चे फीस जमा नहीं करवाते तो उनको सरकार सावल के एंड में ग्रांट की भाकल में पैसे नहीं देती और इस अधिकार से वे वचित रह जाते हैं।

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, इन्होंनें इंडिविजुवल बैकवर्ड क्लासिज, ि ाडयूल्ड कास्ट के लड़कों को राहत देने की बात कही है। राहत देने के लिए बाकायदा प्रोवीजन है। बैकवर्ड और ि ाडयूलड कास्ट के लड़के लड़कियों को स्कालरि ाप वगैरह देने का प्रावधान रूल्ज में है और सरकार देती है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन स्कूलों/कालेजों को सराकार ग्रांट देती है, अगर उनकी मैनेजमैंट सरकार की हिदायतों के मुताबिक काम नहीं करती,

किसी मुलाजिम को लगाने या हटाचने की हिदायत पर अमल नहीं करती, क्या ऐसी मैनेजमैंट को सरकार ग्रांट देती रहती है या बंद कर देती है ?

श्री जगदी ा नेहराः जो मैनेजमैंटस सरपकार की हिदायतों के मुताबिक नहीं चलती, उनको ग्रांट देना बंद कर दते हैं।

डा0 भीम सिंह दहियाः स्पीकर महोदय, रोहतक भाहर में गौड़ ब्राह्मण कालेज है जिसमें मुलाजिमों को 14 महीने की तन्खाह नहीं मिली है और उस कालेज की 7 लाख रूपए की ग्रांट रूकी हुई है। पहले इसलिए रूकी थी क्योंकि वहां पर मिसमैनेजमैंट था, लेकिन 22 अगस्त 1983 को श्री राजीव गांधी आए और 24 अगस्त को सरकार ने उस कालेज में एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया। अब कालेज का एडमिनिस्ट्रे ान एक एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है तो इसकी ग्रांट अभी तक क्यों रिलीज नहीं की गई ?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, यह बात दुरूस्त है कि इस कालेज में मिसिमैनेजमैंट थी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया था। उसके बाद पिछले पीरियड का आडिट किया जा रहा था, सारा खाता चैक कर रहे थे। अब उनको ग्रांट दे दी गई है और कर्मचारियों को तन्खाह दे दी गई है। कुछ पैसा रह गया है उसके बारे में सैटलमैंट हो रही है। जब सैटलमैंट हो जाएगी तब दे दिया जाएगा। उनके फंड का कई सालों का झगडा

है। जब सारा आडिट हो जाएगा तो जितनी ग्रांट उनकी सरकार की तरफ डयू बनती है वह जरूर दे दी जाएगी।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उनके नोटिस में कुछ ऐसे स्कूल और कालेजिज हैं जहां फिरकाप्रस्ती या कम्युनल ढंग की ि ाक्षा दी जाती हो, उनकी लाईब्रेरवी में ऐसी किताबें हैं जो फिरकाप्रस्ती को बढ़ावा देती हैं। उनके सिलेबस में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गलत है या उनमें कुछ ऐसा ऐलीमैंअ हैं जिनके द्वारा बच्चों को गलत प्रकार की तालीम दी जाती है और उसी प्रकार का प्रचार किया जाता है जिससे फिरकाप्रस्ती बढ़ती है और जिस प्रकार के आज हालात हैं। इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं ? क्या सरकार इस प्रकाचर के सिलेबस को बदलने या ऐसे प्रचार को रोकने के लिए ऐसे स्कूल और कालेजिज की ग्रांट को बंद करने के लिए सोच विचार करेगी ?

श्री जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, डा0 ओम प्रका ा जी ने जो बात कही, इस तरह का कोई स्कूल या कालेज हरियाणा में नहीं है। यहां के सिलेबस में भी ऐसी कोई बात नहीं हैं। इन्होंने जो बात कही हैं यह इनका अपना ही व्यू है।

मास्टर राम सिंह: अध्यक्ष महोदय, हरिजन लड़कों को स्कूल और कालेजिज में जो स्टाइपैंड दिया जाता है। वह 6 महीने या एक साल के बाद दिया जाता है। उसे अगर हर महीने

दिया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा प्रबंध हो सकता है या नहीं ?

श्री जगदी । नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जो हर महीने दी जाने वाली चीज है वह हर महीने दी जाती है और जो साल के बाद दी जाने वाली चीज है वह साल के बाद दी जाती है। उदाहरण के तौर पर वर्दिया जो हैं वे साल के बाद दी जाती हैं जैसा जैसा प्रावधान है वैसा वैसा करते हैं।

Arrests in Police Stations at Fatehabad and Ratia

***622. Sh. Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any persons were arrested in the Police Stations of Fatehabad and Ratia, in district Hissar, during the perioad from 7th December, 1983 to 31st January, 1984; if so, the naemes and addresses of all such persons alongwith the nature of charges levelled against them; and

(b) whether any of the persons, out of those referred to in part (a) above, are still wanted in any of the cases, referred to in part (a) above; if so, the names of such persons ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हां, दिनांक 7.12.83 से 31.1.84 तक की अवधि में 289 व्यक्ति (फतेहाबाद – 178 और रतिया – 111) गिरफ्तार किये

गये थे। थाना फतेहाबाद और रतिया में गिरफ्तार किये गये 289 व्यक्तियों के विभिन्न अभियोग, उनके नाम व पते देने में जितना समय व श्रम लगेगा उसके मुकाबले में सम्भावित लाभ बहुत कम होगा।

(ख) इन 289 व्यक्तियों में से 288 व्यकित जमान पर रिहा किये गया थे और 1 व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है। इनमें से किसी भी व्यक्ति को दोश मुक्त (डिस्चार्ज) नहीं किया गया है।

श्री मंगल सैनः मुख्य मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में फरमाया कि हां, दिनांक 7.12.83 से 31.1.84 तक की अवधि में फतेहाबाद और रजिया के थान में 289 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। ब्रेक अप भी इसमें दिया हुआ है। मैंने उनसे यह जानकारी भी चाही थी कि उनके नाम और पते क्या हैं ? इनका अपना फैसला है कि उससे फायदा नहीं होने वाला। स्पीकर साहब, फायदा तो हमको होना था, इनको क्या फायदा होना है ? इसलिए मैं आपके द्वारा इनसे जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि जितनी भी ये गिरफ्तारियां चुनाव के दिनों में हुई और लोगों को टैराराइज करने के लिए की गई ? (विघ्न)

स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल के पार्ट बी में पूछा था—

"whether any of the persons, out of those referred to in part (a) above, are still wanted in any of the cases, referred to in part (a) above; if so, the names of such persons ?

इसका जवाब तो इन्होंने दे दिया है लेकिन मैं आपके द्वारा इनसे यह जानना चाहता हूं कि भाई मनी राम गोदारा जो विरोधी उम्मीदवार थे जो विरोधी दल के सांझे उम्मीदवार थे, उनके बेटे और बहनोई को क्यों गिरफ्तार किया गया ? स्पीकर साहब, भगवान सिंह नाम के एक सज्जन को बहिन सुमित्रा देवी को चाय पिलाने की वजह से गिरफ्तार किया गया। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या यह सच नहीं है कि चुनाव के दिनों में लोगों को टैरोराइज करने के लिए ऐसा किया गया ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करता है या कानून को अपने हाथ में लेने की कोि ा ा करता है तो सरकार को उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ती है। इन्होंने श्री मनीराम गोदारा और बहिन सुमित्राच जी का जिक्र किया। इन्होंने मनीराम गोदारा के बहनोई और बेटे को गिरफ्तार करने की बात भी कही। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि कानून किसी को माफ नहीं करता। कोई आदमी अगर कानून की खिलाफवर्जी करेगा तो सरकार ऐक ान जरूर लेती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि श्री मनीराम गोदारा और बहिन सुमित्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया। (विघ्न)

श्री मंगल सैनः मैंने उनको गिरफ्तार करने की बात नहीं की। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एक हरजिन मैम्बर, पंचायत ने ि ाकायत की कि उसे फलां आदमी जान से मारने की धमकी देता है। उसे कहा गया कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो तेरे से निपटेंगे तौर तेरे को गांव में नहीं रहने देंगे। उसने थाने में आचकर रपट दी। उसकी रपट पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने हरिजन मैम्बर पंचायत को डराने की बात की थी। (विघ्न) उसके खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस उसे 20 दिसम्बर को पकड कर लाई।

श्री मंगल सैनः चुनाव से तीन दिन पहले। (विघ्न)

चौधरी भजन लालः चुनाव वाले दिन भी पकडा जा सकता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। (विघ्न) उसके बाद श्री मनीराम गोदाराच और सुमित्रा जी थाने में गए और कहा कि उसे क्यों पकडा गया ? थाने वालों ने कहा कि हरिजन मैम्बर, पंचायत की ि ाकायत पर हमने ऐसा किया है। स्पीकर साहब, अगर कोई किसी को वोट न डालने दे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। (विघ्न) यह लोक दल की प्रथा है कि ये हरिजनों को डराकर वोट नहीं डालने देते। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावतीः यह गलत बात है। (ाोर)

चौधरी भजन लालः लोक दल आम तौर पर बूथ कैप्चर करता है। (विघ्न) तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह हरा था कि उस हरिजन मैम्बर, पंचायत की ि ाकायत पर उसे पकड कर लाया

गया। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताता हूं कि उनको पूछ करके वे चले गए। उसके बाद मुलजिम को एस0डी0एम0 की अदालत में पे ा करना था। जब एक ए0एस0आई0 और चार सिवाही उसे लेकर जा रहे थे तो श्री मनीराम गोदारा और सुमित्रा जी 600–700 आदमियों के जलूस को लीड किया और पुलिस की कस्टैंडी में से उस हथकड़ी लगे हुए मुलजिम को छीन लिया। मैं हथकड़ी लगे हुए उस मुलजिम को फोटो आपको दिखता हूं (इस समय मुख्य मंत्री जी ने अखबार को एक फोटो दिखाया) इसमें सुमित्रा जी उस मुलजिम की हथकड़ी को दिखा रही है। तो अध्यक्ष महोदय, जब कोई कानून अपने हाथ में ले ले तो उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही न करे तो क्या करे ? हमने तो उनसे रियायत की हुई है। (विघ्न) हमने यह रियायत की हुई है कि श्री मनीराम गोदारा और श्रीमती सुमित्रा देवी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया हालांकि उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। उन्हें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि आप लोग कहेंगे कि बदले की भावना से इस सरकार ने ऐसा किया है। हमारी सरकार बदले की भावना नहीं रखती है लेकिन हद से ज्यादा अगर कोई बढता है उसके खिलाफ सरकार ऐक ान लेती है और लेगी।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या यह बात सत्य है कि उस हरिजन को बुला करके तथा डरा धमका करके झूठी दरखास्त ली गई ? (विघ्न) आप इसकी इंक्वायरी करवा लीजिए।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, बहिन चन्द्रावती जी बहुत सीनियर मैम्बर है। ये हमारी पुरानी साथी भी हैं। इनका यह कहना कि हरिजन को बुलाकर तथा डरा धमका कर झूठी दरखास्त ली गई बिल्कुल गलत है। वह व्यक्ति पंचायत का मैम्बर है और चुना हुआ नुमायंदा हैं अगर उससे गलत ढंग से लिखवाया गया है तो ये उससे दरखास्त दिलवाएं, उसे हाउस के सामने रखें या और कहीं भेजें। (विघ्न) हमने इस तरह की कोई बात नहीं की है। उसने खुद ि ाकायत की और उस ि ाकायत पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Lining of Canals in District Sonepat

***662. Sh. Devi Dass:** Will the Minister for Irrigation and Power be please to state-

(a) the constituency wise names of canals lined in district Sonepat from 1st January, 1982 to 1st February, 1984;;

(b) the total number os bags of cement consumed on the lining of the sid canals togetherwith the ration of sand and cement used therefor; and

(c) whether any complaint of using lesser ratio of cement for the purpose, referred to in part (b) above, has been recieved duriong the said period ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) तथा (ख): विवरण विधान सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

(क) जिला सोनीपत में हल्के वाईज, पक्की की गई नहरों के नाम इस प्रकार हैं :–		
हल्के का नाम	पक्की की गई नहरों के नाम	
कैलाना	1	गन्नौर वित्रिका
	2	1–आर–राजपुरा माईनर

	3	भैंसवाल माईनर
सोनीपत	1	गन्नौर वित्रिका
	2	1–एल–राजपुरा माईनर (कुछ भाग)
गोहाना	1	जरसाना माईनर
	2	फरमाना माईनर
बरौदा	1	बड़ौदा माईनर
	2	भटाना माईनर
	3	बिचपरी माईनर
	4	गंगेसर माईनर
रोहट	1	खण्डा माईनर
	2	ककरोई वित्रिका
	3	सहोती माईनर
	4	जटोला माईनर
	5	मुन् ाी राम माईनर
(ख) सीमेंअ के कुल थैले प्रयोग किये गये–		

108300 थैले। सीमेंट एंव रोता की मात्रा इस प्रकार है :–	
1. पहला पलस्तर	1 सीमेंट 5 रेता
2. दूसरा पलस्तर	1 सीमेंट 3 रेता
3. टाईम लाईनिंग	1 सीमेंट 3 रेता

Promotions as Clerks in the Central Cooperative Bank, Hisar

***666. Sh. Verender Singh:** Will the Minister for Cooperation be please to state-

(a) whether it is a fact that 5% of the post of Clerks in Cooperative Banks in the State are filled up by promotions from amongst the matriculatee Daftries/Peons having three years experience of service; and

(b) if so, the number of clerks so promoted in the Central Cooperative Bank, Hissar and its branches during the period from 1-1-1975 to date ?

सहकारित तथा डैरी विकास मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह):

(क) जी हां।

(ख) दो।

Complaint of Financial Irregularities in Kurukshetra University

***691. Ch. Sahab Singh Saini:** Will the Minister for Education be please to state-

(a) whether any complaint regarding financial irregularities in the Kurukshetra Univesity has been received by the Government during the year 1983-84; and

(b) if so, the aciton, if any taken thereon ?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा):

(क) हां कुछ ि ाकायतें प्राप्त हुई थीं जो कि (मूल रूप में) कुलाधिपति (राज्यपाल हरियाणा) को जो कार्यवाही उचित हो, करने के लिए भेज दी गई थीं।

(ख) इन ि ाकायतों पर उचित कार्यवाही कुलाधिपति द्वारा ही की जानी है। फिर भी डा0जी0सी0 गुप्त, कुलपति, कुरूक्षेत्र वि वविद्यालय, कुलाधिपति द्वारा निलम्कित कर दिए गए हैं तथा श्री पी0पी0 कैपरिहन, आई0ए0एस0 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

Supply of XXX Rum to Defence Services

***680. Sh. Manphool Singh:** Will the Minister for Excise and Taxation be please to state-the rate per bottle of XXX Rum supplied to the defence services authorities drom the distillaries in the State during the period from 1-1-1982 to date togetherwith the total value thereof ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री बृज मोहन):

महोदय, ऐसी खरीद फरोख्त वास्त्व में व्यापारिक प्रकृति की होती है और इसे मद्य ाालाओं तथा खरीदार प्रतिरक्षा संस्थानों के बीच गोपनी समझा जाना चाहिए। इसलिए सरकार यह महसूस करती है कि वांछित सूचना एकत्र करना और उसे इस सदन में प्रस्तुत करना उचित न होगा।

Provision of Medical Aid to Partially Handicapped Persons

***700. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Inudustries be please to state-

(a) whether there is any scheme under the consideration of the Government to give medical aid to partially handicapped persons in the State; and

(b) if so, the names of the places where the said scheme in likely to be started togetherwith the progress; if any, made in the implementation of the said scheme ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया):

(क) आंि ाक रूप से विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता देने की कोई स्कीम वि ोश राज्य सरकार के विचाराधीन नही है।

(ख) यद्यपि जिला रैडक्रास द्वारा अम्बाला भाहर एवं करनाल में आंि ाक विकलांग व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता देने हेतु 2 यूनिटें चलाई जा रही हैं। इन यूनिटों में वर्श 1982–83 में क्रम ाः 6500 एवं 4215 लाभपात्राों को लाभान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य से आंि ाक विकलांग व्यक्ति, चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध साधारण चिकित्सा सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं।

Death in Police Custody

***713. Ch. Kundan Lal:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) whether any cases of deaths in police custody during the years 1982 and 1983 have come to the notice of the Government; fi so, the total number thereof; and

(b) whether any compensation is paid to the successors of the persons who die in police custody ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हां, केवल चार मुकद्दमें।

(ख) नहीं।

Purchase of Amonium Nitrate Fertilizer

***529. Smt. Chandrawati:** Will the Chief Minister be please to state-

(a) whether any Amonium Nitrate Fertilizer was purchased by the Agriculture Department during the year 1980;

(b) if so, the names and address of the firms from which the purchase thereof was made togetherwith the total quantity and cost thereof;

(c) whether any quantity of fertilizer, out ot that referred to in part (a) above; if any, purchased, has been returened to the firm form whom it was purchased; and

(d) if so, the reasons therefor, togetherwith the detailsl of the loss; if any, suffered by the Government on account thereof ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं।

(ख), (ग) तथा (घ): प्र न उत्पन्न नहीं होता।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा –

एम0एल0एज0 फलैटस की अलाटमैंट संबंधी

Mr. Speakaer: Hon'ble Members, as you know, the Hon'ble Punjab and Haryana High Court has quashed the allotment of M.L.As. Flats with a direction to the Secretary, Haryana Vidhan Sabha, to invite applications for the purpose. The Secretary is accordingly inviting the applications. The Members who are desirous of hiaving M.L.As. Flats may apply on the prescribed form availbale with the Secretary on or before 11th April, 1984.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने आज एक काल अटैं ान मो ान दी है और कल भी दी थी। मेरी बात की पुश्टि जनसत्ता नाम के अखकार ने भी की है जो हिन्दुस्तान का म ाहूर अखबार है। कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सस्पैंडिड वाइस चांसलर के साथ टेलीफोन पर चौधरी भजन लाल की जो कनवरसे ान हुई थी वह इस प्रकार हैं– पी0ए0 कहता है– "हैला कौन गुप्ता जी, सी0एम0 साहब आपसे बात करेंगे। भजन लाल जीः हैलो गणपति जी। गणपति जी ने कहा, जीं हां मैं बोल रहा हूं, नमस्कार। भजन लाल जीः नमस्कार। गणपति जी। हां जी।" (ाोर विघ्न) स्पीकर

साहब, इस बारे में मेरी काल अटैं ान मो ान है। भजन लाल जी कह रहे थे कि मेरी वहां पर कोई ऐसी बात नहीं हुई। आज यह बात हाउस के सामने आ गई इसलिए आप हाउस को कान्फीडैंस में ले लें। (ाोर एव विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैंने यह कभी नहीं कहा कि मेरी बात नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: मैं एक बात सारे आनरेबल मैम्बर्ज से पूछना चाहता हूं कि क्या अखबार की रिपोर्टिंग हाउस में पढ़ी जा सकती है ?

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, रैफर की जा सकती है। मेरी आपसे हम्बल सबमि ान है कि I can humbly differ with you. Press is the fourth State in demorcracy. We cannot disbelieve the Press. They are liable to their principles, profession and conscience.

श्री अध्यक्ष: मैं यह नहीं कह सकता कि अखबाचर वालों ने गलत लिखा है, अनरिलाएबल है या झूठी बात है। मैं यह मान लेता हूं कि यह भाायद सैंट परसैंट ठीक है लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अखबाचर की रिपोर्टिंग हाउस में पढी जा सकती हैं। आज आप दस लाईन पढेंगे तो कल को दूसरे दो सफे पढने भाुरू कर देंगे। Then there will be wastage of time of the House. (Interruptions)

श्री मंगल सैनः मैंने यह कहा कि यह टेप रिकार्डिड है और वरबैटम छपा है। (विघ्न) मैं केवल रैफर कर रहा हूं। Let the Chief Minister come forward with a statement stating whether it is true or untrue.

डा0 भीम सिंह दहियाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जैसे कहा गया कि अखबार की रिपोर्टिंग नहीं दिखाई जा सकती या पढी नहीं जा सकती, लेकिन रिपोर्टिंग भाब्दों को भी हो सकती है और फोटो सिचुए ान की भी हो सकती है। मुख्य मंत्री जी ने अभी थोडी देर पहले जो हाउस में फोटो दिखाया, वह अखबार का ही था।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, कई बार प्रैस का हवाला सदन में आता है और तमाम अखबारों में रिपोर्टिंग ठीक नहीं की जाती लेकिन यह बात भी ठीक है कि कुछ अखबारो की रिपोर्टिंग ठीक होती है, इस बात को दोनों पक्ष मानते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रिपोर्टिंग हाउस का सब्जैक्ट मैटर हो और जो भी रिपोर्टिं की जाए उसकी तसदीक की जाए। अखबार की रिपोर्ट लिखने वाले पर डिपैंड करती है कि किस ढंग से वह लिखता है। पिछली बार भी सदन में कुछ प्रोसीडिंग कार्पो ार्न रिकार्ड से निकलवा दिया गया था ....

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, जो प्रैस के बारे में कहा गया है। यह रिकार्ड में नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्षः ठीक है। यह रिकार्ड न किया जाये।

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या सरकार इस प्रकार की कार्यवाही तो नहीं कर रही है कि टेप रिकार्डिड स्टेटमैंट वगैरह छीन करके रिकार्ड को छिन्न भिन्न करना चाहती हो। कुरूक्षेत्र के वाइस चांसलर का यह कहना है कि गवर्नमैंट ऐसा करने जा रही है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय डाक्टर मंगल सैन जी को खु ा होना चाहिए। डाक्टर मंगल सैन जी ने और कुछ और साथियों ने मुझसे मिलकर ि ाकायत की कि वह आदमी ठीक काम नहीं कर रहा। कुछ साथी लिखित रूप में बहुत से चार्जिज लगा कर हमारे पास ि ाकायत ले करव आये। उन ि ाकायतों को देखते हुए गवर्नर साहब ने जो हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उन्हें सस्पैंड कर दिया। अब चीफ सैक्रेटरी साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। जहां तक अखबार के हवाले का संबंध है कि मेरी टेलीफोन पर यह बात हुई कि हां मैं भजन लाल बोल रहा हूं और उधर से जवाब आया कि मैं गणपति बोल रहा हूं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि हम टेलीफोन करते रहते हैं। मैं इस बात से इंकार नहीं करता। मैंने टेलीफोन जरूर किया होगा। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है और वह मुझे से मिला हो तो चीफ मिनिस्टर का फर्ज बनता है कि इंसाफ दिलाये। इंसाफ के नाते मैंने कह दिया हो कि इस आदमी के बारे में देख लें ताकि इस के साथ ज्यादती न हों। (विघ्न) कोई भी हो सकता है चाहे यादव

हो या मलिक हो या डाक्टर हो, कोई भी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय जो इन्होंने टेप का जिक्र किया कि ब्लैक मेल करने की बात है। मैं मानता हूं कि टेप से ब्लैक मेल तो कर सकते हैं लेकिन अगर हमें कोई इस वक्त उस टेप से दबाना चाहे तो दबने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नर साहब ने चीफ सैक्रेट्र साहब की इंक्वायरी के लिये डिप्यूट किया है। जयों ही चीफ सैक्रेट्री साहइ रिपोर्ट देंगें और अगर उनको कसूर होगा तो उन्हें सजा मिलेगी। जहां तक टेक की हुई बातों का ताल्लुक है उसमें जो बात उनके खिलाफ जाती है। उसे टेम में से काट लेंगे जो सूट करेगी उसे रख लेंगे। इस बात को तो इंक्वायरी अफसर देखेगा कि टेप ठीक है या नहीं है। अगर हमारा कसूर है तो वह कोर्ट में अदालत में जाये। अगर वह कसूरवार साबित होगा तो उसे सजा मिलेगी नहीं तो हमें मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहीं कह सकता हूं कि डाक्टर साइ निि चंत रहें कि इस अखबार के लिखने से हम दबने वाले नहीं और न ही झुकने वाले हैं। जो ठीक बात होगी वही करेंगे। चीफ सैक्रेटरी साहब इंक्वायरी दकर रहे हैं जो ठीक बात होगी वह अव य ाहेगी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने यह बात बिल्कुल ठीक कही। मैं इनको मिला, इनको प्रिवेल अपोन किया और इन्होंन मेरी बात मान ली। हरियाणा में दो वाइंस चांसलर हैं एक के बारे में तो बात मान ली अगर दूसरे के

बारे में भी मेरी बात मान कर एलान कर दें तो बडी अच्छी बात होगी।

चौधरी भजन लालः दूसरे का जो इन्होंने जिक्र किया वह भी मैं समझ गया। वह रोहतक के वाईस चांसलर के बारे में कह रहे हैं। जब चौधरी देवी लाल जी चीफ मिनिस्अर थे और श्री मंगल सैन जी डिप्टी चीफ मिनिस्अर थे और सरकार चलाने वाले भी श्री मंगल सैन ही थे। उस समय हरद्वारी लाल जी वी0सी0 लगे थे। अगर इनको इस वक्त कोई ऐसी बात लगे कि वे कोई गलत बात करते हैं तो लिख कर भेजें या वैसे बतायें, हम जरूर इंक्वायरी कराने के लिए तैयार हैं। हमें इस बात में कोई इंकार नहीं है।

श्री मंगल सैनः दुल्लत कमी ज्ञन की रिपोर्ट है आप उसकी फाईंडिंग की रो ानी में एक्सन ले सकते हैं। मैं मानता हूं कि वे हमारे वक्त में लगे थे लेकिन वर्तमान चीफ मिनिस्टर साहब के वक्त में वे हाई कोर्ट में गये। उनहोंनें इन पर बडे भद्दे इल्जाम लगाये। मैं यहां हाउस में रिपीट नहीं करना चाहता। दुल्लत कमी ान की रिपोर्ट की रो ानी में उनसे हाथ जोड लीजिये और छुट्टी मांग लीजिए।

चौधरी साहब सिंह सैनीः क्या मुख्य मंत्री जी के पास इस बात की सूचना है कि कुरूक्षेत्र के वाइस चान्सलर श्री गणपति चन्द्र गुप्त को सस्पैंड करने के बाद भी उसने 125 फाईलें अपने

कब्जे में रखी हुई हैं ? और उन फाईलों में से वह कुछ कागज निकाल कर गड़बड़ करना चाहता है ? इस बारे में स्पश्ट करेंगे ?

चौधरी भजन लालः यह ठीक बात है। 125 फाईलें या उससे कम और ज्यादा भी हो सकती हैं, जो मिली नहीं हैं। उसके बारे में केस दर्ज किया गया है। दो आदमियों को गिरफ्तार भी किया गया। उसकी जांच पूरी तरह से कर रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः इसके बारे में भी बता दें कि गवर्नर साहब ने जो अपनी आटोबायोग्राफी लिखी थी, उसके ऊपर इतना पैसा किसलिए वैस्ट किया गया है ? (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः यह रैलेवेन्ट नहीं है। आर्य साहब, आप बैठिये।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरी 22–23 तारीख की एक पुरानी काल अटैं ान मो ान पैंडिंग हैं करनाल में जो आश्रम है, वहां पर जो बंगला दे ा से लोग आये थे, उनको सैटल किया गया था। उनके बारे में मेरा काल अटैं ान मो ान 22–23 तारीख से पैंडिंग पडा है, उसका क्या बना है ?

श्री अध्यक्षः चौधरी सासहब, वह तो मैंने डिस अलाऊ कर दिया है on the grounds that it is not of recent occurrence.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, सरकार उनको कोई जगह नहीं दे रही है और उनको अब उजाडा जहा रहा है। आप

भी करनाल के रहने वाले हो, उनकी कुछ मदद करोगे, मैंने इसलिये यह मो ान दिया था।

श्री अध्यक्षः वह तो दो तीन साल पुरानी बात है। मैंने यह मो ान डिस अलाऊ कर दी है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः बहिन चन्द्रावती के सवाल के जवाब में मुख्य मंत्री महोदन ये यह वि वाय दिलाया था कि नौलथा में जो उनको माला डाली गयी थी, अगर उस बारे में कोई और फैक्टस हमारे सामने आयेंगे, तो वह इंक्वायरी जरूर करायेंगे। स्पीकर साहब, मेरे पास 5 लाख 55 हजार 237 रूपये की कलैक ान के बारे में एक रिटन कम्पलेंट आयी है। मैं इसको आचन दी टेबल आफ दि हाउस रखना चाहता हूं ताकि वे इस बारे में इंक्वायरी करा सकें। चौधर धर्म सिंह राठी, एक्स एम0एल0ए0 हैं ..... (व्यवधान व भाोर)

श्री मंगल सैनः हमारे पास भी इसी तरह की एक कम्पलेंट आयी है।

श्री अध्यक्षः आप इसको सी0एम0 साहब को दे दें।

श्री वीरेन्द्र सिंहः बहुत अच्छा जी, मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या ये अब इस बात की इंक्वायरी करायेंगे ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी है कि यह कम्पलेंट सिर्फ अपोजी ान के मैम्बर्ज

के पास ही क्यों आयी है। हमारे पास क्यों नहीं आयी। खैर, हम इसकी इंक्वायरी करा लेंगें।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैंने एक कला अटैंशन मोशन दिया है और आज के अखबार ट्रिब्यून में भी यह खबर आयी है कि सिवानी और मिरान के दो डाक्टर्ज को पुलिस ने धक्के से किसी के खिलाफ भाराब के झूठे सर्टीफिकेट लेने के लिये पीटा और गन प्वायंट पर उनसे सर्टीफिकेट लिये।

श्री अध्यक्षः अभी मुझे वह काल अटैंशन मोशन मिला नहीं है। मिलने पर जरूर कंसिडर करूंगा।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैंशन मोशन दिया है कि गौड़ ब्राह्मण कालेज के लैक्चरर्ज को पिछले 15 महीने से तनख्वाह नहीं दी गयी है। हालांकि मुख्य मंत्री जी ने आज से कई महीने पहले उस कालेज को ग्रांट दे दी है। उनके परिवारों की हालत दयनी है। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः मेरे पास अभी पहुंचा नहीं है। आने पर जरूर कंसिडर करूंगा। आपने कब दिया था ?

श्री राम बिलास भार्माः मैंने आज सुबह 9 बजे ही दिया है।

श्री अध्यक्षः आज सुबह ही अगर आपने दिया है तेा मैं उसे बाद में देखूंगा। अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है।

अध्यक्ष द्वारा रूलिंग–

श्री रो ान लाल आर्य, एम0एल0ए0 की अभिकथित गिरफ्तारी के बारे में उठाए गए ब्रीच आफ प्रिविलेज प्र न संबंधी।

श्रीमती चन्द्रावतीः जनाब, स्पीकर साहब, मैंने रूल 261 के तहत प्रिविलेज मो ान दिया था कि हमारे एक माननीय एम0एल0ए0 को बिना कानून और कायदे के गिरफ्तार किया गया है। (व्यवधान व भाोर) यह बात ठीक है कि उस मो ान के लिये अभी आपने इजाजत नहीं दी है लेकिन मैं इस बारे में आपकी मारफत यह कहना चाहती हूं कि यह फैक्टस तो वैरीफाई करवायें जोयं कि बिना कानून और कायदे के एक एम0एल0ए0 को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। रात भर उनको पुलिस स्टे ान में लाक अप में रखा गया है। सरकार की यह पहली डियूटी बनती थी कि आपको इत्तलाह देते और आप हमको देते। मैं यह चाहती हूं कि मेरा जो प्रिविलेज का मो ान है, वह एडमिट किया जाये।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आप कौन से एम0एल0ए0 की बात कर रही हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: श्री रो ान लाल आर्य की।

Mr. Speaker: Hon. Members, I refuse my consent to the raising of the question of breach of privilege as the matter had already been discussed in the House and the Hon. Member as also the Government had already given the facts. Attention in this respecnt is also invited tgo the following extract taken from the book by Kaul & Shakdher:-

"When the Speakeer receives any complaint or notice thereof from a member regarding an assault on or misbehaviour with him by the police authorities, the Speaker might if he is satisfied permit the mmebt to make a statement in the House under Rule 377. In such cases, the member may be asked to submit to the Speaker in advance a copy of the statement that he would make in the House in this connection. Thereafter, the Speakder might get the Government version on the facts. In the light of the facts given by the two sides, the Speaker might decided whether he should allow the matter to be raised in the House as a question of privilege."

In this case, both the procedures have been adopted. I personally requested the hon. Member to give his version. I also requested the Leader of the House to give the reply and he gave a most satisfactory reply.

Sh. Mangal Sein: No, Sir.

Mr. Speaker: It is judgement. I feel that he has given a very satisfactory reply. They have said that they did not arrest any M.L..A. मैं भी हयूमैन साइकौलोजी समझता हूं। वहां पर 10 वकील खडे होंगे और श्री रो ान लाल आर्य भी

जाकर खडे हो गये और कहने लगे कि अगर इनको गिरफ्तार करते हो तो मुझे भी गिरफ्तार करो। वह कहते हैं कि हमने इनको गिरफ्तार नहीं किया। वह आये, वह बैठे भी रहे। हमने इनको हाथ जोड़े, कुर्सी भी दी और इनको यह कहा कि आप जाइए। हमने आपको गिरफ्तार नहीं किया है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, पिछली दफा किताब सिंह एम0एल0ए0 को भी बाहर छोडा था उनको भी दूर छोड आये थे। आपने इस केस की इंकवायरी करानी थी। आपने उस का क्या किया है। हमें उसके बारे में पता नहीं चला है।

श्री अध्यक्षः वह मैं आपको बाद में बता दूंगा।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप कम्पीटैंट हैं, जो भी आप फैसला करें। हम तो केवल उसकी रिवीजन के लिये ही रिक्वैस्ट कर सकते हैं। आप ने अभी कह दिया कि आई एम सैटिसफाईड। पोजी ान यह है कि एक थाने में इनको रात भर रखा गया। या तो थानेदार साहब इनको यह कहते कि आप त ारीफ ले जाओ। अगर इनको वहां लाक अप में लायर्ज के साथ रहने के लिए अलाऊ किया गया है तो that amounts to arrest, Sir. Then it is the primary duty of the Government to inform the presiding officer that such and such hon'ble Member has been arrested and is under custody.

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, अगर आनरेबल लीडर आफ दी हाउस सारे हाउस के सामने यह कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रे ान

ने इनको गिरफ्तार नहीं किया और इनको कस्टडी में नहीं लिया will you not agree with it and accept his statement ? उन्होंने यह भी कहा है कि यह अपने आप वहां पर बैठे रहे बावजूद पुलिस के कहने के कि आप चले जाओ, आप अंडर अरैस्ट नहीं हो, we should accept it.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरी हम्कल सबमि ान है कि फतेहाचबद इंसीडैंट के बारे में जो जवाब लीडर आफ दि हाउस ने दिया है वह टोटली गलत दिया है।

चौधरी भजन लालः यह तो रिकार्ड की बात है। मैंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। कोई गलत जवाब नहीं दिया है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, फतेहाबाद इंसीडैंट के बारे में जो जवाब लीडर आफ दि हाउस ने दिया है उसके द्वारा अपोजि ान को डीमोरेलाइज करने की कोि ा ा की गई है। चुनाव में कोई जीते कोई हारे, इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन जो टैक्टिस इन्होंने अपनाये हैं, वे इस हाउस में अव य उठाये जाने चाहिये।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा डाक्टर साहब को बताना चाहता हूं कि यह तो रिकार्ड की बात है, कोई फर्जी बात नहीं। हमने इनको गिरफ्तार नहीं किया। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो बाकायदा उसकी रपट रोजनामचे के अंदर लिखी जाती है कि हमने इतने आदमी बंद

हवालात किये, इतने आदमी जेल भेज दिये और इतने आदमी कोर्ट में भेज दिये। स्पीकर साहब, बार बार पुलिस इनके आगे हाथ जोड़ती रही कि मेहरबानी करके आप चले जाइये। हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगें।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अगर ये गिरफ्तार न हुए हों और लाक अप में रहे हों तो यह खुद ही बता दें।

चौधरी रो ान लाल आर्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात जो कही जा रही है कि मैं पुलिस स्टे ान में रात भर रहा हूं यह कोई ऐसी बात थोडे ही है जिसकी जांच न हो सकती हो यह तो वहां के तमाम वकीलों से पता की जा सकती है। तमाम वकील वहां पर थे। जब मैं पुलिस स्टे ान में गया तो वहां पर गिरफ्तार किए गए लोगों की लिस्ट बनने लग रही थी। उस लिस्ट में, आप जांच करवा कर देख लीजिये, मेरा नाम भी है। उन्होंने मुझे यह कहा कि आप अंडर अरैस्ट हो तो वह अरैस्ट समझा जाता है। वहां पर पुलिस के साथ कोई मुकाबला थोडे ही करना था। जब कोई गिरफ्तार करता है तो जुबानी कहने से ही कर लेता है। जरूरी नहीं कि कोई हथकड़ी डालते हैं। वहां पर उन्होंने मुझे यह कहा कि आप गिरफ्तार हो। मुख्य मंत्री जी यहां पर यह कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार नहीं किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। कोई बात ऐसे ही कहने से थोडे ठीक हो जाती है। मुझे रात भर पुलिस स्टे ान में लाक अप में रखा गया। जेल की गाडी में मुझे

वहां पर लाया गया। जेल की डियोढी पर जाकर भाायद इनको कोई आडर्ज आ गए फिर कहने लगे कि आप जाओ इसलिए कम से कम यहां पर गलत बात तो न करें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, कल इन्होंने यह कहा था कि मैं वहां पर खुद गया। यह खुद मानते हैं कि ये वहां पर गए। पुलिस ने इनको पकडा नही। इन्होंने यह कहा कि अगर आप वकीलों को नहीं छोडते तो मैं भी अपनी मर्जी से इनके साथ रहूंगा। यह रिकार्ड की बात है अब यह गलत कह रहे हैं कि मुझे रात भर अरैस्ट करके रखा गया।

चौधरी रो ान लाल आर्यः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी बात को उलझा रहे हैं। मैं यह बता रहा था जब मैं पुलिस स्टे ान गया तो वहां पर अरैस्ट होने वाले लोगों की लिस्ट बन रही थी उस लिस्ट में मेरा नाम भी है। उस लिस्ट में नाम आने के बाद आप ही देखें कि मैं अरैस्ट हो गया या नहीं हो गया ?

चौधरी भजन लालः आप यह बता दें कि आप हवालात में गये या नहीं गये ?

चौधरी रो ान लाल आर्यः मुझे भी वकीलों के साथ लाक अप0 में रखा गया।

चौधरी भजन लालः बिल्कुल गलत। आप वकीलों के साथ बैठे रहे।

चौधरी रो ान लाल आर्यः वकीलों के साथ बैठने की बात अलग है। लेकिन वकीलों के साथ मैं लाक आप में भी रहा हूं।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः आप लाक अप में नही रहे हो, इसलिए आप गिरफ्तार भी नहीं हुए हो।

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, एक तरफ तो मुख्य मंत्री अपने एडमिनिस्ट्र ान की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आनरेबल मैम्बर कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि यू आर अंडर अरैस्ट और उन्हें चौबीस घंटे तक पुलिस लॉक अप में रखा गया। जेल की डियोढी के पास जाने के बाचद उनको कोई मैसेज मिला, तब इनको छोड़ा गया। आप इंक्वायरी करवा लें। (ाोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप मुझे 11.30 बजे मेरे चैम्बर में मिल लें।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैं ान मो ान दिया था कि बीस तारीख से कु रूक्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के दफतर मे सामने स्वामी सूर्यदेव जी पंजाब के मसले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं .....

श्री अध्यक्षः अभी इस बारे में मेरे पास कुछ नहीं आया है, जब आएगा तो देख लूंगा।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, मेरा एक काल अटैंशन मोशन एक्सीयन जींद के बारे में था .....

श्री अध्यक्षः मैं उसे कंसिडर कर रहा हूं।

श्रीमती बसन्ती देवीः अध्यक्ष महोदय, अभी सी0एम0 साहब ने कहा कि कानून अपने हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। मैं कुछ कहना चाहती हूं और आप उसको सुनकर बताएं कि कानून किसी नें अपने हाथ में लिया है या नहीं लिया है।

श्री अध्यक्षः बहिन जी, क्या आपने इस बारे में कुछ लिखकर भेजा है। अगर नहीं भेजा है तो मैं डिमांडज पर आपको टाईम दूंगा उस वक्त आप अपनी बात कह लेना।

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, मैंने आयुर्वैदिक दवाईयां खरीदने के बारे में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया था। स्पीकर साहब, टैंडर नोटिस नम्बर 14 आफ 1982–83 और टैंडर नोटिस नं0 11 आफ जी0एल0/आर0सी0 1468–82–83, इन टैंडर्ज के थ्रू आयुर्वैदिक दवाइयां डिपार्टमैंट ने खरीदी थीं लेकिन जो लोअर टैंडर था वह स्वीकार नहीं किया बल्कि जिनके ऊंचे टैंडर थे उनसे दवाइयां खरीद लीं। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या बना ?

श्री अध्यक्षः वह मैंने एडमिट कर ली है और 28 तारीख के लिए लगा दी है।

श्री किताब सिंहः मेरा एक और काल अटैं ान मो ान था कि जिस तरह से हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब में गेहूं की गाही करने के लिए टयूबवैल पर मोटर लगाने के लिए किसी ऐप्लीके ान की जरूरत नहीं है यानी बिना ऐप्लीके ान दिए मोटर यूज हो सकती है। इसी तरह से हरियाणा में भी कर देना चाहिए वरना बीच में काफी गड़बड़ हो जाती हैं

श्री अध्यक्षः उसे मैं देख लूंगा।

बिल्ज (इन्ट्रोडयूस्ट–सदन की अनुमति से)

(1) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1984

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मैं सबमि ान करना चाहता हूं कि जैसे कि कई प्रांतों में और केन्द्र में भी यह प्रावधान है कि अपोजी ान के लीडर को मंत्री के बराबर की सुविधाएं दी जाती हैं, उसी प्रकार से हरियाणा में भी दी जाएं। कागजों के लिए लीडर आफ दि अपोजी ान को सौ रूपए महीना देना यह बड़ा इन एडिकुएट है। इस तरह से करके तो रोज रोज अमैंडमैंट लानी पड़ती है। इनको चाहिए कि ये एक कंसोलिडेटिड बिल लाए कि एक मंत्री को जो सुविधाएं मिलती है। वे सभी लीडर आफ दि अपोजी ान को भी मिलेगी। अब लीडर आफ दि अपोजी ान के लिए केवल एक हजार रूपए सैलरी का प्रावधान है। मैं चाहता हूं कि इस बिल को वापिस ले कर एक कंसीलिडेटिड बिल लाएं ताकि रोज रोज अमैंडमैंट करने की जरूरत न पडे। ऐसा करना प्रजातन्त्र में जरूरी है। जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना ही प्रजातन्त्र मजबूत होगा। मैंने इसके अलावा एक अमैंडमैंट भी दी थी लेकिन किसी टैक्नीकल गलती के कारण अपने उसे रिजैक्ट कर दिया था। इन भाब्दों के साथ में यह प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को ठीक कर दें।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, इस बिल के जरिए दो बातों का

प्रावधान किया जा रहा है। एक तो यह कि जो मिनिस्टर्ज को टी0ए0डी0ए0 दिया जा रहा है उतने ही टी0ए0डी0ए0 का प्रावधान लीडर आफ दि अपोजी ान के लिए किया जा रहा है। दूसरा स्टे ानरी वगैरह के लिए 1200 रूपए सालाना का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस दिन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में भी इस 1200 रूपए की रा ि ा के बारे में चर्चा हुई थी और उस समय मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए मान गए थे कि 1200 रूपए से बढा कर यह रा ि ा दोगुनी कर दैंगे। ये दो फैसीलिटीज इनको दी जा रही है। यदि ये लोग इसमें और कोई तरमीम चाहते हैं तो जब इस पर डिस्क ान होगी उस समय हमारे से कह दें।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, अब मैं बिल इन्ट्रोडयूस करता हूं।

(2) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रेगुले ान एंड डिवेल्पमैंट) फीज वेलिडे ान बिल, 1984

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): मैं प्रस्ताव करता हूं कि –

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रेगुले ान एंड डिवेल्पमैंट) फीज वेलिडे ान बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि –

दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रेगुले ान एंड डिवेल्पमैंट) फीज वेलिडे ान बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, इस बिल का मं ाा तो ठीक है लेकिन इसके स्टेटमैं आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज में लिखा है ".....fees chargeable from licences engaged in dangerous and offensive trades." मं ाा तो यह है कि यह ट्रेड पौल्यूट करेगा। लेकिन भाब्द ये लिख दिए कि डेन्जरस एण्ड औफेन्सिह। क्या यह सरकार इस तरह के ट्रेड को लाइसैंस दे देगी ? ये भाब्द अनचाहे लिखे गये होंगे कोई भी आदमी ऐसी फैक्टरी लगाए जो डेन्जरस एण्ड औफेन्सिव ट्रेड में इन्वाल्व हो, उनको लाइसैंस देने का मं ाा इनका नहीं है। इनका मं ाा तो यह है कि इस तरह के ट्रेड जिससे पौल्यू ान होता हो, जो आबादी के अंदर हो, जिससे आग लगने का खतरा हो, भाराब की भटठी हो जिससे समाज का मौरल खराब हो या रबड की

कोई फैक्टरी हो जिससे पौल्यू ान होता हो। फरीदाबाद में एक रबड की फैक्टरी है उसके आसपास के लोग मुझे मिले और उन्होंने मूझे ि ाकायत की क वह इतना पौल्यु ान पैदा करती है कि आसपास लोग रह नहीं सकते। स्पीकर साहब, आपने भी देखा हेाग कि कई प्लांट वहां ऐसे हैं जो बहुत पौल्यू ान पैदा करते हैं। स्पीकर साहब, जो कारखाने पौलयू ज्ञन पैदा करते हैं या गंदा पानी उनसे बहुत ज्यादा आता है उन्हीं के ऊपर पौल्यू ान फी ज्यादा बढाई जाए और उसका नाम पौल्यू ान फी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो कुछ इसमें है उससे तो लोग कोर्ट मेकं जाएंगें और बडी लिटिगे ान होगी। मैं चाहती हूं कि इसको दोबारा ड्राफ्ट करवा दिया जाए। इसकी जो वर्डिंग है वह दिक्कत पैदा करने वाली है। मै। बस इतना ही कहना चाहती हूं।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रेगुले ान एंड डिवेल्पमैंट) फीज वेलिडे ान बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की अनुमति मांगी जा रही है और इस बिल के द्वारा फीस लगाने और बढ़ाने की इस सदन से मंजूर ली जा रही है। हमारे पार्लियामैंटरी अफैयर्ज मिनिस्टर इस बात को ऐप्रि ाएट करेंगे कि वहां पर फीस लगाने, लाइसैंस देने और फीस बढाने के लिए बारे में वहां की जनता के चुने हुए नुमांयदो के बीच में चर्चा होनी चाहि। पहला एतराज तो मेरा यही है कि इलैक्टिड बौडी, जिसको पिछले पन्द्रह साल से फ्रैन्चाइज से महरूम कर रखा है, उसमें इस बारे में डिस्क ान होना चाहिए, उनकी

मर्जी से फीस लगनी या बढनी चाहिए। आप पैसा तो वसूल करना चाहते हैं लेकिन डैमोक्रेसी में जो कांस्टीच्यू ानल राईअ है जो इन्हैरैंट राइट हैं, उससे जनता को डिप्राइव करना चाहते हैं। आपने स्टेटमैंट आफ आबैजैक्टस एण्ड रीजनज में लिखा है ".....from licencees engaged in dangerous and offensive trades..... "स्पीकर साहब, आपने भी पढा होगा आप भी आखिरकार काबिल वकील हैं। इसमें लिखा है – Premises used for sale as well as manufacture of furniture, timber and all kinds of wood including plywood but excluding fire wood.d

इसमें क्या डैन्जरसे बात है और इसमें क्या पौल्यू ान की बात है ? फर्नीचर बनाना, सिरकी, जिसको गरीब आदमी बनाता है उस पर लाइसैंस फी लगाई जाएगी। स्पीकर साहब, उधर तो पूंजीपतियों के नाम करोडों रूपए के बिजली के बिल पैंडिंग पडै हैं। उनके बारे में तो कहा जाता है कि स्टे आर्डर ले रखे हैं। उनको 15–15 लाख रूपए की सबसिडी भी जाती है। स्टेट फाइनैंि ायल कारपोरे ान के करोड़ों रूपए उनकी तरफ बकाया पडे हैं लेकिन उनको कोई छूता नहीं है क्यों उनके पैसे चुनाव में काम आते हैं लेकिन गरीब आदमी के पेट पर लात मारी जा रही है।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, अभी तो बिल इन्ट्रोडयूस ही हो रहा है।

श्री मंगल सैनः मैं इंट्रोडक ान की स्टेज पर ही कह रहा हूं। मेरे साथी सो ालिस्ट रहे हैं, कम्युनिस्ट रहे हैं लेकिन स्पीकर साहब, अब तो ये बिल्कुल ही बदले हुए हैं।

11.00 बजे।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): स्पीकर साहब, यह जो बिल यहां पर लाया गया है, यह केवल फीस को वैलीडेट करने के लिये ही लाया गया हैं कोई नई बात के लिये यह बिल नहीं लाया गया है। डाक्टर मंगल सैन जी और दूसरे मैम्बर साहेबान इस बात का ध्यान रखें।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हम इस को वैलीडेट नहीं करना चाहते। आपे भी इसको पढा होगा और हमने भी बडे गौर से इसको पढा है। हम यह चाहते हैं कि यह वैलीडेट नहीं होना चाहिये और यह बिल इंट्रोडयूस नहीं होना चाहिये। इसके साथ साथ इन्होंने साबुत के ऊपर भी फीस लगा दी है। स्पीकर साहब, साबुन जिस से गरीब आदमी कपडे धोता है, यह बडे आदमियों का धंधा नहीं है। इस प्रकार से माचिसें रखने वाले गोडाउन पर भी और जूते बनाने वाला जहां पर बैठेगा उस पर भी फीस लगाई जाएगी। एक तरफ तो ये गरीब आदमियों के लिए, हरिजनों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और दूसरी तरफ आम लोगों की बरतने वाली चीजों पर ये लोग फीस लगाने जा रहे हैं। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, अभी लीडर आफ दी अपोजी ान और डा0 मंगल सेन जी ने इस बिल के बोर में कुछ बातें कहीं। बहिन चन्द्रावती जी ने ऐन्टी पौलयू ान मैयर्ज लेने के लिये कहा। मेरे विचार में उन्होंने इस बिल की सारी धाराओं को अच्छी तरह से नहीं समझा। यह ऐन्टी पौल्यू ान का बिल नहीं है, उसके लिए डिफरैंट बिल है। पोल्यू ान को रोकने के लिये पोल्यू ान को कैंसे कंट्रोल किया जाए, वह अलग बिल है। यह जो बिल हम लाए हैं। यह ओफैंसिव और डेनजरस आर्टीकल्ज से संबंधित लि है जिसमें पैट्रोलियम पदाथ्र, कैरोसीन वगैर वगैरह चीजें आती हैं। इन पर फीस लगायी गयी है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, अगर ओफैंसिव और डैंजरस चीजे हैं तो ये ऐसी चीजों कों अलाउ ही क्यों करते हैं ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, कई एक ऐसी चीजें हैं जिनको डेंजरस और ओफैंसिव बनाना ही पडता है। पैट्रोलियम पदार्थ और कैरोसीन वगैरह कई ऐसी चीजें हैं जिनको प्रयोग सही और उचित तरीके से होना चाहिये ताकि आस पडोस को किसी किस्म की कोई दिक्कत न हो। आस पडोस के लोगों को किसी चीज के दुरूपयोग से कोई नुकसान न हो, इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इनको डेंजरस और ओफैसिव की परिभाशा देनी चाहिये। जैसे एक्ट में परिभाशा दी जाती है उसी हिसाब से इन्हें इनकी परिभाशा भी देनी चाहिये थी।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, इन्होंने भाायद ि ाडयूल को पढा नहीं है। उसमें इनको सब कुछ मिल जाएगा। जो फीस लगाई गयी है उसको केवल रेगुलेट करने के लिये हम यह बिल यहां पर लाए हैं ताकि समाज के दूसरे लोगों को कोई किसी किस्म का खतरा पैदा न कर सकें। यह कोई नयी बात नहीं है। बहन जी अगर बिल के ि ाडयूल को भली प्रकार से पढेंगी तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। स्पीकर साहब, 1971 के एक्ट के तहत लोगों पर इस तरह की फीस लगा दी गयी और उसके विरूद्ध कोर्टस में चले गये क्योंकि उसकी सरकार से अभी तक फाईनैं ि ायल एप्रूवल नहीं ली गयी थी। लोगों ने कहा कि जब गवर्नमैंअ की सैंक ान ही नहीं है तो आप यह फीस कैसे लगा सकते हैं ? इसलिये इउसको वेलिडेट करवाने के लिये हम यह बिल यहां पर लाए हैं। इस दौरान जो वसूली हो चुकी है उसको रैगुलेराइज करना है। इसलिये इसमें दूसरी ऐसी कोई बात नहीं है जिनके लिये मैरे भाई बार बार उठ कर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, अब मैं बिल इन्ट्रोडयूस करता हूं।

(3) दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड (अमैंडमैंट बिल, 1984

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोय में प्रस्तु करता हूं कि –

दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड (अमैंडमैंट बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

स्पीकर साहब, यह बिल इन्ट्रोडयूस करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड बिल पहले असैम्बली पास कर चुकी है लेकिन जिस वक्त इसको लागू करने का समय आया तो कुछ मु कलात सामने आई उनको दूरे करने के लिये यह अमैंडिंग बिल यहां पर लाया गया है। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल को इन्ट्रोडयूस करने के लिये इजाजत चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष– प्रस्ताव प्रस्तुत है कि –

दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड (अमैंडमैंट बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष– प्र न है कि –

दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड (अमैंडमैंट बिल, 1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, अब मैं बिल इन्ट्रोडयूस करता हूं।

(4) दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल,

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि–

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर): मैं यह कहना चाहता हूं कि हुड्डा जो है, वह दो तरह से नुकसान करता है। एक तो जिस आदमी से जमीन लेता है, उसको उजाड़ कर रख देता है और दूसरे उसको उसकी जमीन का कम्पनसे ान बहुत ही कम दिया जाता है। फिर जिसको वह जमीन दी जाती है, उससे बीस गुना प्राईस ली जाती है। कुरूक्षेत्र में देवी दस, सुन्दर पुरा और रतगल गांव ऐसे हैं जो कि जी0टी0 रोड के साथ लगते हैं। वहां के लोगों की जमीन ली गई और उनको केवल बीस हजार रूपये पर एकड के हिसाब से कम्पनसे ान दिया गया उसके बाद में लोग कोर्ट में चले गये। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र में इंडिस्ट्रयल कम्पलैक्स के नाम से लोगों को कहा गया कि 96 रूपये पर स्केयर गज के हिसाब से जमीन दी जायेगी जो कि लगभग 4 लाख रूपये प्रति एकड के करीब पडती है। इस तरह दोनों तरफ से गरीबों का खून चूसा जा रहा हे। मुआवजे की रकम बहुत थोडी दी जाती है और आगे लेने वाले को बहुत ज्यादा दाम पर बेची जाती है। तो इस हिसाब से कौन जमीन खरीदेगां अब ये चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमैंट जमीन एक्वायर करके हुड्डा को दे देगी। इन्होंने रीजन्ज में दिया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस हुआ है, उसकी वजह से हाई कोर्ट में भी हु ड्डा के खिलाफ कई रिट हो गई हैं। कि हुड्डा भी एक कम्पनी है। सुप्रीम कोट्र ने उस केस में यह कह दिया है कि चूंकि वह संस्था एक कम्पनी है, इसलिए लैंड इसमें वैस्ट नहीं करती उस लकूने को दूर करने के लिये हुड्डा

को एक लोकल अथोरिटी बनाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। मैं तो सरकार को कहूंगा कि हुड्डा को खत्म कर दिया जाए। यह दोनों तरफ से लोगौं का खून चूसता है।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा नागरीय विकास प्राधिकरण (सं ाोधन) बिल है; एक्चुयल में तो यह 1894 का एक्ट है। हरियाणा के जो किसान गुड़गांव, सोनीपत और फरीदाबादी में बसेत हैं उनको बहुत मु कल हो रही है। उनकी जमीन लेकर उनको टके के भाव पैसे दिये जाते हैं। चाहिए तो यह था कि ये गवर्नमैंट आफ इंडिया को सिफारि ा करते कि उस एक्ट को अमैंड किया जाए। दफा 4 ओर 6 का नोटिफिके ान करके आज किसान की जमीन ले ली जाती है। उसके बाद दस दस साल तक न तो किसान उस जमीन को बेच सकता है, न रहन कर सकता है और न ही उसके अगेंस्ट कोई कर्जा ले सकता है। सरकार अपने मन चाहे हिसाब से उसको कीमत देती हैं आज गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और धारूहेड़ा जहां जहां भी डिवैल्पमैंट हो रही है, सारी जमीन बडे आदमियों के लिये ली जा रही है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि जी0टी0 रोड तक, बल्कि पलवल तक सारी जमीन या तो बडे आदमी ले रहे हैं या सरकार उनकी कोठियों के लिये भूमि अर्जन कर रही है। किसी गरीब किसान के पास पांच या दस बीघे जमीन है तो उसे भी ले लिया जाता है। सरकार बताये कि इसने उनकी एम्पलायमैंट का क्या इंतजाम किया है ? बडे आदमी को तो एक मु त में पैसा दे

दिया जाता है लेकिन जमीदारों को कि तों में पैसा देते हैं। आज भी इन्होंने कितने ही लोगों की जमीन ले रखी है लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया हैं इनको चाहिए तो यह था कि ये भारत सरकार को सिफारि ा करते कि एक्ट में अमैंडमैंट की जाए लेकिन यह पहले बिल को अमैंड करने के लिए यहां प्रस्ताव ले आए हैं। मैं तो यह चाहती हूं कि अगर ये भारत सरकार को एक्ट में अमैंडमैंट करने की सिफारि ा नहीं कर सकते तो कम से कम प्रांतीय सरकार लोकल बिल तो ला सकती है ताकि जमींदारों को जमीन की रक्षा हो सके और उनको टाइम पर पैसा मिल सके। आज ये 40 रूपये मीटर जमीन लेकर 400 रूपये मीटर बेच देते हैं। स्पीकर साहब, बड़खल के पास ओपन आडिटोरियम बनाने के लिए इन्होंनं एक मुसलमान की 25 बीघे जमीन ले ली।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इस स्टेज पर बिल की मैरिटस पर बहस नहीं हो सकती। इस समय तो ये कोई टैक्नीकल बात बताएं कि यह बिल इन्ट्रोडयूस हो सकता है या नहीं। ये तो जनरल डिस्क ान कर रही हैं जो कि रूल्ज के खिलाफ है।

श्री चन्द्रावतीः यह मेरा सुझाव है। मैं इतनी बात कह सकती हूं कि इनको इस बात की भारत सरकार को सिफारि ा करनी चाहिए थी कि 1894 के एक्ट में अमैंडमैंट करके उसका सुधान करें।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): सर, मैं एक लाइन में यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है यह न किसानों के खिलाफ है और न उनके हक में है। इस बात से किसानों का सरोकार नहीं है। हुड्डा बहुत सालों से अपने परपज के लिए जमीन एक्वायर कर रहा है। उसमें लकूना यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने फूड कारर्पोरे ान के केस में जजमैंट द दी कि वह एक कम्पनी है। जमीन लैंड एक्वीजी ान एक्ट के नीचे एक्वायर कनी चाहिए थी। दूसरे प्रोवीजन के नीचे नहीं करनी चाहिए थी। इस बात को लेकर हुड्डा के खिलाफ भी कुछ लोगों ने रिट कर दी। उस लकूने को रिमूव करने के लिए हुड्डाच को अथोरिटी देने के लिये यह बिल लाए हैं।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि –

दि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी (अमैंडमैंट) बिल, को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, अब मैं बिल इन्ट्रोडयूस करता हूं।

(5) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट रैगुले ान आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल,1984

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि–

दि हरियाणा डिवैल्पमैंट रैगुले ान आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा डिवैल्पमैंट रैगुले ान आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि –

दि हरियाणा डिवैल्पमैंट रैगुले ान आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, जो कालोनीज भाहरों में बनातें हैं, बाद में उनकी रिपेयर नहीं की जाती या मेनटेन नहीं होतीं। जैसे कालोनियों में रोड्ज हैं या सीवरेज वगैरह वगैर हैं, उसके फरदार मेनटेन करने के लिये डिवैल्पमैंट फंड रेज कर रहे हैं। इसके

लिये कालोनाजर्ज से एक रूपया पर स्केयर मीटर चार्ज किया जाएगा।

स्पीकर साहब, अब मैं बिल इन्ट्राडयूस करता हूं।

(6) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड बिल,1984

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैं ान आफ मैम्बर्ज) सैकिण्ड बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, अब मैं बिल इन्ट्रोडयूस करता हूं।

(7) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिल (अमैंडमैंट) बिल,1984

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिल (अमैंडमैंट) बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिल (अमैंडमैंट) बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउंसिल (अमैंडमैंट) बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, अब मैं बिल इन्ट्रोडयूस करता हूं।

(8) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसीलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल,1984

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसीलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसीलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री हरिचन्द हुड्डा (किलोई): स्पीकर साहब, मैं इस बिल को अपोज करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि वे फैसीलिटीज मैं भी लूंगा जो दूसरे माननीय सदस्य लेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो फैसीलिटीज एम0एल0एज0 और दूसरे बडे बडे आफिसर्ज लेते हैं जैसे एम0एल0एज0 होस्टल में या हरियाणा भवन में एक चाय का प्याला 30–35 पैसे में मिलता है और खाना भी तीन साढे

तीन रूपये में मिलता है। इसके अलावा ठहरने के लिए कमरे बहुत सस्ते रेट पर मिलते हैं। यदि इस प्रकार की सुविधाएन इनको मिलती हैं तो इसकी ऐवज में इन्हें जनता को भी उतनी ही सुविधाएं देनी चाहिए जितनी ये इधर से ले रहे हैं। इस इन्टैं ान के साथ यह बिल पे ा होता तो बहुत अच्छी बात थी। यदि इस तरह का फायदा जनता को भी दे दिया जाए तो इस बिल की खूबसूरती बढ़ेगी।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं बिल का इन्ट्रोडयूस करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई मैम्बर यह फैसीलिटीज नहीं लेना चाहते हैं तो वे बिल्कुल फ्री हैं, वे इस बात को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम इस फैसीलिटीज को नहीं लैना चाहते। यह फैसीलिटीज टी0एस0डी0ए0 के बारे में नहीं हैं। इस समय कीमतें बढ़ गई हैं जैसे मकान बनाने के लिए पहले 60 हजार रूपये देने की लिमिट थी उस लिमिट को बढ़ा कर एक लाख रूपया कर दिया गया है। इसी तरह से पहले कार के लिए 40 हजार रूपए लोन की लिमिट थी उसको बढा कर 60 हजार रूपए कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि –

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसीलिटीज टू मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, अब मैं बिल इन्ट्रोडयूस करता हूं।

(9) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) अमैंडमैंट बिल,1984

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) अमैंडमैंट बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि –

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) अमैंडमैंट बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पे ा किया गया है, मैं समझता हूं कि पंजाब और हरियाणा

हाई कोर्ट ने इस बारे में जो जजमैंट दी थी, उस प्वायंट आफ व्यू से पे ा किया गया है। पहले भी दो दफा जनरल सेल्ज टैक्स एक्ट अमैंड किया जा चुका है। यह बिल भी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो जजमैंट दी थी, उसको वैलीडेट करने के प्वांयट आफ व्यू से पे ा किया है। अध्यक्ष महोदय, संविधान में 46वीं अमैंडमैंट हुई थी उसके तहत यह एक्ट पास करने के लिए केवल गवर्नमैंअ आफ इंडिया को ही पावर है, हरियाणा सराकर को अमैंड करने का कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा सरकार की जुरिसडिक ान से बाहर है। यह हरियाणा सरकार के परव्यू में नहीं है, इसलिए इनको इस प्रकार का बिल पे ा नहीं करना चाहिए और वापिस ले लेना चाहिए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, न तो यह श्री हीरा नन्द आर्य का सबजैक्ट है और न ही मेरा सबजैक्ट है। उन्होंने बिना समझे इस बारे में अपनी दलील दे दी। मैं आपके जरिए उनको बताना चाहूंगा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो इस बारे में जजमैंअ दी थी उसको वैलीडेट करने के लिये एक्ट की सैक ान 24 को अमैंड कर रहे हैं ताकि लैवी और टैक्स आन परचेज विद इन दि स्टेट को रीटेन किया जा सके। दूसरा जो प्रोवीजन है वह टैक्स बेस को एनलार्ज करने के लिए है, उसको वाईडन कर रहे हैं। ढाबा आदि को छोडकर जो दूसरे इटेबल परैमिसिज हैं, उन पर टैक्स लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि –

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलिडे ान) अमैंडमैंट बिल,1984 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, अब मैं बिल इन्ट्रोडयूस करता हूं।

वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: अब वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर डिस्क ान ाहेगी। पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस को टाइम बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज एक साथ पढी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर बोल सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हों।

That a sum not exceeding Rs. 59013210 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that

will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 4- Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 268283000 for revenue expenditure and Rs. 266080000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 8- Building and roads.

That a sum not exceeding Rs. 667349815 for revenue expenditure and Rs. 928441940 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 15- Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 483750200 for revenue expenditure and Rs. 41500000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 17- Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 114629000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 18- Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 225172630 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 21- Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 51936700 for revenue expenditure and Rs. 105261780 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 22- Cooperation.

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन में जो डिमांडज पे ा की गई है। मैं इनके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं एजुके ान की डिमांड पर बोलना चाहूंगा। इस डिमांड पर मैंने कट मो ान भी दी है, भाायद वह आपको मिल गई होगी।

श्री अध्यक्ष: अभी तक मेरे पास नहीं आई है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैंने भेज दी है। यदि आपको नहीं मिली है तो आपके सैक्रेटरी को मिल गई होगी।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची है। जिस समय मेरे पास आ जाएगी, मैं उएसे कंसिडर करूंगा।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सचिवालय की तरफ से जो डिटेल्ड बजट एस्टीमेटस आफ प्लान स्कीम्ज फार दि इयर 1984–85 नामक किताब दी गयी है, इसे पृश्ठ 19 और 22 पर ि ाक्षा के ही बारे में लिखा गया है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, एक तरफ तो सरकार सदन से अनुदान मांग रही है और दूसरी तरफ खर्चा

भी ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा। पिछले दिनों पक्षपातपूर्ण रवैये से इन धन को खर्चा गया है। हमारे यहां महेन्द्रगढ़ में लड़कियों का जो हाई स्कूल है उसकी क्लासिज धर्म ाला में अलग अलग किनारों पर लग रही हैं।

श्री उपाध्यक्षः आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 4 पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्षः यह डिमांड तो रैवैन्यू की है।

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें वह धन भी आता है जो एजुके ान पर खर्च होना है।

श्री उपाध्यक्षः यह डिमांड एजूके ान की नहीं है।

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पास जो डिटेल्ड बजट एस्टीमेटस आफ प्लान स्कीम्ज की किताब है, इसमें पेज 19 और 22 पर ि ाक्षा के बारे में रैफरैंस किया गया हैं मैंने बाकायदा फलैग लगा रखा है।

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी जिस डिमांड नं0 4 पर बोल रहे हैं। वह रैवन्यू एक्सपेंडीचर की है। डिमांड नं0 9 एजूके ान की है। यदि वह डिमांड नं0 9 पर बोलना चाहते हैं तो कल बोल

सकते हैं क्योंकि वह डिमांड कल आयेगी। आज तो इनको आपज पे ा की गई डिमांडज पर ही बोलना चाहिए।

श्री राम बिलास भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, ि ाक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कल ि ाक्षा की डिमांड को रखेंगे। मैं अब रैवैन्यू की बात ही कहना चाहूंगा। सरकार जो धन खर्च करती है वह पक्षपातपूर्ण रवैये से करती है। एक तरफ तो सारा हरियाणा है और दूसरी तरफ आदमपुर का हलका है। डिप्टी स्पीकर साहब, आदमपुर का नाम ही सबसे पहले आता है। मुख्य मंत्री जी की आंख की तकलीफ की वजह से हमें बडी तकलीफ हुई है, क्योंकि इनकी आंख की तकलीफ से हरियाणा में जो महेन्द्रगढ़ का जिला है उसको बडा भार सहना पडता है। दिल्ली से जब ये चण्डीगढ़ के लिए चलते हैं तो बाई तरफ महेन्द्रगढ़ पडता है मुझे पता चला कि इनकी बाई आंख खराब हो रही थी। इसलिए भाायद इनकी महेन्द्रगढ़ की तरफ नजर नहीं पड़तीं (हंसी) इससे हमें ऐसा लगता है कि हरियाणा के नक ो पर महेन्द्रगढ़ का नाम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: भार्मा जी दु:ख तकलीफ तो किसी को भी हो सकती है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री राम बिलास भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, हमें उसका बडा असर पड़ता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ही यह बात नही कह रहा हूं। 23 तारीख को बजट पर बोलते हुए कांग्रेस के माननीय सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह जी ने भी यह बात कही थीं

(विघ्न) मुझे तो बोलने के लिये समय नहीं मिला था। उन्होंने कहा था कि महेन्द्रगढ़ के लिए 60 करोड 68 लाख रूपये जे0एल0एन0 कैनाल के लिए मंजूर हुए थे। मैं आपके माध्यम से अपने इलाके के लोगों का दर्द बताना चाहता हूं। उसको इन्होंने कट करके 2 करोड 64 लाख रूपये कर दिए। हर मामले में चाहे वह सड़का का मामला है, या दूसरा मामला है, आदमपुर को ही आगे रखा जाता है। यदि आदमपुर से हरियाणा के खजाने में कुछ रैवैन्यू आता तो मैं उसको मान सकता था। एक तरफ तो मेरा जिला हरियाणा के रैवैन्यू में मेक्सीमम कन्ट्रीब्यू ान कर रहा हैं साथ ही साथ एक्सपोर्ट आईटम दुनियां के लोगौं को दे रहा है। महेन्द्रगढ़ जिले से कुण्ड और बिहारी खानों से स्लेट का पत्थर आस्ट्रेलिया को जा रहा है जिससे करोड़ों रूपये की रा ि ा हरियाणा सरकार के खजाने में जमा होती है। ..... महेन्द्रगढ़ जिले के साथ खासतौर पर हर चीज में चाहे वह स्कूल की बिल्डिंग हो या कोई काम को पक्षपातपूर्ण रवैया बरता जा रहा है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने यह बात कही है .... किसी भी इलाके के बारे में ऐसा कहना बहुत बुरी बात होगी। सब सदस्य सम्मानित इलाकों के हैं। कोई इलाका किसी को बदनाम देने वाला नहीं है। इसलिए इन्होंने जो कहा है, वह एक्सपंज होना चाहिए। (विघ्न)

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा की राजनीति पर एक पिकचर भी बन गयी है। हम जब अपने वतन के दूसरे हिस्सो में टूर पर जाते हैं और बताते हैं कि हम हरियाणा के एम0एल0एज0 की हैसियत से यहां आए हैं तो लोग हमारी तरफ देखकर मुस्कराते हैं और हिराकत की निगाहों से देखते हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप डिमांड पर बोल सकते हैं। यह जनरल भाशण देने का समय नहीं है।

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, यदि आप चाहें कि मुझे या आपोजी ान के लोगों को ये पढने के लिए गीत लिख कर दे दें, तो वह हम नहीं पढ़ेगे। (ाोर एवं व्यवधान) आपने मुझे गवर्नर एड्रैस पर बोलने की इजाजत नहीं दी और न ही बजट पर बोलने की इजाजत दी। फिर भी अगर आप समझते हैं कि मेरी कड़वी बातों से सरकार को तकलीफ होती है या इनकंवीनियंस होती है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आपको बैठने के लिए नहीं कहा। आप बोलिएं

श्री राम बिलास भार्माः हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है। तो क्या फिर भी हम इस ऐतिहासिक सदन में अपने दुखों की चर्चा न करें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं फैक्टस एण्ड फिगर्ज के साथ कह रहा हूं कि महेन्द्रग्रढ़ जिले की बिहारी और कुण्ड की

खानों से मार्बल और सलेट का पत्थर आस्ट्रेलिया को जा रहा है। एक तरफ महेन्द्रगढ़ जिला हरियाणा के राजस्व में कन्ट्रीब्यू ान करता है और दूसरी तरफ उस एरिया में उस अनुपात के हिसाब से खर्चा बहुत ही कम होता है। उसके हिस्से का सारा पैसा आदमपुर में लगा दिया जाता है। हमारे नाम पर वर्ल्ड बैंक से वाटर सप्लाई स्कीम के नाम से लोन लिया गया। इसी प्रकार से वहां पर ग्रामीण सामुदायकि विकास योजना के नाम पर लोन लिया गया लेकिन खर्च आदमपुर की मण्डी में किया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, एक तरफ तो हरियाणा के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ आदमपुर में इंजीनियरिंग कालेज बन रहा है। महेन्द्रगढ़ जिले के अंदर सैनिक स्कूल की घोशणा हुई थी। नारनौल के अंदर 4 सितम्बर 1983 को हिन्दुस्तान के डिफैंस मिनिस्टर आए थे। उन्होंने हजारों की तादाद में आए लोगों के सामने उस एरिया में सैनिक स्कूल खोलने का एलान किया था। डिप्टी स्पीकर साहब, डिफैंस मिनिस्अर के मुंह से निकला हुआ भाब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने तारीख बतायी है कि उस दिन उन्होंने वहां पर एलान किया था। उन्होंने कहा था कि महेन्द्रगढ़ जिले के विकास के लिए सैनिक स्कूल खोला जाएगा क्योंकि वहां पर सैनिकों की बहुत ज्यादा तादाद है। उन्हौंने 5 करोड़ रूपये के अनुदान के घोशणा सैनिक स्कूल के लिए की थी। महेन्द्रगढ़ जिले में पाली खुडाना के पास इस स्कूल का निर्माण होना था। लेकिन मुख्य मंत्री जी से जब उस बारे में पूछा जाता है तो ये खड़े होकर कह देते हैं कि हम इस पर

पुनर्विचार कर रहे हैं। कभी किसी को मातन हेल भेजा जा रहा है तो कभी कहीं और भेजा जा रहा है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी हुकम सिंहः आन एं प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, जो बात मेरे लायक दोस्त ने बतायी है, उसी तरीके से कोई बात वहां पर नहीं हुई। नारनौल में इस रहत की कोई अनाउंसमैंट नहीं हुई थी। सैनिक स्कूल की जो बात इन्होंने कही है वह बिल्कुल निराधार है। (ाोर) यह सिर्फ रोहतक जिले के लिए भारत सरकार ने मंजूर किया है और रोहतक जिले में ही यह खोला जाएगा।

श्री राम बिलास भार्माः भाई हुकम सिंह जी को भाायद बातें याद नहीं रहती। मैं बडे ध्यान से अपनी बातें कहता हूं। इसीलिए मैंने तारीख बताई है कि इस संबंध में 4 सितम्बर 1983 को डिफैंस मिनिस्अर ने घोशणा की थी। वे उस दिन नारनौल आए थे। मेरे पास टेप है।

श्री उपाध्यक्षः भार्मा जी, अब आप कहेंगे कि मैं तो रैवेन्यू की डिमांड पर बोल रहा हूं। जिस विशय पर आप चर्चा कर रहे हैं वह तो डिफैंस का मामला है। आपके दिमाग में पता नहीं कितनी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं। रूल यह है कि आप आर्डर पेपर पर रखी गई किसी डिमांड पर बोल सकते हैं और उसमें डिफैंस की डिमांड नहीं है। Demand No. 4 ralates to Revenues.

Sh. Ram Bilas Sharma: What is revenue ? Revenue is the fund which is collected from the State and which is invested on the State. (Interruptions).

Mr. Deputy Speaker: This is not revenue. (Interruptions). रैवेन्यू का अर्थ यह नहीं है कि आप हर विशया पर बात करना भाुरू कर दें।

श्री राम बिलास भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, जो कागज इन्होंने पे ा किए हैं। इनको पढ कर सुनाने का तो कोई मकसद है नहीं। जो इनमें बंगलिंग है, वह मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। यदि आप इजाजत नहीं देते तो मैं बैठ जाता हूं। मैं आपके आदे ा को डिफाई नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष: भार्मा जी आप डिमांड पर ही बोलें। आप डिफैंस पर बोलने लग जाते हैं, लेकिन अपनी बात को छोड़ देते हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, आप बताएं कि किस तरीके से हम अपनी बात कहें। जब रैवेन्यू के संदर्भ में काई रैफरेंस आ जाए तो बात कहनी ही पड़ती है।

चौधरी हुकम सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांडज में डिफैंस की बात कहां है ? (विघ्न) ये फिर भी डिफैंस की बात उठा रहे हैं।

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, यह पैसा पक्षपातपूर्ण रवेये से खर्च हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब मैं डिमांड नं0 8 पर आता हूं जो कि भवन तथा सड़कों से संबंधित है। महेन्द्रगढ़ जिले में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिन पर छःछः इंच रोड़ी पडी हुई है। सारी सडकें टूटी हुई हैं। नै ानल हाईवे नं0 8 और 10 पर दूसरी स्टेटस की तरफ से जितना ट्रै िक आता है, वह नंगल चौधरी, दादरी से होता हुआ जम्मू और का मीर तक जाने लगा है। इन रोडज पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ गया है, लेकिन सडकों की हालत बहुत ही खराब है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप कभी भी उधर त ारीफ नहीं ले गए। सरकारी कर्मचारियों में से भी भाायद कोई अधिकारी सरकारी गाडी में बैठ कर उधर नहीं गया होगा। उस इलाके में आलू होता है, इसी उसी इलाके के रहने वाले हैं। एक सड़क कनीना से महेन्द्रगढ़ की तरफ जाती है। उस सडक पर कोई गर्भवती महिला बस मैं बैठ कर सफर नहीं कर सकती, बेचारी ही इधर उधर धक्के लगने से बहुत बुरी हालत हो जाती है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एग्जेजरे ान की बात नहीं कर रहा, मैं सही बात कह रहा हूं। हमारे साथ राजनैतिक आधार पर पक्षपात हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी यानि विपक्ष से संबंध रखता हूं। इसलिए कह रहा हूं। भाई इन्द्र जीत सिंह जी भी अपना दर्द सदन में कह गए हैं। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। महेन्द्रगढ़ जिला में सडकों की और बिल्डिंग्ज की बहुत ही बुरी हालत है, इन पर सरकार पैसा नहीं खर्च करती और जहां खर्च करने की जरूरत नहीं है वहां सरकार लाखों रूपया बरबाद कर

रही है। आदमपुर में पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम मर नहीं जाएंगें, महेन्द्रगढ़ जिला खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन यह बहुत बुरी बात है। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, इतिहास साक्षी है, अगर कोई न्याय की कुर्सी पर बैठ कर न्याय का अन्याय में बदलतना है तो उसका अंजाम ठीक नहीं होता। यह सडक का मामला है और हमारे सडकों के वजीर यहां बैठे नहीं हैं, एक दो दूसरे मंत्री बैठे हैं। इन मंत्रियों में कुछ मंत्री ऐसी भी हैं जिन के दिल में न्याय के लिए दर्द है। अगर इन सडकों का सुधार हो सकता है तो वे सुन लें और इन सडकों का सुधार करने की कोि ा ा करें। एक मुख्य सडक नारनौल से रिवाडी और रिवाडी से कनीना जाती है। इस सडक की हालत बहुत ही खस्ता है लोग दूसरी स्टेटस सै यहां आते हैं तो कहते हैं कि क्या यह हरियाणा प्रदे ा का हिस्सा है ? इसको देख कर ऐसा लगता है कि इस इलाके से तो राजस्थान अच्छा है।

श्री उपाध्यक्षः आपके दो मिनट बाकी रहते हैं, आप जल्दी वाइंड अप करें।

श्री राम बिलास भार्माः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी कट मो ान भी है। इसलिए मैं हर डिमांड पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आपका कट मो ान अभी आया नहीं, जब मेरे पास आयेगा तो देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्मा: मैंनें कट मो ान अपने हाथ से भिजवाया था, आपके पास पहुंचना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपके दो मिनट रहते हैं, जल्दी खत्म कीजिए।

श्री राम बिलास भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं0 15 पर बोलना चाहता हूं।

श्री नेकी राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, जो एजेंडा सदन में अंडर डिस्क ान है, ये उस पर न बोलकर हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं। ये अपने आपको भी बदनाम कर रहे हैं और स्टेट को भी बदनाम कर रहे हैं। (व्यवधान)

Sh. Ram Bilas Sharma: Is it a sustantial point of order ? यह खामखाह मुझे डिस्टर्ब करने की बात है। (व्यवधान) This is not poinit of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष: नेकी राम जी आप बैठ जाइए।

श्री नेकी राम: डिप्टी स्पीकर साहब, कोई दूसरी स्टेट का आदमी चाहे सड़क के रास्ते से आये, चाहे हवाई जहाज में बैठ कर आये, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हरियाणा को बदनाम करना ठीक नहीं है। गवर्नमैंट की गलत बातों को क्रिटिसाईज करना और गलती बताना आपका अधिकार है लेकिन

अगर आप हरियाणा को बदनाम करें, यह आपको भाोभा नहीं देता। (व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं0 15 सिंचाई के बारे में है। हमारे महेन्द्रगढ़ जिला में जवाहर लाल नेहरू कैनाल सिंचाई करती है .....

श्री उपाध्यक्ष: आप दो डिमांडज पर बोल चुके हैं। इस तरह से आप सारी डिमांडज पर नहीं बोल सकेंगे। एक एक डिमांड पर अगर आप एक एक घंटा लें तो ठीक नहीं है। आप जल्दी खत्म करें।

श्री राम बिलास भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको बता रहा था कि जवाहर लाल नेहरूा कैनाल के लिए और लिफ्ट इरीगे ान के लिए सरकार ने 7 करोड़ 68 लाख रूपए का प्रोवीजन 1983–84 के बजट में किया था। लेकिन बाद में इस एस्टीमेट को घटा क्र 2 करोड 64 लाख रूपए कर दिया गया। यह महेन्द्रगढ़ जिले के साथ बडा भारी अन्याय किया गया है। रावी ब्यास का पानी तो यह सरकार ले नहीं सकी, एस0वाई0एल0 को यह बहादुर सरकार खुदवा नहीं सकी और जहां बिजली से पानी थोडा ऊपर लिफ्ट करने की बात थी, वह भी नहीं होने दी। इसके लिए जो थोड़ा सा पैसाच रखा था वह भी सरकार ने काट दिया और वह भी बिना किसी कारण से काट लिया।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, कल भी और आज भी, ये जवाहर लाल नेहरू कैनाल के बारे में बार बार कह रहे हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि इसका पैसा बढ़ा दिया गया है और सप्लीमैंटरी एस्टीमेटस में पास हो गया है। जो कुछ ये बार बार कह रहे हैं, यह इररैलेवेंट है।

श्री राम बिलास भार्मा: जब पैसा आएगा, तब आपकी बात मान लेंगे। इस वक्त हमारे सामने नहर के लिए जो पैसा रखा था वह कटा है। (घंटी) यह सरकार हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया बरत रही है। चौधरी कटार सिंह जी खास तौर पर कहा है कि इस नहर के लिए पैसा दे दिया है, अच्छी बात है लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वे किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें। (धन्यवाद)

चौधरी हुकम सिंह (साल्हावास): उपाध्यक्ष महोदय, बजट 1984–85 की अनुदान मांगें सदन में रखी गई है। मैं इनका समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। इसके साथ ही साथ मैं अपने इलाके जिला रोहतक के बोर में चन्द बातें सदन में में कहना चाहता हूं। डिमांड नं0 8 भवन और सड़क निर्माण के लिए जो पैसा इस मांग के तहत रखा गया है, यह साल भर में खर्च किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस रूपए में से जिला रोहतक के लिए ज्यादा से ज्यादा रूपया रखा जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, आपको पता है, हरियाणा सरकार को भी पता है और भारत

सरकार को भी पता है कि पिछले साल फ्लड की वजह से इस जिला में किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए जो मांग सदन में रखी गई है इसमें से ज्यादा से ज्यादा पैसा रोहतक जिला में खर्च किया जाए ताकि लोगों की हालत अच्छी हो सके। मेरे हल्के साल्हावास में 10–12 गांव हैं जो ढाणी नाम से जाने जाते हैं इन को गांव का दर्जा नहीं दिया गया। इन में चार पांच गांव ऐसे हैं जिनको सड़कों से नहीं मिलाया गया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको बड़ी सडकों से मिलाया जाए। एक दो सडकें ऐसी हैं जिनको बनाने से सीधी रास्ता बन जाता है। एक सडका का नाम ढलानवास से झामरी। यह 4–5 किलोमीटर का टुकड़ा है। इसके बनने से जिला भिवानी और जिला रोहतक का सीधा रास्ता बन जाता है और वहां के लोगों को दादरी मंडी में जाचने के लिए बडी सुविधा होती है। दूसरी सड़का का नाम है अकैड़ी से सुनदरहटी और तीसरी सडक का नाम है खोरड़ा से मकड़ानी। इन सड़कों को भी यदि बनवा दिया जाए तो बहुत अच्दी बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग 15 पर बोलते हुए मैं आपकी मारफत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नहर जे0एल0एन0 और जे0एस0बी0 (झज्जर सब ब्रांच) रोहतक जिले की सीमाओं के बीच में से गुजरती हैं। ये मेरे हल्का साल्हावास के बीच में से भी गुजरती है। सीपेज की वजह से वहां की जमीन का बहुत नुक्सान होता है। भाई ओम प्रका ा जी ने इस संबंध

में एक क्वै चन भी किया था। सरकार ने उसके बारे में काफी अच्छे कदम उठाए हैं और कोि ा ा भी की है कि आगे के लिए रोहतक जिले को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि जितना भी पैसा रोहतक जिले को दिया जाए उतना ही थोडा है। वहां जो सड़कें खराब हुई, स्कूलों की बिल्ंडिग्ज खराब हुई और विकास के काम जो हमारी सरकार करना चाहती थी, वह न कर पाई उसका मेर कारण नहर जे0एल0एन0 और जे0एस0बी0 हैं। इन दोनों नहरों की वजह से उस इलाके में सीपेज और लीकेज रहता है तथा किसान तबाह रहता है। आई0पी0एम0 साहब ने यह माना है कि 496 एकड़ जमीन अब भी वहां ऐसी है जहां पानी है। तो मै। आपकी मारफत सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस किसान की जमीन आज तक खाली पडी है जिसमें बीजाई नहीं हो सकती है, उसकी आर्थिक हालत कमजोर हो गई है। अगर वहां उस नहर का कुछ प्रबंध कर दिया जाए तो सरकार का रोहतक जिले पर बहुत बडा एहसान होगा और वहां के किसान की हालत भी ठीक होगी। मेरे हल्के में आई0पी0एम0 साहब गए थे और मौके पर इन्होंनें कहा था कि यहां की जमीन अच्छी है और किसान बडा मेहनती है। अगर वहां ज्यादा पानी दे दिया जाए तो किसान ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है। हरियाणा सरकर ने महेन्द्रगढ़ कैनाल से झांसवा माईनर मंजूर की है लेकिन उस पर अभी काम भाुरू नहीं हुआ है। मैं आपकी मारफत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसी साल उस पर काम भाुरू करवाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी साल 14 जनवरी को आदरणीय चौधरी भाम ेर सिंह जी गांव बिरोहड़ में भी गए थे। वहां पीने का पानी नहीं था। वाटर सप्लाई टैंक भी सूखा पडा था। इन्होनं मौके को देखा था और कहा था कि नेहर जे0एल0एन0 से खांचरौली तक लोगों की मांग के मुताबिक माईनर बना दी जाएगी। इसकी लैंथ लगभग 10–12 किलोमीटर की होगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस माईनर को जरूर बनवाया जाए क्योंकि आज 15–20 गांव पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं0 18 के संबंध में मैं कहूंगा कि प ाुओं के हस्पताल जितने अधिक खोले जाएं उतने ही कम हैं। आदमी अगर बीमार हो जाए तो उसे बस में, ट्रक में या कार में बैठा कर ले जाया जा सकता है लेकिन बीमार प ाु को बस, कार, ट्रक या ट्रैक्टर में नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार इसने हर गांव को सडक से मिलाया है उसी तरह से सारे हरियाणा में हर तीन चार गांवों के लिऐ प ाुओं का एक हस्पताल खुलवा दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदे ा कृशि प्रधान है। इसमें प ाुपाल काफी ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए यहां जितने प ाु हस्पताल खोले जाएं उतने थोडे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग 22 के बारे में मैं आपकी मारफत मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि छोटे किसान को जितना कर्जा दिया जाए उतना ही अच्छा है। अगर किसान के पास साधन होंगे,

पैसा होगा तो वह ज्यादा अनाज पैदा करेगा। मैं एक दो सुझाव भी सरकार को देना चाहूंगा। जो पैसा 10–12 साल से किसान को या मजदूर को इस विभाग द्वाराच दिया गया था उसे लौटाने में उसे अब कुछ दिक्कत है। उस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि या तो उसका ब्याज माफ हो जाए या आधी रकम या पूरी रकम ही माफ हो जाए। ऐसा होने से उसको बहुत राहत मिलेगी। इन भाब्दों के साथ मैं इन सभी मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले मांग नं0 22 पर जो सहकारिता विभाग से संबंधित है, अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय ने इस मांग के द्वारा 51936700 रूप्ये रैवन्यू एक्सपैंडिचर के लिए ाऔर 105261780 रूप्ये कैपिटल एक्सपैंडिचर के लिए मांगें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो 51936700 रूपये मांगे हैं, ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए हैं। इसमें डिवैल्पमैंट की कोई बात नहीं दहै। नाम तो वैसे प्लान का है लेकिन यह सारी रा ि ा स्टाफ भर्ती करने के लिए रखी गई है। यह उचित नहीं है। ये किस प्रकार से प्रांत की तरक्की कर पाएंगे, किस प्रकार से कोआप्रेटिव मूवमैंट को आगे चला पाएंगे, यह बात समझ से बाचहर है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा में सहकारिता विभाग में पिछले दो तीन साल से स्टाफ भर्ती करने में बहुत

अनियमितताएं बरती गई हैं। इस संबंध में कई कमेटीज की रिपोर्टस आई हुई हैं कि किस प्रकार से गलत तौर पर पैसा खर्च किया जाता रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान न्यू एक्सपैंडिचर फाचर दि ईयर 1984–85, वौल्यूम 1, के पेज 74–75 की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां जो पैसा रखा गया है। यह सारा स्टाफ के लिए रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, कल एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि किस प्रकार से हमारे मंत्री और उनके भाई बंधु, रि तेदार आदि कोआप्रे ान डिपार्टमैंट से लोन लेकरव इस प्रांत की तरक्की करने में जुटे हुए हैं। (विघ्न) कल इन्होंने बताया है कि अत्ता उल्लाह खां ने जो कि एक मंत्री के पुत्र हैं, 491973 रू0 25 पैसे का गबन किया है। (ाोर)

श्री जगदी ा नेहराः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कोआप्रे ान डिपाटमैंट की मांग नं0 22 पर बोल रहे हैं। इन्होंने एक मंत्री जी के लड़कै का नाम लिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन्होंने जो नाम लिया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः अगर वह उनका लड़का नहीं है ते वे बता दें। (ाोर)

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री द्वारा।

12.00 बजे।

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री (चौधरी रहीम खान): डिप्टी स्पीकर साहब, श्री हीरा नन्द आर्य जी जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे लड़के ने ऐसा किया है, यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पहले तो जो इनको इन्फर्मे ान मिली है उस बारे मे मालूमात करनी चाहिए थी कि सही बात क्या है ? इन्हें यह इन्फर्मे ान किस ने दी है। ..... यह कै ा बुक की एन्टरी है। लोन बैंक देता है। कै ा पेमैंट कै ि ायर करता है। वह इलजाम गलत है। किसी किस्म की हेराफेरी नहीं हुई। (ाोर एवं विघ्न) जिसको लोन दिया जाता है उसका फोटो भी साथ लगा होता है। (ाोर एवं विघ्न) लोन चैक द्वारा दिया जाता है।

चौधरी भाकरूला खान: डिप्टी स्पीकर साहब, यह रिकार्ड की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: जिन महानुभावों के नाम लिये गये हैं, ये रिकार्ड न किये जायेमं। श्री हीरा नन्द आर्य जी आप को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी रहीम खान: कै ा बुक की ऐन्टरी की बात है और कोई बात नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। सहकारिता मंत्री जी के जवाब में बताया गया है कि अत्ता उल्लाह खां ने चार लाख रूपये का गबन किया है। उनके खिलाफ इल्जाम है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी रहीम खानः कै ा बुक की ऐन्टरी की बात है और कोई बात नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पकर साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं। सहकारिता मंत्री जी के जवाब में बताया गया है कि अत्ता उल्लाह खां ने चार लाख रूपये का गबन किया है। उनके खिलाफ इल्जाम है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। (ाोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः उस वाल का जवाब कल आ चुका है। अब आप डिमांडज के बारे में जो बात कहना चाहते हैं, वह बात क्यों नहीं कहते। बार बार कोआप्रटिव के बारे में वही बात कर रहे हों। वह मामला तो खत्म हो चुका है। (ाोर एवं विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः अगर वह इनका लड़का नहीं है तो ये डिस ओन कर दें। (ाोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप डिमांडज पर बोलें।

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, सहकारिता विभाग कोआप्रेटिव फार एम्बजैलमैंट नजर आ रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने और भी कई फैसले किये हैं। हो सकता है सहकारिता मंत्री महोदय को उन बातों का ध्यान न हो। लोहारू में कोआप्रेटिव वूलन मिल बनाने की प्रोपोजल थी। पता नहीं किस कारण से ड्राप कर दी गई।

चौधरी रहीम खानः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। यह गबन का मामला नहीं है। कै ा बुक की ऐन्अरी का मामला हे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): क्या इनके लड़के को कर्जा लेने का अख्तियार नहीं है ? (ाारे एवं विघ्न)

श्री हीरा नन्द आर्यः यह कर्जा नहीं है, गबन का केस है। (ाोर एवं विघ्न)

चौधरी रहीम खानः आजकल कर्जा फोटो सिस्टम से दिया जाता है।

वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर

चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री हीरा नन्द आर्य: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय का ध्यान लोहारू के वूलन मिल की और दिलाना चाहूंगा। लोहारू के इलाके के पास में ही राजस्थान का भी इलाका पडता है। वहां से रा मैटीरियल बडी आसानी से मिल सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो पहले वूलन मिल लगाने की प्रोपोजल थी, उस पर फिर से विचार किया जाये। पहले तो पता नहीं वह फाईल कहां चली गई थी। इसलिए फिर से हैफेड की ओर से वूलन मिल लगाये जाने के बारे में विचार किया जाये। इस मिल के लगने से लोगों का बडा भारी हित हो सकता हैं बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। जो फाईल इस मिल के विशय में चालू थी उसे फिर चालू किया जाये ताकि उस इलाके के लोगों का भला हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, लैंड मौर्गेज बैंक की भााखा सिवानी में खोल दी है परन्तु लोहारू में नहीं खोली गई है। मुझे सिवानी में खोलने के बारे में कोई एतराज नहीं, वहां पर सिर्फ एक करोड़ रू0 की डीलिंग हैं, वहां पर तो इनडिपैन्डैंट भााखा खोल दी लेकिन लोहारू में लोगौं ने चार करोड रू0 के एडवांस और लोन लिए हुए हैं, वहां भााखा क्यों नहीं खोली गई। लोहारू से सिवानी 70 किलोमीटर के फासले पर है। लोहारू से सिवानी लोगौं को जाना पड़ता है। सिवानी के अदंर चाहे आप कोआप्रेटिव बैंक खोल दें मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन लोहारू में क्यों नहीं भााखा खोली गई। इससे तो अच्छा आप भिवानी में

खोल देते तो भी लोगों का भला हो सकता था। बार बार आप की तरफ से आ वासन दिया गया लेकिन बात बीच में ही रह गई। अगर यह चार करोड़ और एक करोड रू0 का मामला गलत हो तो मुझे गलत साबित कर देनां

डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे प्रांत में जिस प्रकार का वातावरण आज सहकारिता विभाग में हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सहकारिता विभाग में अनाप भानाप खर्च हो रहा है। सरकार एडमिनिस्ट्रे ान को टोन अप करें। हांसी स्पिनिंग मिल कोआप्रेटिव सैक्टर में है, जिसमें लाखों और करोड़ों रूपये का घपतला हुआ है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा। हो सकता है उनके काबू से बाहर की बात हो और उनके ऊपर कोई और हो जिनके कारण से यह हो रहा हो। डिप्टी स्पीकर साहब, हांसी स्पिनिंग मिल हैफेड द्वारा सन 1977 में पांच करोड़ 50 लाख रूपये लगा कर लगाया गया था। उसमे भ्रुरू के साल में बसी लाख रूपये का फायदा हुआ था लेकिन आज चार करोड के घाटे में चल रहा है। हो सकता है वहां पर न्यायोचित ढंग से काम न हो रहा हो। सरकार को सोचना चाहिए कि यह चार करोड का घाटा क्यों हो रहा है ? यह मिस मैनेजमैंट की वजह से हो रहा है। वहा ंपर पक्षपात ढंग से भर्ती हो रही हैै। सहायक फिटर के पद के लिए राम निवास भार्मा का इन्टरव्यू लिया गया। उस कैन्डीडेट को सात सौ रूपये महीनें पर फिटर के पद पर नहीं लिया गया लेकिन 1500 रू0 पर और किसी पद पर लगा

दिया। यह हालत है वाहं पर मिस मैनेजमैंट की। पास के मामले में भी हेराफेरी की जाती है। इस संस्था के नियमानुसार रूई, हैफेड से खरीदी जानी चाहिए, जिससे किसानों को सीधा फायदा पहुंच सके। पहले रूई हैफेड से ही खरीदी जाती थी लेकिन बाद में खुल बाजार से खरीदी जाने लगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस के सामने फैक्टस एण्ड फिगर्ज दे सकता हूं जिस कारण से यह नुक्सान आ है। यहां स्टाचेर के सामान खरीदने में भारी घपले किये जाते हैं। ऐसी फर्मों से सामान खरीदा जाता है जिसका कोई नामोनि ाान नहीं है। 2.9.1980 को बिल नंबर 11190, 2.9.1980 को बिल नंबर 1191 तथा 19.9.80 को बिल नंबर 11485 19.9.80 को बिल नंबर 11486 के तहत मोहन यूनिवर्सल दिल्ली से सामान खरीदा हुआ दिखाया गया है जब कि ये बोगस बिल हैं। ये फर्में बोगस हैं अगर आप रिकार्ड से देखें तो सच्चाई का पता लग जायेगा। यह रिकार्ड बोगस बनाया हुआ है। अब समय थोडा है तो सच्चाई का पता लग जायेगा। अब समय थोडा है इसलिए सारी बातें नहीं कह सकता। इसी तरह से दस नम्बर धागा अगर 80/– रू0 के भाव से खरीदा जाता है तो वही धागा कंडम बता कर 70 रूपये के भाव से बेच दिया जाता हैं इस वजह से मिल को लाखों रूपये का नुक्सान हुआ है। लुधियाना डिपो पर एक गांठ ही लापता हो गई। जो इसी हांसी स्पिनिंग मिल से हुई है। मिल द्वारा तामिलनाडू में करूड़ भाहर की एक पार्टी को एक ट्रक धागे का 151820 रूपये में बेचा गया। इसी तरह से लोहे की पत्तची का स्केंडल हुआ है। सन 1982–83 में 200

क्विंटल लोहे के पत्ती एक फर्म दलीप सिंह मनसा राम को बहुत सस्ते भाव पर करीब 100 रूपये क्विंटल में बेची गई और यही माल पहले करीब 310 रूपये प्रति क्विंटल बेचा गया था। करीब 25000 रूपये का नुकसान हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। मेरे बार बार कहने पर भी मेरी बात की ओर सिंचाई मंत्री तथा मुख्य मंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हरियाणा में दो लाख तीस हजार लोग टयूबवैलज से सिंचाई कर रहे हैं। जब किसी किस्म की राहत देने की बात आती है तो इन 2 लाख 30 हजार परिवारों को राहत नहीं दी जाती। वे पुराने जमाने से ऐसे चले आ रहे हैं। जो ये लोग टयूबवैल्ज से सिंचाई करते हैं, इनको भी खराबे के समय में सहायता दी जानी चाहिये। उनको भी सुविधा दी जानी चाहिये क्योंकि इनकी फसल भी खराब हो जाती है। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि उन्हें सहायता दी जाए चाहे इसके लिये उसको आबियाना टैक्स के मामले में जो एक्ट बना हुआ है। उसमें अमैंडमैंअ भी क्यों न करनी पड़े। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि मोघों का साईज अगर दूसरे इलाकों में दो ईंच का है तो हमारे रेतीले इलाके में तीन ईंच का होना चाहिये। आई0 पी0एम0 साहब ने एक बात यह कही थी कि लोहारू सिवानी कैनाल में पानी पहले की अपेक्षा बढा है। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, वह अपनी रिपोर्ट देख लें। इनकी सरकार आने के बाद यह हो सकता है कि पहले की अपेक्षा

रिपोर्ट देख लें। इनकी सरकार आने के बाद यह हो सकता है कि पहले की अपेक्षा बढा हो लेकिन 1978–79 में इस नहर द्वारा जितनी सिंचाई हुई थी, जितना रकबा सैलाब हुआ था, क्या उससे भी बढा है। निश्चित रूप से नहीं बढा है। हमारे राज्य मंत्री के एक बेटे और दामाद इस महकमे की सेवा कर रहे हैं। मैं पूरे फैक्टस एण्ड फिगर्ज के साथ यह बात कह सकता हूं कि बिना टैंडर इन्वाईट किये ही काम किये जाते हैं। अगर मैं उन स्टेट मंत्री महोदय का नोट लूंगा तो यहां पर वैसे ही भाोर मचेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि आप उस लड़के और दामाद को जो सरकार की सेवा कर रहे हैं, कौन सा पुरस्कार देना चाहते हैं। (घंटी) (व्यवधान व भाोर) अच्छा जी धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अब हमारी पार्टी का नम्बर है।

श्री उपाध्यक्षः मेरे पास लिस्ट हैं। मैं उसके हिसाब से सबको टाईम दे रहा हूं। कुरूक्षेत्र और करनाल जिलों का एक भी मैंबर अब तक नहीं बोला है। अब राम सिंह जी बोलेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह बात आपकी ठीक है कि उनका थोडा सा ज्यादा हक पडता है। (व्यवधान व भाोर) मेरी गुजारिश यह है कि तकलीफ तो अपोजीशन के एम0एल0एज0 को है। अपोजीशन की कांस्टीच्यूएंसीज इग्नोर होती हैं। इनकी तो मौज ही मौज है।

श्री अमर सिंहः प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। इस हाउस के तमाम मैम्बरान बोलना चाहते हैं क्योंकि हरेक ने अपने अपने हल्के की डिमांड रखनी है। दोनों तरफ के मैम्बरान बोलना चाहते हैं। इसलिये पार्टी के मैम्बरान के हिसाब से टाईम अलाट कर दीजिये ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर्ज बोल सकें।

मास्टर राम सिंह (रादौर–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने हल्के रादौर की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। डिमांड नं0 4, रैवेन्यू पर मैं सबसे पहले बोलूंगा। हल्का रादौर के अंदर 21 पटवार सर्किल है। किसी भी जिला के अंदर एक हल्के के अंदर इतने ज्यादा पटवार सर्किल नहीं हैं। मैं यह चाहूंगा कि इन सब तहसील को बढा कर पूरी तहसील बना दी जाये। जितनी सुविधायें हमको मिलनी चाहियें, वह हमें मिल नहीं पा रही। मैं यह भी कहूंगा कि हल्का रादौर में बारि ा होने के कारण काफी सड़कें टूटी पड़ी हैं। उन सड़कों की मुरम्मत होनी चाहिये। मेरे हल्के के अंदर अभी भी बहुत से ऐसे गांव है जहां पर सड़कें नहीं पहुंची है।। पटाल माजरा, गंगोरी गुढी के अलावा और भी 10–12 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक लिंक रोडज नहीं बनी हैं। मेरा कहना यह है कि इन गांवों को भी लिंक रोडज के साथ मिलाया जाना चाहिये। डिमांड नं0 15 इरीगे ान के बारे में हैं इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। इसी प्रकार से अगर ग्राउन्ड वाटर की एक्सप्लायटे ान होती रही

तो 5–10 साल के अंदर ही हमारे इलाके में मोटरें काम करना बंद कर देंगी। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले तो रादौर हल्का में कोई कैनाल खोदी जाये। बे ाक इस बात का कोई प्रबंध कर लिया जाये कि जो दादुपुर को कैनाल जाती है, वह मेरे हल्का रादौर में से गुजरे ताकि वहां पर इरीगे ान का कोई न कोई प्रबंध हो सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि घनौरा एस्टेट का जो कंट्रोल है, वह एक आदमी के हाथ में दिया जाना चाहिये। (व्यवधान व भाोर)

श्री मनफूल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, जब इनके वहां बैठकर भी काम नहीं होते तो माननीय सदस्य को इधर आ जाना चाहिये। (व्यवधान व भाोर)

मास्टर राम सिंहः मैं घनौरा एस्टेट के कंट्रोल के बारे में कह रहा था कि यह एक ऐसी ड्रेन है जो वैस्टर्न यमुना कैनाल में से निकलती है और खाद के एरिया घनौरा में उसे यमुना में डाला गया है। उसका जो हैड कंट्रोल है, वह तो यमुना नगर के एक्स0ई0एन0 के पास है और सप्लाई का करनाल एक्स0ई0एन0 के पास है। इस तरह से ये दोनों ही आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। न तो दोनों से हैड कंट्रोल ही हो सकता है और न ही उससे सप्लाई ठीक हो सकती है जिसकी वजह से बरसात के दिनों के अंदर वहां पर काफी पानी खडा हो जाता है और फसलों का तबाह कर देता है। मैं आई0पी0एम0 साहब से यह दरखास्त करता हूं कि घनौरा एस्टेट का कंट्रोल एक

ही एक्स0ई0एन0 के पास होना चाहिये। इससे कम से कम 10–12 गांवों को फायदा होगा। जब बरसात आती है तो कई गांवों में पानी खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से लोगों की हर साल फसल मारी जाती है। पिछली बार भी मैंने कहा था, मेरे हल्के में एक कानौं गांव है, वहां पर ड्रेन खोदी जानी चाहिये ताकि कम से कम वहां की 400–500 एकड भूमि को बचाया जा सक्रेन खोदी जानी चाहिये ताकि कम से कम वहां की 400–500 एकड भूमि को बचाया जा सके। ठसका गांव में भी छोटे छोटे जमींदार हैं, उनकी भी फसल मारी जाती है। अगर वहां पर ड्रेन खोद दी जाये तो उससे गरीब किसानों को कुछ भला हो सकता है। उनकी कुछ फसल बच सकती है। अब मैं डिमांड नं0 17 जो कि एग्रीकल्चर के बारे में है, कुछ कहना चाहूंगा। जैसे कि सबको पता है मेरा हल्का रादौर कुरूक्षेत्र जिले के अंदर आता है। अगर कुरूक्षेत्र जिले और रादौर हल्के को पूरी चीजें उपलब्ध करायें जैसे कि बिजली खाद पानी और अच्छे बीज तो हम और जयादा पैदावार कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि दोनों जिलो कुरूक्षेत्र और करनाल को ही अगर ये चीजें मुहैया करने की पालिसी बना ली जाये तो हम सारा हिन्दुस्तान तो क्या सारे संसार में सबसे अधिक अनाज पैदा करने वाले हो सकते हैं अब मैं अगली डिमांड नु0 18 पर कुछ कहना चाहूंगा।

प्रो0 सम्पति सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे भाई राम सिंह जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। आप एक बात नोट कर लें

कि वे बड़े इमो ानल होरक अपनी बात कह रहे हैं उनकी आंखों से पानी आ रहा है। हमारे भाई बैठे बैठे उनसे मजाक कर रहे हैं। इस बात का तो कुछ ख्याल रखें कि उनको बोलते हुए तकलीफ हो रही है। (व्यवधान व भाोर)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिये।

मास्टर राम सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं0 18 एनीमत हस्बैन्डरी की है। पिछली बार गरीब लोगों को और हरिजन को भैंस और झोटा बुग्गी के लिए लोंज दिए गए। आजकल भैंस पांच छः हजार रूपए की आती है। जब कभी किसी गरीब आदमी की भैंस बीमार हो जाती है तो उसको बडी भारी तकलीफ होती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्टौकमैन सैंटर हर हल्के में खोला जाए। इस वक्त हालत यह है कि बहुत कम स्टौक मैन सैंटर खुले हुए हैं पिछली बार मंत्री जी ने कहा था कि स्टौकमैन सैन्टर्ज खोले जाएंगे लेकिन वे खोले गए नहीं। मैं आपके माध्यक से सरकार से दरखास्त करना चाहता हूं कि इस साल रादौर में स्टौकमन सैंटर खोला जाए। हमारे यहां के लोग गरीब और मेहनती हैं। अगर उनकी पांच छः हजार की भैंस बीमारी की वजह से मर जाती हैं या दूध देना छोड़ देती है तो गरीब आदमी का बहुत नुक्सान होता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी भागी राम। भागी राम जी आप दस मिनट से ज्यादा न बोलें।

चौधरी लीला कृश्णः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे न तो गवर्नर ऐड्रैस पर बोलने दिया गया और न ही बजट पर बोलने दिया जा रहा है। मेरे साथ सोतली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। होना तो यह चाहिए कि जो नया मैम्बर है उसको बोलने के लिए पहले टाईम दिया जाए। लैकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्षः मैं आनरेबल मैम्बर्ज से निवेदन करूंगा कि बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं और अगर इस तरह से अपनी मर्जी से, जबरदस्ती बोलने की कोि ा ा करेंगे तो सभी मैम्बर्ज को बोलने का समय नहीं मिल पाएगा। कोई कहता है कि मेरे साथ सोतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी बात नहीं है। बोलने वालों की लिस्ट मेरे पास हैं पार्टी की स्ट्रैंथ देखकर ही बोलने के लिए कहा जाता है। मेरा निवेदन है कि हमें हाउस का डैकोरम रखना चाहिए।

श्री भागी राम (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले डिमांड नं0 4 जो रैवेन्यू की है उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब भी बजट पे ा होताहै या गवर्नर ऐड्रैस पे ा होता है तो इनमें सरप्लस जमीन की चर्चा होती है और कहा जाता है कि इतनी सरप्लस

जमीन गरीब लोगों में हरिजंज में दी गई है और इतनी जमीन आइंदा दी जाएगी। सरकर तरह तरह के वायदे करती है कि कमजोर वर्ग के लोगों को, हरिजंज को और गरीब लोगों को जमीन देगी। उपाध्यक्ष महोदय, रैवेन्यू मिनिस्टर सिरसा जिले के हैं और इनको पता है कि जमीन किसी को अलौट नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, सरप्लस जमीन क्यों नहीं अलौट होती, इसका कारण यह है कि जिन लोगों की सरप्लस जमीन है वे सभी कांग्रेस के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। सरकारी पक्ष यानी कांग्रेस (आई) के साथ हैं। इसलिए उनकी जमीन अलौट करने की किसी अफसर की हिम्मत नहीं है। चार पांच साल हो गए मेरे हल्के में कुछ गरीब हरिजंज को जमीन अलौट हुइ थी। वे लोग कि तें भी भर रहे हैं। उन्होंने इस सरप्लस जमीन के लिए अपनी झुग्गी झोंपड़ियां बेच दीं लेकिन उनको उन जमीनों का कब्जा नहीं मिल रहा है। इसी तरह डिप्टी स्पीकर साहब, ओले गिरने से जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको कम्पनसे ान देने की बात है। इस बारे में मैंने एक काल अटैं ान मो ान दिया था और मंत्री महोदय जो सिरसा जिले के हैं। उन्होंने कह दिया कि एक हजार एकड़ में ओले गिरे थे। वहां के डी0सी0 ने टेलीफोन किया और मंत्री जी ने यहां जवाब दे दिया कि एक हजार एकड़ में ओले पड़े हैं। वे गांव हैं– धनुर, जोतड़, सुल्तानपुरिया, नानुवाना, बालासर, बडौला वाला, जगमलेरा, दमदमा, मगालिया, मैहमूदपुरिया, तलवाड़ा, बैरवाला, ठोबरिया, मिर्जापुर, झाहरड झाहरडवाली, चाम्बल, बनसुदार, खेरका, पंजवाना, सेबुपुरिया, जोधपुरियां,

मैजोडिला इत्यादि। दो हजार एकड़ जमीन तो अकेले तलवाड़ा गांव की है जहां पर ओले पड़े हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि कुल एक हजार एकड़ में ओले पड़े हैं। मैं अभी अपने गांव में होकर आया है। गांव वाले ि ाकायत कर रहे थे कि पटवारी कह रहा है कि पहले मेरी सेवा करो। यह सही बात है। पहले पटवारी को खु ा किया जाए तो वह गिरदावरी करेगा और उसके बाद पता नहीं किस किसको खु ा करना पड़ेगा। ढांडा साहब को सवेरे जवाब दिया जा रहा था कि ओलों का कम्पवनसे ान दिया जा रहा है। तीन चार साल पहले ओले पड़े थे लेकिन अब कहा जा रहा है कि पैसे दे रहे हैं। लोगों का नरमा खराब हो गया लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। भगवाड़िया जो सवेरे बता रही थीं कि फैक्टरी वालों को पन्द्रह पन्द्रह लाख की सबसिडी दी जा रही है।

श्री उपाध्यक्षः आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

श्री भागी रामः मैं डिमांड नं0 4 रैवेन्यू पर बोल रहा हूं। किसान की कपास खराब हो गई, नरमा बरबाद हो गया, उसको एक पैसा नहीं दिया जाता। डिप्टी स्पीकर साहब, आज ही एक बिल पे ा हुआ था जिसमें कहा गया है कि एम0एल0ए0 का डेली अलाउंस 50/– रूपए से 75/– रूपये कर दो। मंथली अलाउंस तीन सौ स्पए से पांच सौ रूपए कर दो। लेकिन जब किसान की

बात आती है तो सरकार की तरफ से कोई बात नहीं होती कि किसान को इतना पैसा दिया जाये। इस हाउस में एम0एल0ए0 बैठकर सिर्फ अपना पैसा बढ़वा लेते हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः क्या आपने उसको अपोज किया था ?

श्री भागी रामः जी हां। मैंने अपोज किया था।

श्री भले रामः आन एप्वायंट आफ आर्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये उसकी मुखालफित करते हैं तो ये लिख कर दे दें कि मैं नहीं लूंगा। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री भागी रामः अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक ओटू झील है। वह झील हजारों एकड़ में है। फल्ड का पानी उस औटू झील से होकर राजस्थान को जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर उस ओटू लेक की खुदाई हो जाए तो उसमें जो पानी इकट्ठा होगा, उस पानी से दो महीने तक फसलों को पानी दिया जा सकता है। लेकिन उस लेक की खुदाई यह सरकार नहीं करवा रही है, कितने दुख की बात है। इसी तरह से मेरी कांस्टीच्यूएंसी में चंचाल और मलेका माईनर्ज हैं, जो कि मंजूर भाूदा हैं लेकिन इस बारे मे मंत्री महोदय ने डिपार्टमैंट को यह नोट लिखकर भेज दिया कि इनके निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। (ोम भोम की आवाजें) इसी तरह से सहकारिता के बारे में, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस विभाग के तहत डेरी डिवैल्पमैंट फैडरे ान हैं। इस को लोगों ने दूधा बेचा

था लेकिन आज तक लोगों को उस दूध के पैसे नहीं दिये गये, कितनी बुरी बात है। अभी इस हाउस में एक और बात चल रही थी कि सरकार हरिजनों को और गरीब वर्ग के लोगों को बैंकों से कर्जा दिलवा रही है। डिप्टी स्पीकर साहब, उस स्कीम के तहत एक हरिजन 500 रूपये तक का कर्जा ले सकता है लेकिन 500 रूपया हरिजन को नहीं मिलता है। वह लाखों रूपया ये खा गये। (ाोर) इसी तरह से भर्ती की बात भी यहां पर हुई कि किस तरह बिना एम्पलायमैंट के हरियाणा में नौकरियों में भर्ती की जा रही हैं। इसी सिलसिले में मेरा एक क्वै चन भी था जिसका मंत्री जी ने जवाब दिया था। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः भागी राम जी आप अपनी बात कहें इधर उधर की बात न करें।

श्री भागी रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एम्पलायमैंट की बात कर रहा हूं कि किस तरह से बिना एम्पलायमैंट ऐकसचेन्जिज के अनियमितताएं करके भर्ती की जा रही हैं। कितना बुरी हाल है।

इससे अगवा प्वायंट मैं भवन तथा सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे हल्के में 10–11 ऐसी सड़कें हैं जो कि मंजूर भाुदा हैं लेकिन वह बनाई नहीं जा रही हैं इनके नाम इस प्रकार से हैं:

(1) करीवाला से भााहनावाला (2) ऐलनावाबाद बेरवाला से घानी मोजू (3) घानी सतनाम सिंह से घानी आ ाा सिंह (4)

सिरसा रानिया रोड से नारायण सिंह (5) सिरसा रानिया रोड से मोहर सिंह तथा समुन्द्र सिंह (6) अमोल से संगत पुरा (7) अमोली से धमोरहा (8) रानिया जीवन नगर रोड से रामपुत (9) दमदमा से धर्मपुरा और (10) ऐलनाबाद से मोजू खेड़ा और ढानी प्रताप सिंह वगैरह वगैरह। इसलिये मेरा आपके द्वारा सरकार से निवेदन है कि इन सड़कों का निर्माण जल्दी से जल्दी भाुरू किया जाए इनमें से एक सड़क तो ऐसी है जहां पर से ईटें तक भी उठवा ली गयीं।

इसके साथ साथ मैं एक और बात भवनों से संबंतिध बतला रहा हूं। सिरसा एक जिला है, उसमें एक हस्पताल बन रहा है और तीन चार सालों से उसका काम भाुरू है लेकिन वहां पर भेदभाव का तरीका अपनाया गया है। आदमपुर और फतेहाबाद में हस्पतालों की बिलिडंगें बाद में सैंक ान हुई थीं लेकिन वहां पर यह काम पहले कर दिया गया है। इस तरह से सिरसा के साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। इसलिये मैं इन डिमांडज का विरोध करता हूं।

बहन भाान्ति देवी (करनाल): आदरणी उपाध्य महादेय, इस समय 1984–85 के बजट के अन्तर्गत अनुदानों पर विचार विम र्ा चल रहा है। सबसे पहले मैं सड़कों के विशय मैं अपने विचार रखना चाहती हूं। आप जानते हैं कि सड़कों का जाल सारे दे ा में फैला हुआ है और हमारा प्रदे ा इस मामले में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर आया हैं फिर भी मैं यह कहना चाहती हूं कि भाहरों में तो सडकें बनी हुई हैं लेकिन गांवों की तरफ जो सड़कें

रह रही हैं उनकी तरफ सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिये ताकि गांवों को भी आपस में मिलाया जा सके। अधिक से अधिक सड़कौं से ही किसी प्रदे ा का विकास निभ्रर करता है क्योंकि मंडियों का सामन इधर उधर से लाने के लिये सड़कों का निर्माण बहुत ही (इस साथ सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री इन्द्र सिंह नैन पदासनी हुए।) आव यक हैं। एक दूसरे गावं में आना जातना होता है, इसलिये जब तक सड़क्रों का पूरी तरह से निर्माण न होगा, तब तक लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होंगी क्योंकि सड़कें ने होने के कारण लोगौं को काफी घूमकर, लम्बा चक्कर लगा कर और समय नश्ट करके आना जाना पड़ता है। इसके साथ साथ मैं सरकार से एक और निवेदन करूंगी कि मेरे हल्के करनाल मैं एक फिरोजपुर रोड़ है जो कि 1947 के बाद अब तक बन नहीं पाई। एकक्रोचमैंट होती चली जा रही है, इसलिये सरकार से निवेदन है कि इस अनुदान के अन्तर्गत सड़कों के निम्रण की तरफ वि ोश ध्यान दिया जाए और मेरे हल्के की इस सड़क अर्थात फिरोजपुर रोड़ का निर्माण भी जल्दी से जल्दी किया जाए। इसके बाद मै। डिमांड नंबर 22 के ऊपर अपने विचार रखना चाहती हूं जिसके अंतर्गत अर्थात सामुदायिक विकास में सभी तरह के काम आ जाते हैं ि ाक्षा, कृशि, सिंचाई, स्वास्थ्य, उद्योग आदि आ जाते हैं। सरकार इस तरफ भी खास ध्यान दें। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि करनाल कैथल रोड़ पर ऐ रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण हो क्योंकि यह बडी ही बिजी रोड है।। इसके ऊपर हिसार, महेन्द्रगढ़ और हांसी के ट्रैफिक का

दारोमदार है। क्योंकि वह सारा ट्रैफिक इसी रोड से आता जाता है। ट्रकों के द्वारा भी सामान लाने ले जाने का काम इसी रोड से होता है। जब इस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है तो रेलवे ओवर ब्रिज के न होने के कारण ट्रैफिक काफी काफी देर तक जाम हो जाता है। इसलिये इस रेलवे ओवर ब्रिज का निम्रण करवाया जाना बहुत ही जरूरी हैं वैसी तो यह मसला पहले ही रेलवे वालें के विचाराधीन है, फिर भी हमारी सरकार को भी इस रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिये पूरा पूरा सहयोग देना चाहिये ताकि लोगों की दिक्कतें दूर हो सकें और ट्रैफिक भी जाम न हो। इसी तरह से इस क्षेत्र के व्यापार को देखते हुए करनाल मेरठ रोड़ से यमुना नदी पर यू0पी0 के साथ भी माध्यम होना चाहिये। यमुनानगर से और पानीपत से होकर जाने में वह रास्ता काफी दूर पड़ता है। इसलिये करनाल से सीधे यू0पी0 जाने के लिये यमुना नदी पर एक पुल का बनाया जाना बहुत ही आव यक है। आपको पता है कि अगर हम किसी लम्बे रास्ते से आएं जाएंगे तो उसके पैट्रोल का भी खर्चा बढ़ेगा, समस भी काफी लगता है, जिसकी हमें काफी कदर करनी चाहिये। चेयरमैन साहब, खोई हुई सम्पति को वापिस लिया जा सकता है। स्वास्थ्य भी वापिस आ सकता है लेकिन जीवन का एक एक क्षण लौटाया नहीं जा सकता जो कि बहुत ही कीमती हैं, इसलिये हमें अपने समा का हर लिहाज से सद उपायोग करना चाहिये। समय का सद उपयोग होना मैं हर दृश्टिकाण से बेहतर समझती हूं। इसलिये सरकार को इस तरह के काम करने चाहियें जिसमें सरकार की भी बचत हो,

लोगों को भी कम दिक्कते आएं और लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा समय भी न बीते। मैं यहां भाईयों को यह निवेदन करूंगी कि वे समय के एक एक क्षण को खराब न करें और उस का सद उपयोग करें। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हुई अपना स्थान लेती हूं।

डा0 भीम सिंह दहिया (रोहट): चेयरमैन साहब, ये जो डिमांडज पे ा गई हैं, इनमें से मैं डिमांड नं0 15 और 22 के बारे में बोलना चाहता हूं। डिमांड नं0 15 इरीगे ान के बारे में है। इरीगे ान का जहां तक ताल्लुक है मेरे ख्याल से इममें कुछ प्लानिंग और प्रियारिटीज की गड़बड़ है। उदाहरण हमारे यहां वैट जुआं कैनाल है, जो जुआं गांव से लेकर मटीन्डू गांत तक जाती है। वह कैनाल अंग्रेजों के वक्त की बनी हुई है। लेकिन आज तक उसी लाइनिंग नहीं हुई है। दूसरी तरफ जहां लाइनिंग की गई है वहां बहुत प्रोब्लम खड़ी हुई है। जैसे जवाहर लाल नेहरू कैनाल हैं सीपेज की वजह से कितने हजार एकड जमीन खराब हो गई है और दूसरी जगह जहां लाइनिंग नहीं हुई वहां वाटर लोगिग बहुत ज्यादा हो गई है। खास तौर पर रोहतक और सोनीपत जिलों में आप देखें कि कितनी वाटर लोगिंग बढ़ गई और उससे कितनी जमीन बर्बाद हो गई है। इसके लिये कोई इंतजाम नहीं किया गया। एम0आई0टी0सी0 इसके लिये कुछ काम कर रही है यानी वह नहरों और वाटर चेनलज की लाइनिंग का कुछ काम कर रही है लेकिन उसका भी बुरा हाल है। आप देखें कि नालियां पक्की

कर दी गई हैं लेकिन अगर आप कस्सी चलाएं तो पक्का हिस्सा भी साथ के साथ वह जाता है। कुछ दिन पहले किसानों ने आंदोलन किया था कि लाइनिंग का आधा खर्चा किसानों को माफ कर दिया था लेकिन बाकी आधी कास्ट लेने के लिये अब भी किसानों को तंग किया जाता है। आप सोचें कि इसकी क्या जस्टीफिके ज्ञन है, यह कास्ट किसानों से क्यों मांगी जाती है। एम0आई0टी0सी0 के मेनुअल में साफ लिखा हुआ है कि लाइनिंग करने से 20 से 25 प्रति ात तक पानी का बचाव होता है और इरीगे ान बढ़ जाती है। (विघ्न) जैसे बिजली लौसिज होते हैं उनको कम करने के लिए या बंद करने के लिए सरकार कोई इंतजाम करती हैं जैसे वायरिंग दोबारा करती है और उसकी कोई कास्ट आती तो सरकार का यह हक नहीं बनता कि उसका खर्चा, बिजली इस्तेमाल करने वाले पर डाले। सरकार का फर्ज है कि बिजली और पानी लोगों के घर तक पहुंचाए और जितनी वह इस्तेमाल होगी उसका खर्चा हम देते ही हैं। अगर लाइनिंग करने से इरीगे ान ज्यादा होती है तो उससे टैक्स भी बढ़ता है। इसलिये किसानों से उसकी कास्ट रियलाइज करने की कौन सी बात है। दूसरी बात यह है कि एम0आई0टी0सी0 में एडमिनिस्ट्रे ान बहुत टौप हैवी है। एक एक लाइनिंग डिवीजन में 6 से 10 तक चीफ इंजीनियर्ज हैं और एक एक जिले में दस दस एकसीयंज बिठा रखे हैं आपके पास जब लाइनिंग के लिये पैसा नहीं है तो हैवी एडमिनिस्ट्रे ान आपने क्यों रखा है। डिमांड नं0 22 जो कोआप्रे ान के बारे में है, इस बारे में मैं यह कहना

चाहता कि नाम तो इसका सहकारी समितियां बना रखा है लेकिन असल में ये सरकारी समितियां बन गई हैं। कोआप्रोटिव मूवमैंट की जो फिलासफी थी उसका मुद्दा कुछ और था ताकि लोग इनमें पार्टिसिपेट करें और वे अपने ढंग से काम चलाएं लेकिन अब ये सरकारी समितियां बन गई हैं रजिस्ट्रार या असिसटैंट रजिस्ट्रार जब चाहे किसी सोसाइटी को ससपैंड कर देता है और ऐसा करने से उनमें लोगों की पाटिसिपे ान नहीं रहती। इनमें लोगों के फायदे का कोई काम नहीं हो रहा है सिवाए इसके कि कर्जा दे उिया और सूद ले लिया। अगर कोई आदमी दो चार महीने सूद या कर्जा वापिस न कर पाए तो उसको भेड़ बकरियों की तरह पकड कर जीप में डाल लिया जाता है और उसकी कुर्की कर दी जाती है। इससे ज्यादा नुकसान किसानों का और नहीं हो सकता। छोटू राम जी न किसानों के लिए ऐसे कानून बनाये थे कि किसान की यह चीज कुर्क नहीं हो सकेगी लेकिन आज चीजों की तो क्या आदमियों की कुर्की होती है। यह बडी भार्म की बात है। मैं सरकार को कहूगा कि अगर आप किसानों के हिमायती हैं तो ऐसा कानून बनायें कि उनकी चीजों की कुर्की ने हो। दूसरी तरफ 50–50 लाख और करोड़ों रूपये बिजली और दूसरी चीजों के इंडस्टरी वालों की तरफ पडै रहते हैं लेकिन उनको कोई नहीं पकडता। यह भेदभाव क्यों बरता जाता है। आज फल्ड की वजह से या और किसी वजह से किसान की फसल खराब होती है उसके लिये कोआप्रे ान विभाग क्या कर रहा है। आप अगर उनको मुआवजा नहीं देते तो कमू से कम उनकी फसलों की

इं योरैं ा तो कर दें। कोई स्कीम ऐसी हो जिससे किसानों को मदद मिल सके। धन्यवाद।

श्री जसवन्त सिंह चौहान (राई): चेयरमैन साहब, मैं सरका का ध्यान डिमांड 8 पर दिलाना चाहता हूं। मेरा हलका खाद का एरिया है और उसमें जितनी भी सड़कें बनी थीं उनमें से कुछ तो जमना की बाढ की वजह से खराब हो गई और कुछ फल्ड की वजह से खराब हो गई। मैं यह चाहूंगा कि उनकी मुरम्मत जल्द से जल्द इसी साल के बजट में से करवाई जाए। दूसरे कुछ गांव ऐसे हैं जो जमना की बाढ से हर साल बर्बाद हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि उन गांवों तक पहुंचने के लिये कोई न कोई पुखता रास्ता बनाया जाए जिससे कि लोग अपने गांवों में आ जा सकें। चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें अब तक सडक नहीं पहुंची है जबकि बाकी हरियाणा में हर गांव में सडक पहुंच चुकी हैं। कुंडलगढ़ में पांच सौ घरों में की आबादी है वहां पर सडक नहीं है। इसी तरह से जमना के किनारे पर जाजजलगढ़ी के सामने नया गांव बसा है, वहां भी सडक नहीं पहुंची है। इसी तरह से मूरथल के पास नई आबादी मूरथल डार की है, वहां भी सडक नहीं है।

श्री फतेह चन्द विज: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैम्बर साहब तो बोल रहे हैं और मिनिस्टर साहेबान इनकी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री सभापतिः आप बैठियचे यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः चेयरमैन साहब, विज साह तो 15–20 साल पुराने मैम्बर हैं। इनको पता होना चाहिए कि संबंधिम महकमे के अफसर प्वायंटस नोट करते रहते हैं। उनके बेसिज पर संबंधित मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह चौहानः चेयरमैन साहब, गढ़ ाला गांव में सड़क के साथ साथ हर समय पानी भरा रहता है और गांव में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन सडकों को जल्द से जल्द बनाया जाए। मेरे हलके में जितने भी स्कूल और हस्पताल बने हुए हैं, चाहे वह डंगरों का हस्पताल हैं या लड़के लड़कियों के स्कूल हैं, बरसात के दिनों में किसी भी गांव में जाने के लिये कोई भी रास्ता नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि हमारा तौ वैसे भी खादर और फल्ड का एरिया है, इसलिये इन स्कूलों तक और इन हस्पतालों तक पहुंचने के लिए सडकं बनाई जाएं। ये सडकें कोई बहुत लम्बी नहीं ळें कोई टुकडा आधे किलोमीटा कर है और कोई 1/4 किलोमीटर का है। इसी तरह से सोनीपत से विसवानी तक जब तक जाते हैं तो रास्ते में सडक बहुत खराब है जिस पर गाडी या कोइ और ट्रैफिक नहीं आ जा सकता। रास्ते में एक पुल भी खराब हो गया है और रास्ता बंद पडा है। यह सोनीपत मंडी के लिए दिन रात चलने वाली सडके है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस तरफ जल्द से जल्द

ध्यान दे। इसी तरह से मेरे हल्के में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सडकें बनाने लिए एलान हो चुका है और उन सडकों पर मिटटी भी डाली जा चुकी है लेकिन उन सडकों को बनाने में काफी देर हो रही है। कम से कम एक डेढ साल से उन पर मिट्टी डाली जा चुकी है लेकिन उनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कई सडकें ऐसी हैं जिन पर मिट्टी कहीं पर तो डाली चुकी है और कहीं पर नहीं डाली गई है। उन सडकों का निर्माण इसी वित्त वर्श में किया जाए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं डिमांड नम्बर 15 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। यह डिमांड इरीगे ान के बारे में है। इस डिमांड के साथ देहात की बहुत सी बातें जुडी हुई हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो किसान टयूबवैल्ज से सिंचाई करते हैं उनको बिजली की बहुत दिक्कत है। बिजली की कमी को देखते हुए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बिजली चाहे थोडी है चाहे ज्यादा है, उसकी सप्लाई का टाईम फिक्स किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी एक घंटे के लिए बिजली आई और चली गई, कभी दो घंटे के लिए आई और चली गई। उन किसानों को टाईम पर बिजली मिलनी चाहिए जो टयूबवैल्ज से सिंचाई करते हैं यदि किसानों को ज्यादा बिजली नहीं दी जा सकती तो उसका टाइम इस तरह से फिक्स करव दिया जाए कि जो टयूबवैल्ज के लिए बिजली मिलेगी वह 3 घंटे या 4 घंटे मिलेगी और लगातार मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि किसानों को बिजली टाइम पर दी जाए ाऔर उनको लगातार बिजली दी जाए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं अपने

हल्के के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे हल्के में रोहतक, सोनीपत और गोहाना के एरिया का बाढ का पानी आता है और उस पानी की निकासी के लिए मेरे हल्के राई में दीक्षित एवार्ड के तहत एक ड्रेन नं0 8 बनाई गइ है लेकिन उस ड्रेन को जमना तक पुखता नहीं किया गया है। यह ड्रेन जमना से एक किलोमीटर दूर रह जाती है। मैं इस बारे में सरकार से यह अर्ज करना चाहूंगा कि ड्रेन नं0 8 की सफाई की जाए और उसको जमना तक पुखता किया जाए। इसी तरह से मेरा हल्का दिल्ली के नजदीक लगता है और दिल्ली वालों ने जमना के पानी से बचने के लिए बोर्डर के साथ साथ बांध बनाया हुआ है। वह सारे का सारा बांध पक्की सडक बना कर कम्पलीट किया हुआ है लेकिन हमारी तरफ जो बांध है वह कच्चा है। इन दोनों बांधों के बीच की जगह में बाढ का पानी बांध की सतह तक चला जाता है जिसके कारण दहेसरा गांव से लेकर मुरथल तक लोग रात को भी पूरी नींद नहीं सो पाते हैं। उनको इस बात का डर रहता है कि कभी हमारी तरफ वाला बांध टूट जाए और हमें डुबो दे, हमारी फसलें न खराब कर दे। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और उस फल्ड के पानी से कई गांव बर्बाद हो गए थे लेकिन वह बांध पुखता नहीं किया गया है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मुरथल से दिल्ली के बोड्र तक उस बांध को पक्की सडक बना कर पुखता किया जाए उससे लोगों को हर साल बहुत नुक्सान होता है। यदि उस बांध को पक्की सडक बनाकर पुखता कर दिया

जाए तो वहां के लोगों को बहुत लाभ होगा। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी ओम प्रका ा (बेरी): चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं डिमांड नं0 8 बे बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जो कि बिल्डिंग्ज एंड रोड्ज के बारे मैं। चेयरमैन साहब, 1983 में बहुत जबरदस्त बाढ आई थी, उस बाढ से रोहतक जिला काफी प्रभावित हुआ है और वि ोश रूप से मेरा हल्का बेरी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। उस बाढ के कारण मेरे हल्के की सभी सडकें बर्बाद हो गई। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि जितनी सडकें बाढ के कारण बर्बाद हो चुकी हैं उनकी रिपेयरिंग का काम वार फुटिंग पर करवाया जाए। चेयरमैन साहब, बाढ के कारण झज्जर से रोहतक, रोहतक से बेरी, बेरी से साम्पला और रोहतक से भंभेवा सडकें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन सडकों की रिपेयरिंग का काम वार फुटिंग पर करवाया जाए ताकि उन सडकों पर ट्रैफिक ठीक ढंग से चल सके। मैं पिछले एक डेढ साल से इस सरकार की तरफ से यह सुन रहा हूं और यह सरकार दावे के साथ कहती है कि हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं है जो सडक से न जोड दिया गया हो, हरेक गांव को सडक से जोड दिया गया है। मैं यह बात बडे दु:ख के साथ कहता हूं और इस सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के में दो गांव ऐसे हैं जिनको सडक से नहीं जोडा गया है। यह सरकार कैसे कह सकती है कि हरियाणा के हर गांव

को स्डक से जोड दिया गया है। मेरे हल्के में एक गांव मदाना खुर्द है जिसमें अभी तक कोई लिंक रोड नहीं बनाया गया है। दूसरा बाकरा गांव है जिसके लिए लिंक रोड तो बना दिया गया है लेकिन वह लिंक रोड गांव तक नहीं पहुंचा है क्योंकि लिजंक रोड और गांव के बीच मे ंड्रेन नं0 8 पडती है। उस पर कोईपुल नहीं बनाया गया है जिसके कारण वह लिंक रोड दो भागों में बंटा हुआ है। बाकरा गांव के पास ड्रेन नं0 8 पर पुल बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है लैकिन फिर भी वह पुल नहीं बनाया जा रहा है। पिछले सै ान में भी सरकार की तरफ से यह आ योरेंस दी गई थी कि उस पुल को जल्दी ही बना दिया जाएगा लेकिन आज उन बातों को एक डेढ साल का अर्सा हो चुका है उस पुल के निर्माण का काम अभी तक भुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा मै। एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि दुबलधन रोड के ऊपर ड्रेन नं0 8 पर बहुत पुराना पुल बना हुआ है, उस पुल की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसके हालत खराब होने के कारण सिकी समय ऐसे हालात भी हो सकते हैं कि वहां पर बहुत बडा हादसा हो सकता है। वहां पर सरकार की तरफ से नया पुल बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इसलिए मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह पुल जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, अब मैं डिमंड नं0 15 के बारे मकें अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जो कि इरीगे ान के बारे में हैं। मैरे हल्के में नहरों की हालत बहुत बुरी है। जे0एल0एन0 कैनाल की लाइनिंग कम्पलीट हो चुकी है। लेकिन इस कैनाल की लाइनिंग में इतना

सब स्टैंर्ड मैटीरियल लगाया गया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जमीन में वाटर लोगिंग हो गई है। उस कैनाल में सीपेज की बडी भारी प्रोब्लम हो गई है। उस कैनाल में सीपे की वजह से जो वाटर लोगिंग हो गई है उसके कारण मेरे हल्के में कम से कम 15 हजार एकड़ रकबा बर्बाद हो गया है। उस पानी की निकासी के लिए एक स्कीम दी गई है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस स्कीम को जल्दी से जल्दी भाुरू किया जाए ताकि उस पानी को वहां से निकाला जा सके। इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहताच हूं कि जे0एस0बी0 की लाइनिंग का काम भी जल्दी से जल्दी भाुरू किया जाए। झज्जर सब ब्रांच कच्ची होने की वजह से भी काफी वाटर लोगिंग हो गई है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस सब ब्रांच को भी पक्का करने का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में तीन ऐसे गांव हैं जिनके लिए नहरी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वे गांव हैं माजरा, दूबधलन और सिवाना। इन गांवों के किसानों को बारि ा पर निर्भर रहना पड़ता है। इन गांवों के के लिए कोई ठीक ढंग की नहर नहीं निकाली गई है और इन गांवों के एरिया में टयूबवैल्ज भी कामयाब नहीं हैं क्योंकि नीचे का पानी ठीक नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोघ करूंगा कि इन गांवों के किसानों की तरफ वि ोश रूप से ध्यान दिया जाए और कोई नहर निकालने का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे हल्के में एक चिमनी गांव है, उस गांव के लिए

नहर का इंतजाम किया हुआ है लेकिन उस नहर से उस गांव को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि काहनौर डिस्ट्रीब्यूटरी हैड से तीन नहरें निकलती हैं उनमें से एक नहर को पक्का कर दिया गया है जो चिमनी गांव को जाती है लेकिन दो नहरें अभी पक्की नहीं की गई हैं। चिमनी नहर को पक्का करने से उसका लैवल ऊंचा हो गया है जिसके कारण उस नहर के अंदर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है और उससे किसानों को बहुत भारी परे ाान होती है। दूसरी जाचे ढराना और कटेसरा की दो नहरें हैं वे कच्ची हैं। सारा पानी उनमें चला जाता है और चिमनी गांव के किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन दोनों नहरों को भी पक्का किया जाएं यदि उन दोनों नहरों को पक्का कर दिया जाए तो तीनों नहरों को अनुपात के हिसाब से ठीक ढंग से पानी मिल जाएगा और वहां के किसानों को उस दिक्कत से बचाया जा सकेगा। जब तक बकाया नहरों का पक्का नहीं बनाया जाता उस समय तक ऐसा प्रबंध किया जाये जिससे इन तीनों नहरों में अनुपात के अनुसार पानी चले। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं एस0वाई0एल0 नहर में बारे में एक बात कहना चाहता हूं। बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि इस बजट के अंदर उस नहर की खुदाई के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया है। इस प्रोजैक्ट के लिए इस बजट में पैसा इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि यह सरकार सैंटर पर इस प्रोजैक्ट को पूरा करवाने के लिए दबाव डालने में असमर्थ है, उसको पूरा नहीं करवा पाएगी। यह सरकार इस सदन को गुमराह

कर रही है कि इस प्रोजैक्ट को पूरा करवाया जाएगा। एस0वाई0एल0 नहर के साथ हरियाणा के लोगों की जिंदगी जुडी हुई हैं, इसलिए मैं सरकाचर से प्रार्थना करूंगा कि इस नहर की खुदाई के बारे में सरकार को जरूर सोच विचार करना चाहिए। इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं कोआप्रे ान डिपार्टमैंट के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। कोआप्रेि ान डिपार्टमैंअ में काुभ मिस मैनेजमैंट है जिसकी वजह से जितनी भी कोआप्रेटिव सोसाइटीज हैं वे लौस में चल रही हैं। इस बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सोसाइटीज को लौसिज से प्रोफिट में कंवर्ट करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। चेयरमैन साहब, जो सी0ए0जी0 की 1980–81 की आडिट रिपोर्ट है, उसके अंदर यह बताया गया है कि सिरसा, भिवानी, रोहतक, हिसार, अम्बाला और कुरूक्षेत्र के कोआप्रेटिव बैंकों में 41 लाख 48 हजार की एमबैजलमैंट मिली थी। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में विचार करे ताकि आयंदा ऐसी चीज ने हो पाए और जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने वह एमबैजलमैंट किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं समय अभाव के कारण आपको सारी बात नहीं बता सकता। मुझे इस तरह की कई बातों के बारे मे ंपता है जो मैं आपको बताना चाहता था लेकिन समय बहुत थोडा है इसलिए मैं कोआप्रेटिव सोसाइटीज के बारे में यही कहूंगा कि इनके अंदर पब्लिक मनी लगी हुई है, उसको मिस स्पैंड किया जाता है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासनी हुए)

13.00 बजे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जितने भी मिल्क प्लांटस है। वे सारे के सारे लौस में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार दावे करती है कि हमने डेरी विकास प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसके तहत देहात के लोगों का आर्थिक विकास हो सकेगा। रोहतक मिल्क प्लांट को जितने लोगों ने मिल्क सोसाइटीज की तरफ से दूध बेचा है, उनको तीन महीने से पेमेंट नहीं दी गई है। मैं इस बारे में मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन लोगों की तीन महीने से पेमेंट क्यों नहीं की जा रही है, वह इस बात का जवाब दें। जिन लोगों ने दूध बेचा है उनके साथ वह बेइंसाफी क्यों की जा रही है। इस बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद मंत्री जी को यह सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने दूध बेचा है, उनको पैसा मिलना चाहिए। उन लोगों को पैसा जल्दी से जल्दी दिलाया जाना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं डिमंड नं0 4 जो रेवेन्यू से संबंध रखती है– के बारे में कहना चाहूंगा। रजिस्ट्र ान एक्ट की सैक ान 17 क तहत यदि कोई व्यक्ति 100 रूपये से अधिक कीमत की जमीन बेचता है तो उसकी रजिस्ट्रे ान जरूरी होती है। सरकार ने इसी संदर्भ में एक नोटिफिके ान की हुई है जो व्यक्ति 50 हजार से ज्यादा की जमीन बेचेगा, उसे इन्कमटैक्स कलियरेंसव सर्टिफिकेट लेना

पड़ेगा। इस संदर्भ में मैंने देखा है कि कुरूक्षेत्र के अंदर पिछले तीन सालों से एक भी पैसा इंकम टैक्स का जमा नहीं हुआच है बल्कि हो यह रहा है कि जो जमींदार जमीन बेचता है उसको उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए 400–500 रूपये खर्च करने पडते हैं। वह बेचारा वकील के पास जाता है और तीन चार चक्कर काटा आता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि 50 हजार रूपये की जो लिमिट रखी हुई है उसको हटाया जाये या इस लिमिट को बढाया जाये ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। मौजूदा सर्कुलर के तहत सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा। वैसे तो सारे के सारे एक्ट में अमैंडमैंट की जरूरत हे। दूसरी बात मैं बिल्डिंग्ज एंड रोड्स के बारे में कहना चाहूंगा यह डिमांड नं0 8 है। मैंने पहले भी कहा था कि मुण्डाखेडी जो ज्योतिसर के पास है, वहां एक ब्रिज बनना है। जब बारि ा होती है तो वहां पर 8–8 फुट पानी जमा हो जाता है और 4–5 गांवों को ज्यातिसर आने में बडी दिक्कत आती है। इन गांवों के लिए ज्यातिसर में ही एक हाई स्कूल है। चार पांच गांवों के बच्चे उसी स्कूल मे ंपढने के लिए जाते हैं लेकिन बारि ा में वहां पर 8–8 फुट पानी खडा होने की वजह से बच्चे स्कूल के अंदर दो दो महीने तक नहीं जात पातै। यह पुल चार साल से पैंडिंग है। कभी इस पुल का केस चीफ इंजीनियर को भेज दिया जाता है तो कभी किसी के पास भेज दिया जाता है। लेकिन यह केस अभी तक फाईनल नहीं हो पाया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस ओर वि ोश ध्यान देकर इस पुल का निर्माण कार्य भीघ्र भुरू करवाया जाये

ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। अब मैं डिमांड नं0 22 के बारे में कहना चाहता हूं। यह डिमांड को आप्रे ान से संबंध रखती है। भााहबाद में आपकी इमदाद से एक भाूगर फैक्टरी लग रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं क्योंकि उस इलाके के लोगों के लिए यह बहुत जरूरी था। अब सुनने में आ रहा है कि इस मिल के अंदर तकरीबन 700 कर्मचारी भर्ती किए जाने हैं। इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारि ा है कि कुरूक्षेत्र के लोगों को वहां पर अधिकर नौकरियां दी जायें क्योंकि वहां पर पहले ही बहुत ज्यादा अनएम्पलाएमैंट है। यदि सरकार ऐसा कर देती है तो यह बहुत अच्छी बात होगी। स्पीकर साहब, मैं इतना करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री फतेहचन्द विज (पानीपत): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के पानीपत के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। इस बात का सभी को पता है कि पानीपत एक ऐतिहासिक स्थान है और यह एक इंडस्ट्रीयल टाउन भी है। पानीपत ने हरियाणा के नाम को सारे संसार में रो ान किया हुआ है। स्पीकर साहब, यहां से हर साल 50–60 करोड रूपये का माल एक्सपोर्ट होता है जिसके कारण हरियाणा का नाम रो ान हुआ है और हो रहा है। लेकिन दुख की बात है कि वहां पर सेनीटे ान की बहुत खराब हालत है। ऐसी हालत हरियाणा के किसी भी भाहर की नहीं है। स्पीकर साहब, पानीपत में एक बाई पास बनना था। यह बाई पास जनता सरकार के समय 1978 के अंदर पौने तीन करोड रूपये के

एस्टीमेटस से मंजूर हुआ था लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। अब मुझे जहां तक पता चला है कि इस पुल को जयपुर के किसी एम0पी0 ने कैंसिल करा दियसा है और अजमेर का पुल मंजूर करवा लिया है। यहां पर यह कहा जाता है कि यह काम तो भारत सरकार का है। ठीक बात है, भारत सरकार का काम है लेकिन ऐसे काम तो स्टेट गवर्नमैंट की मदद से ही सैंट्रल गवर्नमैंट करती है। एफ0एम0 साहब बैठे हुए हैं, वहां पर अब बाई पास बनना बडा मु कल हो रहा है। यदि सरकार इसको जल्दी से नहीं बनाएगी तो यह पहले जो पौने तीन करोड रूपये में बनना था, वह जमीन की कीमत बढ जाने से 10–12 करोड रूपये में जा कर बन पाएगा। क्योंकि आजकल जमीनें की कीमत दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। स्पीकर साहब, आप भी दूसरे मुल्कों में जाते रहें हैं और मुझे भी यूरोप के 8–10 दे ाों में दो तीन बार जाने का मौका मिला है। इस समय यहां पर सी0एम0 साहब बैठे नहीं हैं। जिस हस्पताल के अंदर इनका इलाज हो रहा था उसके सामने एक फलाई ओवर बना हुआ हैं उस भाहर की 8 लाख की आबादी है और लगभग तीन किलोमीटर का एक फलाई ओवर बना हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह का एक फलाई ओवर पानीपत के अंदर भी बना दिया जाये तो सारी समस्या का समाधान हो सकता हे। जो डायरैक्ट जाने वाला ट्रैफिक है वह ऊपर से चला जाएगा और जो भाहर के अंदर जाने वालो ट्रैफिक है वह नीचे से चलता रहेगा। यदि ऐसा कर दिया जाए तो इसमें खर्चा भी कम होगा। मेरा पुनः अनुरोध है कि पानीपत के अंदर तुजर्बे के तौर पर एक

फलाई ओवर बना दिया जाये। यदि यहां पर फालई ओवर कामयाब हो जाता है तो फिर दूसरे भाहरों में भी बनाया जा सकता हे। ऐसे फलाई ओवर यूरोप के कई दे ाों में बने हुए हैं। आजकल जमीन की कीमत बढ रही है और साथ ही साथ आबादी भी बहुत बढ रही है। इस संबंध में मै। चाहूंगा कि इसको कार्यान्वित करने के लिए अपने डिपार्टमैंअ के इंजीनियरों को कहं और फिर सैंटर से बातचीत करके इस समरूा को दूर करने की कोि ा ा करें। पानीपत के पास 12 करोड रूपये की लागत से एक तेल भाोधक कारखाना लगने जा रहा हैं इसके अलावा वहां पर पहले ही एक भूगर मिल लगा हुआ है, थर्मल प्लांट है और फर्टीलाईजर फैक्टरी है जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड है। भाहर की पापुले ान भी डेढ लाख के करीब है। इसलिए अंत में मैं फिर सरकार से गुजारि ा करूंगा कि बाई पास का कोई न कोई हल निकाला जाना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

प्रो0 सम्पत सिंह (भटटू कलां): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 4, 15 और 22 पर वि ोश तौर से बोलना चाहूंगा। स्पीकर साहब, रैवेन्यू की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड है। पहले रैवेन्यू महकमे के साथ फोरैस्ट भी हुआ करता था लेकिन अब फोरैस्ट का अलग से बोर्ड बना दिया गया है, रैवेन्यू का बोर्ड नहीं बनाया गया। रैवेन्यू डिपार्टमैंट पहले एक योग्य मंत्री के पास था, उससे यह महकमा वापिस ले लिया और उसके बाद अब उनसे भी एक योग्य मंत्री को यह महकमा दे दिया गया है। मैं आपके

नोटिस में यह बाता लाना चाहूंगा कि जमीनें कई प्रकार की हैं। कुछ जमीन तो वकफ बोर्ड की है, कुछ जमीन कस्टोडियन की है और कुछ जमीन पी0डब्लयू0डी0 की हैं। स्पीकर साहब, कई बार रजिस्ट्री बेनामी करा ली जाती है। फतेहाबाद में पी0डब्ल्यू0डी0 की कुछ जमीन थी। वहां पर उस जमीन की बेनामी तौर पर रजिस्टरी करा ली गयी है, जिससे रैवेन्ये डिपार्टमैंट को करोड़ों रूपये का घाटा हुआ है। इस तरह न जाने कितनी जमीनों की इसी प्रकार की रजिस्ट्री करवाई गयी होगी। हिसार में मेला कोठी की चार एकड़ जमीन थी। उसको चार पांच आदमियों ने ऊपर से दबाव डलवा कर दो दो हजार रूपये में पट्टे पर ले लिया जबकि उस जमीन की कीमत 400–500 रूपये गज के हिसाब से है। यदि उस जमीन को ठीक भाव पर बेचा जाता तो करोड़ों रूपये की आमदन हो सकती थी जिससे स्टेट के डिवैल्पमैंट के काम हो सकते थे। यही हालत एस्टेबलि ामैंट की हैं स्पीकर साहब, एस्टेबलि ामैंट बहुत ज्यादा बढा रहे हैं। पिछले दिनों असैम्बली में एक क्वै चन आया था जिसके जवाब में इन्होंने बताया था कि नायब तहसीलदारों की 25 पोस्टें खाली थीं जिन के अगैन्स्ट इन्होंने 107 नायब तहसीलदार सिलैक्ट कर लिये। इतने नायब तहसीलदारों को कहां कहां नियुक्त करेंगे ? इनमें से किसी को एम0आई0टी0सी0 में भेज रहे हैं, किसी को बिजली बोर्ड में भेज रहे हैं और किसी को कोआप्रेटिव सोसाइटीज में भेज रहे हैं। स्पीकर साहब, मुझे डर है कि कहीं एक तहसीलदार असैम्बली में न बैठ जाए। इतने नायब तहसीलदार हो गये हैं, इनको कहां कहां एडजस्ट करेंगे।

श्री अध्यक्षः कहीं ऐसा न हो कि तहसीलदार एम0एल0एज0 बन जाएं, आप अपनी कुर्सी का फिकर करिए (हंसी)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, यह बात एकदम सीरियस है, बिल्कुल हमें इस बात की चिन्ता है। (व्यवधान) स्पीकर साहब, हर जिले में थोडी थोडी पोस्टें पटवारियों की निकली थी। गवर्नमैंट के पास इन पोस्टों के अगेन्स्ट 35000 एप्लीके ान्ज आई। एक एप्लीक ान की फीस 10 रूपये थी और टोटल 500 पोस्टें भरनी थी। गवर्नमैंट के पास फीस का साढे 3 लाख रूपया आया, लेकिन कुछ लोगों को यह पोस्टें भरना गंवारा न हुआ। भाायद मंत्री बदले गये, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं ि ाकायत क्या थी, लेकिन यहां से सारा मामला कैंसिल कर दिया और लोगों ने जो पैसा एप्लीके ान भेजने पर खर्चा था, वह उनका तीन चार लाख रूपया बरबाद हो गया। आप अंदाजा लगायें जो अनएम्पलायड बच्चा है उस पर कितना सैंस लग गया। उसने एप्लाई करने के लिए चण्डीगढ़ के चक्कर काटे, कितनी तकलीफ उठाई होगी। लेकिन इन्होंने कह दिया कि डी0सी0 भर्ती करेगा। डी0सी0 आफिस में भी समस्याएं हैं। कई बार डी0सी0 किसी का कहना भी नहीं मानते, अगर नहीं मानेगा तो उसकी भी छुट्टी कर दी जाएगी। इस उलझन में सारी पोस्टें यूं की यूं पडी हुई हैं और लोगों का लाखों रूपया बरबाद कर दिया। स्पीकर साहब, तहसीलदार और नायब तहसीलदार रैवेन्यू डिपार्टमैंट के अंदर आते हैं एक एक तहसीलदार ने डिस्क्रीए ानरी कोटे से फरीदाबाद और

पंचकूला में प्लाट लिये हैं। कई तहसीलदार तो अपने लड़कों को नायब तहसीलदार लगवाते हैं, कई तहसीलदार कोआप्रेटिव हाउसिंग की जमीन को, जो तीन तीन सौ, चार चार सौ रूपये गज की जमीन है, अपने लड़के या बीवी के नाम पर ले रहे हैं। इस तरह से स्पीकर साहब, तहसीलदारों को स्पै ाल रियायतें दी गई हैं कि वे जमीन को लूटते जाएं। इस तरह तो एक इंच भी जमीन नहीं बचेगी और न ही स्टेट को रैवेन्यू आएगा। (घंटी) जमीन की जो रजिस्ट्रियां बनाई जाती हैं, उन पर स्टैम्प डयूटी लगती है। हमें पता नहीं कानून किस किस्म का बना रखा है, काफी रजिस्ट्रियां ऐसी हैं जिन पर स्टैम्प डयूटी लगती ही नहीं है। ऐसी रजिस्ट्री फतेहाबाद में बनी है। इसका रजिस्ट्रे ान नं0 2441 है। यह रजिस्ट्री 5.1.83 को बनी है। एक इसी तरह की रजिस्ट्री नं0 74 करनाल जिले की है। यह 4 लाख रूपये की है विदाउट स्टैंम्प डयूटी। यह ढानी माजरा गांव की है। (घंटी)

श्री अध्यक्षः अब आप बैठ जाइए। श्री निर्मल सिंह जी बोलेंगे।

श्री निर्मल सिंह (नंग्गल): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से बिल्डिंग रोड्ज इरीगे ान और कोआप्रेटिव से संबंधित डिमांडज पर बोलना चाहता हूं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि जिाल अम्बाला ज्वायंट पंजाचब में सबसे बढिया डिस्ट्रिक्ट माना जाता था लेकिन आज सबसे पीछे है। इसका कारण यह है कि यह जिला कृशि के क्षेत्र में पिछड़ा

हुआ है। सरकार की टेबल पर बहुत सी स्कीमें आती हैं जिन पर कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्षः आप मोटी मोटी बातें बोलें और 5 मिनट में खत्म करें।

श्री निर्मल सिंहः ठीक है जी। स्पीकर साहब, ताजेवाला हैड वर्क्स पर 15–16 लाख रूपया खर्च होना है। इस रूपये में से दो लाख रूपया निकालना कोई बुरी बात नहीं है। इस दो लाख रूपये की मेरी कांस्टीच्यूएंसी में खर्च कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में मेरी कांस्टिीच्युएंसी नग्गल है। यहां पर टांगरी नदी रूकी हुई है। इसके पानी को आगे लाने की प्रपोजल सरकार की नहीं है, इसका इफैक्ट स्पीकर साहब, आपके क्षेत्र को भी होगा। अगर यह पानी लाया गया तो इसमें 10–15 गांव आ जाएंगे। इसके अलावा स्पीकर साहब, नग्गल कांस्टीच्युएंसी में एक टीम आई थी और उस टीम ने कहा था कि टांगरी नदी पर 38 टयूबवैल्ज लगाए जाएं। इस पानी को ऊपर उठाकर बडी नहर में गिरा दीजिए। उस वक्त म ीनरी भी पड़ी थी। मैंने उस टीम को कहा कि जहां टयूबवैल्ज नहीं है, वाटर लेवर 7 फुट से 35 फुट नीचे तक जा चुका है, उस इलाके में इस पानी को इस्तेमाल किया जाए। नग्गल कांस्टीच्युएंसी ऐसी कांस्टीच्युएंसी है जिसमें वाटर लेवल 35 फुट गहरा है और टयूबवैल्ज भी नहीं है। जब उस टीम को इस बात का पता चला तो जो म ीनरी वहां पहले से पडी थी, ने तो उस म ीनरी का पता चला और न ही पैसे का पता

चला। पता नहीं कहां चला गया। स्पीकर साहब, इसक बाद सरदारा प्यारा सिंह जी ने बताया कि तुम्होर क्षेत्र में एम0आई0टी0सी0 के 35 टयूबवैल्ज हैं जिनको छोटे किसान इस्तेमाल नहीं करते। इन का पानी एक माइनर बनाकर बडी नहर में डाला जाएगा। मैंने इनहें कहा कि यह पानी नग्गल कांस्टीच्युएंसी को दे दिया जाए। उसके बाद वह स्कीम भी गायब हो गई। यह रिकार्ड की बात है। मेरे पास एक दरखास्त है उम्मी है आई0पी0एम0 साहब उस पर गौर करेंगे। एम0आई0टी0सी0 के टयूबवैल्ज का बुराच हाल है। एग्रीकल्चर के एिल किसान को लोन दिया जात सकता है। अगर मार्गेज बैंक से लोन लेकर टयूबवैल्ज लगाए जाएं तो ठीक नहीं, क्योंकि उस बैंक द्वारा लोन की रिकवरी का तरीका ठीक नहीं है। जब लोन लिया जाता है तो किसान अपनी जमीन मार्गेज करता है, टयूबवैल मार्गेज करता है ट्रैक्टर मार्गेज करता है। अगर कोई जमींदार लोन वापिस न दे सके तो इन चीजों को नीलाम किया जा सकता है, लेकिन उसको घसीट कर जीप में गिराना, यह बहुत बुरी बात है।

अब मैं कोआप्रे ान डिपार्टमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। एक भूगर मिल भााहबाद में लगने जा रहा है। वास्तव में यह मिल अम्बाला में लगना चाहिए था। अम्बाले का क्षेत्र बडा फरटाईल है। आपका क्षेत्र, स्पीकर साहब, भााहबाद भी बहुत फरटाईल है, हो सकता है वहां पर लोग गन्ने की खेती न करते हों। मैंने कहा था कि इस मिल को बार्डर पर माड़ी के स्थान पर

लगाओ ताकि कोई क्षेत्र ऐसा न रह जाए जहां गन्ने की खेती न हो। हो सकता है कि इस मिल को भााहबाद लाडवा रोड़ पर लगाया जाए। लाडवा को तो पहले ही जमुनानगर की मिल कवर करती है। कोआप्रे ान मिनिस्टर ने कहा था कि इसको नग्गल कांस्टीच्युएंसी में लगायेंगे। वे तो बिल्डिंग की अनाउसैंमैंट भी करके आये थे। जो बात वे करके आये हैं, मुझे भाक है कि उसको वे ठीक समय पर पूरा नहीं कर पायेंगे। स्पीकर साहब, आपके सामने आ वासन दिया था कि इस मिल को अम्बाला में लगायेंगे और मिल के आस पास के लोगों को ही मिल में एम्पलायमैंट मिलेगी लेकिन आज कुरूक्षेत्र जिले से, भााहबाद के आसपास से धड़ाधड़ भर्ती हो रही है, नग्गल कांस्टीच्युएंसी का एक भी लड़का नहीं लगाया है। स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि नग्गल के लोगों को बहुत सबर है, लेकिन उनके दिल में इसके खिलाफ रिजेंटमैंट है। वहां के लोग आज जागृत हो चुके हैं। यह बहुत सीरियस मामला है, लोग इस किस्म की बात बरदा त नहीं करेंगे। इसका हिसाब किताब किया जाए और ढंग से भर्ती की जाए। जिस इलाके का गन्ना लिया जाए, उस इलाके से ही भर्ती की जाए।

श्री अध्यक्षः कोआप्रे ान मिनिस्टर जब रिप्लाई देंगे तो कहेंगे कि कुरूक्षेत्र से बाहर की भर्ती न हो। यह मेरा व्यू है।

श्री निर्मल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्युएंसी में 70 किलोमीटर का एक सडक का टुकडा है, पिलानी से दामीपुर

तक। इन्होंने 70 किलोमीटर की सड़क मानी हे। मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था कि 5 किलोमीटर तुम्हारे क्षेत्र में सड़क बनवाऊंगा लेकिन सिर्फ 3 किलोमीटर की सड़क बनने लगी है। इसी प्रकार टांगरी नदी पर छोटे पुल भी बनने हैं। और बड़े पुल भी बनने हैं। टांगरी नदी पर एक पुल मंजूर हुआ था और एफ0एम0 साहब ने आ वासद दिया था कि पैसा रिलीज करने के लिए गौर करेंगे और 70 किलोमीटर की सड़क भी बनायेंगे लेंकिन कुछ नहीं किया जा रहा। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी लीला कृश्ण (फतेहाबाद): स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 15 और 17 पर बोलना चाहता हूं। ये डिमांडज इरीगे ान और एग्रीकल्चर के बारे में हैं। यह बात ठीक है कि किसानों को इस सरकार ने बहुत राहत दी है। जो फायदा सरकार ने किसानों का किया है, भाायद ही कोई सरकार कर सकेगी। यह बात ठीक है कि कुदरत ने भी कुछ जुल्म किसानों पर ढाए हैं। कभी फ्लड आते हैं तो कभी ओलाबारी होती है। इसमें हरियणा सरकार किसानों की मदद के लिए हमे ाा आगे बढी है। इन्होंने किसानों को काफी राहत दी है और कर्ज आदि की वसूलियां बंद की हैं। जितना भी सरकार कर सकी है इसने किया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि काटन क्रौप का जो नुकसान हुआ है वह बहुत दर्दनाक है। लोगों की बड़ी सुन्दर फसलें थीं लेकिन जब कपास चुनाई का मौका आया तो किसान केवल एक दो मन कपास ही ले पाया। एम0एम0 साहब ने कर्जे मुल्तवी करने का

हुक्म तो दिया है लैकिन उन किसानों को मुआवजा भी दिला दिया जाये तो बडी कृपा होगी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिस प्रकार भारत सरकार ने इस संबंध में पंजाब की मदद की है उसी प्रकार से वह हरियाणा की भी मदद करें। अध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस बात सहमत होगा कि किसान का दर्द जितना दूर हो सके उतना ही अच्छा है। अच्छे बीज मुहैया करने, सबसिडी देने, इरीगे ान के लिए टयूबवैल्ज को बिजली के कुनैक ान देने तथा नहरों का जाल बिछाने आदि के लिए यह सरकार बहुत कुछ कर रही है। लेकिन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्टरी के लिए मैं सरकार से एक अर्ज करना चाहूंगा। आजकल उसकी अलाईनमैंट हो रही है तथा वह पक्की की जा रही है। मैं आई0पी0एम0 साहब से कहूंगा कि उसमे जो फाल्ज दिखाए गये हैं अगर उनको दूर कर दिया जाए तो हजारों एकड़ और धरती की आबपा ाी की जा सकती है। (विघ्न) उन फाल्ज को खत्म करके, बैड को कुछ ऊपर करके, उस नहर को पक्का किया जाए। इससे हमारे इलाके को काफी भला होगा।

अध्यक्ष महोदय, न्यू ढांगर माईनर की ऐक्सटैं ान के बारे में भी मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। तकरीबन 4 हजार एकड़ जमीन उससे आबपा ा हो सकती है अगर उसकी एक दो बुर्जियों का हटा करके तथा उसका लैवल ठीक करके इसको ऐक्सटैंड किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने बारानी रकबों में कुछ स्प्रिंकलर्ज लगाए हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वहां और स्प्रिंकलर्ज लगाने की प्रोविजन की जाए। अध्यक्ष महोदय, बारानी खेतों के सुधार के लिए यह सरकार काफी अनुदान दे रही है और भी बहुत अच्छे उपाय सोचे जा रहे हैं। जितना लोन हरियाणा सरकार ने किसानों को दिया है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती, लोन भी कई किस्म के हैं, जैसे ट्रैक्टर लोन है, टयूबवैल्ज लोन हैं, लैंड खरीदेन के लिए लोन है, रहन से छुडान के लिए लोन है, और क्रौप लोन हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे अच्छी बात तो यह है कि पहले लोन लेने के लिए लैंड मार्गेज करते थे लेकिन अब वह भी नहीं होगी। इस संबंध में मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा। नै ानलाइज्ड बैंक्स जो लोन देते हैं उसके लिए उन्होंने किसानों की पास बुक्स बनाई हुई हैं। कोआप्रेटिव बैंक्स में भी यही सिस्टम लागू किया जाए। कोआप्रेटिव बैंक्स भी अगर पास बुक दे दें और हर फसल में वह रिन्यू होती रहे तो इससे बड़ी सुविधा होगीं

अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से एक और नम्र निवेदन है। कुछ साल पहले ओलावृश्टि से किसानों का काफी नुक्सान हुआ था लेकिन गिरदावरी वगैरह के कुछ डिसप्यूटस होने के कारण उनहें उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। वह मुआवजा उन्हें जल्दी दिलाया जाए। इन भाब्दों के साथ में अपना स्थान लेता हूं

श्री लछमन सिंह (कालका): स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि कालका में एक कोर्टस कंप्लैक्स बनना चाहिए। वहां कचहरियों की बडी मुि कल है। एस0डी0एम0 साहब का जो दफतर है वह रैस्ट हाउस में लगा हुआ है।

दूसरी बात, स्पीकर साहब, मैं रोड्ज के मुताल्लिक कहना चाहूंगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: अगर हाउस की सैंस हो तो बैठक का समय 15 मिनट बढा लिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय 15 मिनट बढाया जाता है।

वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

श्री लछमन सिह: स्पीकर साहब, मेरे हल्के में दो गांव हैं। किसी जमाने में वहां पर सडक बनी थी। एक गांव का नाम है

कीर्तपुर ं एक हजाचर की उसकी आबादी हैं दूसरे गांव का नाम है बसौलां। उसकी आबादी भी एक हजार है। ये पिंजौर नालागढ रोड पर हैं किसी जमाने में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जिला परिशद हुआ करता था। उसे अब खत्म हुए बहुत देर हो गई है। पी0डब्ल्यू0डी0 इन सड़कों को इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि पहले ये सडकें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास थीं। अब चूंकि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कभी बनना नहीं है इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह इन सडकों को जल्दी बनाएं क्योंकि इन गांवों की एक एक हजाचर की आबादी है और यह पिंजौर नालागढ मेरे रोड पर हैं। ये कहते रहते हैं कि सडकें सब जगह बना दी हैं इससे इनको कभी दिक्कत हो सकती है। स्पीकर साहब, सडकों की मुरम्मत का भी बहुत बुरा हाल है। इस तरफ भी सरकार ध्यान दे।

स्पीकर साहब, कीर्तपुर गांव में जो कि पिंजौर नालागढ रोड पर है, एक पुल भी बनना है। वह बहुत देस से सैंक ांड है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि उसे भी जल्दी बनवाया जाए।

एक बात, स्पीकर साहब, मैं इरीगे ान के बाबत कहूंगा। लगभग तीन चार साल पहले 25 टयूबवैल्ज पिंजौर ब्लाक के लिए सैंक ान हुए थे। मैं सुरजेवाला जी से भी कई बार मिला हूं। हर बार ये कह देते हैं कि सरकार को उस पर पैसा लगाना पडता है। यह तो सरकार की डयूटी है। इरीगे ान के लिए अगर वहां 5, 10 या 20 लाख रूपये लग भी जाए तो इनहें बादर नहीं

करना चाहिए। एस0वाई0एल0 के लिए पंजाब वालों को इन्हों 20–25 करोड रूपया मजे से खिला दिया, कोई पूछने वाला भी नहीं हैं इसी तरह से और भी खिलाते रहेंगे। हम तो उम्मीदप करते थे कि पानी जिला अम्बाला में आएगा लेकिन वह तो पता नहीं कब आएगा। इसलिए इस काम को तो ये मेहरबानी करके करवाएं। स्पीकर साहब, मेरा सुझाव है कि पहाडों पर छोटे छोटे डैम बन सकते हैं। उन डैम्ज का पानी इरीगे ान के काम आ सकता है। उनसे वाटर लैवल भी ऊपर हो सकता है। उससे आपक कुरूक्षंत्र जिले तक को फायदा पहुंचेगा। फल्डज से भी बचाव होगा। इस काम को ये आंयदा आने वाले साल में करें। मैं समझता हूं कि इनकी कुछ फाइनैं ाल डिफिकल्टीज हैं क्योंकि टेक्स वगैरह तो कोई लगा नहीं। बगैर टैक्स के बात कोई बनेगी भी नहीं। पैसा कहां से लाएंगे ? ये पैसा कहीं से भी निकाल कर पिंजौर ब्लाक का यह काम जरूर करें। स्पीकर साहब, कालका से लेकर छछरोली तक जितनी भी हिल्ज हैं इनके अंदर अगर डैम्ज बनेंगे तो इनका स्वायल इरोजन भी रूक जाएगा। वहां पर औटोमैटिकली ग्रीनरी आ जाएगी। आज जो पहाड नंगे नजर आ रहे हैं उनके अंदर भी फायदा होगा क्योंकि वाटर लैवल ऊपर उठा जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज होंगी। स्पीकर साहब, चूंकि टाईम आपने बहुत थोडा दिया है इसलिए मैं ज्यादा न कहते हु आपका भाुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह सरकार इन कामों को जल्दी से जल्दी करवाएगी।

डा0 ओम प्रका ा भार्मा (जगाधरी): स्पीकर साहब, सदन में बजट डिमांडज पर चर्चा जारी हैं मैं डिमांड नं0 4, 8, 15, 17 और 22 पर एक एक मिनट बोलूंगा। स्पीकर साहब, डिमांड नं0 4 पर मेरी सिर्फ एक रिक्वैस्ट है कि जगाधरी में पटवारियों की ट्रेनिंग के लिए एक स्कूल बनवा दिया जाए। (विघ्न) स्पीकर साहब, यह कहावत म ाहूर है कि ऊपर आलाबारी नीचे मियां पटवारी (विघ्न) इसलिए मेरी सरकाचर से प्रार्थना है कि जगाधरी में पटवारियों के एिल एक ट्रेनिंग स्कूल बनवा दिया जाएं

डिमांड नं0 8 के बारे में मेरी यह प्रार्थना है कि मेरी कांस्टीच्युएंसी जगाधरी में हाई स्कूल की बिल्डिंग कोई 80 साल पुरानी होगी। स्पीकर साहब, उस स्कूल की बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता हो गई है। वहां परा हजारों बच्चे पढते हैं इसलिए उसकी जल्द से जल्द मुरम्मत करवाई जाये या नई बनाई जाए। वैटर्नरी हस्पताल की बिल्डिंग भी काफी पुराने जमाने की बनी हुई है। उसकी कुछ हिस्सा गिर चुका है। अगर ऐसी हालत रही तो थोडे ही दिनों में खंडर हो जायेगी।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नं0 15 पर बोलना चाहता हूं जो इरीगे ान के बारे में हैं। मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। मेरे हल्के में कुछ एरिया हर साल फलड का ि ाकार होता है। वहां से चितंग नदी गुजरती है। उसे कैनोलाइज करने के लिए एक स्कीम बनी थी जिस पर खर्च का अंदाजा 19 लाख रूपये का था। हाल ही में फलड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और यह मामला भी

उस टाईम पर एजेंडे की मद पर था। इस बारे में क्या डिसीजन लिया है यह मुझे पता नहीं लगा। रिजैक्ट हुआ है या इसके लिए खर्च मंजूर हुआ है। अगर यह स्कीम ना मंजूर हुई है तो इसे री कंसिडर करें। यह बहुत जरूरी मांग है। इससे हजारों आदमियों को फायदा पहुंचेगा।

स्पीकर साहब, मैं एग्रीकल्चर की डिमांड के विशय मे अभी अर्ज करना चाहूंगा। अम्बाला जिले में एक और भूगर मिल दिया जाना चाहिए। जिला अम्बाला में भूगर मिल पर एक भाख्स की मनोपली है और वह है डी0डी0 पुरी जो भूगर मैगनेट कहलाता हैं वह अपनी मनोपली बनाये हुए है। अपने तरीके से चल रह है। का तकार के ख्ाून को धीरे धीरे चूस रहा है। का तकार यह महसूस कर रहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो उसकी हालत बहुत नीचे पहुंच जायेगी और उसके लिए उठना मु कल हो जाएगा। हमारे जिले में जितना गन्ना पैदा होता है उसके हिसाब से एक और भूगर मिल आराम से लग सकता है। भूगर मिल बीस रूपये प्रति क्विंटल के भाव से गन्ना खरीदता है या उससे ऊपर भी लेता है लेकिन जो गन्न बकाया बच जाता है उसे आठ रूपये और दस रूपये के भाव से लिया जाता है। अगर वहां पर दूसरा मिल लग जाये तो उन किसानों को भी वही पैसा मिल जाये जो भूगर मिल से मिलता है।

अब मैं मांग नं0 22 के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। कोआप्रे ान मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनसे मैं लोन के सिलिसिले में

अर्ज करना चाहता हूं। अम्बाला सैंट्रल कोआप्रेटिव बैंक के बारे में जो लोन के एरियर हैं वह 32 करोड रूपये के करीब हैं यानि वे लोगों ने अदा करने हैं। बीस करोड रूपये लैंड मोर्गेज बैंक के हैं और बाकी ने ानेलाइज्ड बैंक्स के हैं। स्पीकर साहब, अगर यही सिलसिला चलता रहा हतो सारी स्टेट में यह दो तीन अरब के करीब बन जायेगा। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है और सुझाव भी है कि जो लोन दिया जाता है यह कै ान लोन की बजाए चीज की भाकल में दिया उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल हो। जहां तक पिछले कर्जे का ताल्लुक है। उसी आदायगी मु कल है। लोगों के नाम काफी एरियर खडे हैं। मैं सरकार से रिक्वैट करूंगा कि इस अदायगी को माफ न करें लेकिन सूद जरूर खत्म करें और आगे से भी कोई सूद न लगे। यह मेरी स्पै ल रिक्वैस्ट है। धन्यवाद।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने हाउस में कुछ डिमांडज की हैं। चौधरी हुकम सिं हने आपी कांस्टीच्यूएंसी में एक रजबाहे का जिक्र किया कि वह जवाहर लाल कैनाल से निकाला जाना था, उस पर काम भाुरू नहीं हुआ। दूसरे डाक्टर भीम सिंह दहिया ने और चौधरी ओम प्रका ा ने भी इसी कैनाल के बारे में कहा। मैंने सारी बातें नोट कर ली हैं। मैं जाकर चैक करूंगा और जो भी सरकार मदद कर सकेगी वह करेंगे। मैं केवल उनकी एक ही बात का जवाब देना चाहूंगा जिसके बारे में डा0 भीम सिंह

दयिा और चौधरी ओम प्रका ज्ञ ने जिक्र किया। इन्होंनें कहा कि जे0एल0एन0 से सीपेज के कारण किसानों की हजारों एकड़ जमीन बरबाद हुई है। मैंने इस कैनाल के बारे में विस्तार से पहले भी जवाब देते हुए बताया है कि जे0एल0एन0 कैनाल से जिन किसनों की जमनी खराब हुई है। उसकी वजह यह भी है कि वहां का वाटर टेबल पहले से बहुत ऊंचा आ गया था। वहां पर थोडा सा पानी ऊपर सरुेस पर आते ही फल्ड सिचुए ान क्रिएट हाचे जाती हे। हमने इस बारे में कुछ मैयर्ज लिए हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जे0एल0एन0 कैनाल से वास्ट भाक्ल में जाल निकलवाया है, उसकी सफाई करवाइ है ताकि वाटर स्टैगनैंट न रहे। स्टैगनेन्ट वाटर को बाहर निकालने के लिए इंतजाम किया है। पम्प हाउस बना रहे हैं डीच ड्रेन पर भी एक करोड रूपया खर्च किया जायेगा। भविशय में वाटर लैबल को एग्रोवेट कर रहे हैं। एक उस कार्यवाही भुरू कर दी है। माननीय सदस्यों को यह भी पता है कि दूसरी कच्ची कैनाल जे0ए0बी0 है जो जे0एल0एन0 के पैरलल जाती हे। हमारी यह योजना है कि उसे पक्का कर दिया जाये। मैंने दो तीन बारे जे0एल0एन0 और जे0एस0बी0 का दौरा किया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस राय का हूं कि जे0एस0बी0 को बंद कर दियाजाये और जो जमीन जे0एस0बी0 कैनाल से इरीगेट होती है उसके लिए जे0एल0एन0 कैनाल में आउटलैटस लगा दिये जायें। इस बारे में डिपार्टमैंट भीघ्र ही फैसला लेने वाला है या तो जे0एस0बी0 को अबन्डन करके जे0एल0एन0 से पानी देंगें अगर टैक्नीकल आधार पर यह नहीं हुआ तो हम उसे पक्की करने का

तरुन्त फेसला जारी करेंगे। इस बार में फैसला जल्दी हो लेने वाले हैं।

चौधरी ओम प्रका ाः स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मंत्री जी से एक बात जरूर कहुंगा कि जब लाइनिंग करने लगें तो जवाहर लाल नेहरू कैनाल का उदाहरण अपने सामने जरूर रखें। उस पर सब स्टैंडर्ड मैटीरियल लगा है। कहीं ऐसा न हो कि यहां पर भी वही प्रोब्लम क्रिएट हो जाये।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः जब वहां पर काम भाुरू होगा तो आप भी चौकसी करें। सरकार कोि ा ा करेगी कि कोई सब स्टैंडर्ड मैटीरियल न लगे। दूसरी बात श्री ओम प्रका ा जी ने एस0वाईएल0 के बार में कही कि बजट में पैसा नहीं रखा गया। उन्होंनें बजट को पढा है या नहीं लेंकिन हमने बजट में पैसा रखा है। पिछले साल भी रखा था और अब भारत सरकार ने अपनी ओर से कि त देनी भाुरू कर दी है। एस0वाई0एल0 की पंजाब में एग्जीक्यू ान पैसे की वजह से न पहले रूकने दी गई और न ही अब रूकने दी जायेगी। इसके काल में प्रोग्रेस नहीं रूकने दी जायेगी, बजट में पैसे का प्रावधान किया गया है। एक बात निर्मल सिंह जी ने बोलते हुए यह कह दी कि हमारे इलाके में 35 आगमैंटे ान टयूबवैल्ज लगने थे वे पता नहीं कहां गायब हो गये। वह ठीक कहते हैं कि वहां पर आगमैंटे ान टयूबवैल्ज लगाने की एक स्कीम थी। लेकिन जब यह स्कीम बनी हुई थी तो निर्मल सिंह जी मेर`पास 2–3 दफा आये। इन्होंने मुझसे यह कहा

कि अगर ये टयूबवैन्ज लग जायेंगे तो इससे हमारे इलाके का वाटर टेबल नीचे चला जायेगा, जिसकी वजह से हमारे किसान तबाह हो जायेंगे। हमने इस स्कीम को स्क्रैप कर दिया। अगर अब इन्होंने यह कहा कि पता नहीं वह स्कीम वहां गायब हो गयी। अगर ये चाहेंगे तो मैं आज ही जाकर उस स्कीम को इम्पलीमैंट करने के पुनः आदे ा दे दूंगा। (व्यवधाव व भाोर)

श्री निर्मल सिंहः चौधरी साहब, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मेरे कहने का भाव दूसरा था। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः हमने तो उस वक्त इनकी बात मान ली थी और वह स्कीम स्क्रैप कर दी थी लेकिन अब यह कहते थे कि पता नहीं वह स्कीम कहां गायब हो गयी। एक बात सरदार लछमन सिंह जी ने कही कि पिंजौर ब्लाक में डी0आई0टी0 लगाये जायें। (व्यवधान व भाोर) वह एम0अई0टी0सी0 ही लगाती है। इन्होंने यह भी कहा कि छोटे छोटे बांध भी बनाये जायें। जहां तक छोटे छोटे बांध बनानें की बात का ताल्लुक है, इरीगे ान डिपार्टमैंट के पास इस बारे में आलरेडी एक योजना है लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से उस योजना पर तेजी से से काम नहीं हो पा रहा हैं फिर भी इस बारे में कुछ न कुछ काम हो रहा है। जहां तक डी0आई0टी0 का ताल्लुक है, मैं जाकर पता करवा लूंगा कि महकमा इस बारे में उनकी क्या मदद कर सकता है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका

धन्यवाद करता हूं और यह मांग करता हूं कि डिमांडज पास की जायें।

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, इन्होंन सतलुज यमुना लिंक के लिये एक पेसे का भी प्रावधान नहीं किया है। आप देख लीजिये इसमें इन्होंने एक पझैसा भी इसके लिए नहीं रखा है।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, आप क्या बात करते हो। क्या यह हो सकता है कि एस0वाई0एल0 के लिए प्रावधान न हो ? यह सरकार उसके लिए एक पेसा भी न रखे, क्या ऐसा हो सकता है ?

श्री हीरानन्द आर्यः इसके लिए सर, कुल मिलाकर 8 करोड 22 लाख रूपया रखा गया है, यह बता दें कि कस प्रकार से उसे खर्च करेंगे।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

सहकारिता तथा डैरी विकास मंत्री(चौधरी बीरेन्द्र सिंह) अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं0 22 कोआप्रे ान डिपार्टमैंट से संबंध रखती है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः अगर हाउस की सैंस हो तो बैठक का समय 10 मिनट बढा लिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय 10 मिनट के लिये और एक्सटैंड किया जाता है।

वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः बहुत से माननीय सदस्यों ने इस डिमांड पर बोलते हुए अपने सुझाव भी रखे और कुछ खामियां भी बतायीं। डाक्टर भीम सिंह दहिया, सर्वश्री हुकम सिंह, निर्मल सिंह, हीरा नन्द आर्य और भासगी राम जी ने डिपार्टमैंट के अधीन विभिन्न फैडरे ान्ज के कार्यों के बारे में कुछ सुझाव रखे हैं। सबसे पहले हीरा नन्द आर्य जी ने यह कहा कि इस डिमांड में जो 5 करोड से कुछ रूपया रखा गया है, वह सिर्फ लोगों को रोजगाचर देने की नीयत से रखा गया है क्योंकि यह प्लैन एक्सपैंडीचर नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि कोआप्रे ान डिपार्टमैंट में कोई रोजगार देने की बात कहना, गलत बात है क्योंकि डिपार्टमैंट में कोई रोजगार या नौकरियां लगाने की बात ही नहीं है। अगर इस किस्म से

रोजगार देने की बात कही पर है भी तो विभिन्न फैडरे ान्ज में ऐसी बात हो सकती है। इसके अलावा माननीय सदस्य श्री भागी राम जी ने यह बात कह दी कि जो नौकरियां या असामियां यहां पर भरी जाती हैं वे एम्पलायमैंट एक्सचेंज द्वारा नहीं भरी जाती हैं। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जब कभी भी किसी कोआप्रेटिव अदायरे में कोई असामी भरी हो तो विज्ञापन जारी करते हैं यानी एडवर्टाइजमैंट करते हैं और उसके साथ ही साथ एम्पलायमैंट एक्सचेंज को भी हम लिखते हैं। दोनों तरफ से जो एप्लीके ांज और स्पौंर्स्ड कैंडीडेटस आते हैं, उनमें से बाकायदा सिलैक ान किया जाता है। इसलिए इस बारे में कोई अनियमितता नहीं हैं जो बात उन्हौंने कही कि एम्पलायमैंअ एक्सचेंज के थ्रू नहीं भरी जाती, यह गलत बात है। इसके अलावा हीरा नन्ट आर्य जी अपने इलाके में एक वूलन मिल के बारे में जिक्र किया। उन्होंने यह कहा कि पहले यह मिल लोहारू में लगना था। उनको अब यह भांका है कि यह मिल भिवानी में लगाने का विचार बाद में बना लिया गया है। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि अभी तक सरकार के स्थान का निर्णय नहीं लिया है कि हैफेड के अधीन यह वूलन मिल किस जगह लगायी जाये। लेकिन मेरी खुद की जाति राय यह है कि यह लोहारू में ही लगनी चाहिए। जब भी हम स्थान के बारे में फैसला करेंगे, हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ उन्हौंने यह भी कह दिया कि एक प्राइमरी लैंड डिवैंल्पमैंट बैंक सिवानी में खोल दिया है जहां पर बैंक का कारेाबार इतना नहीं है जितना कि

लोहारू में खोलने से हो सकता था। मैं हाउस को यह बात बताना चाहता हूं कि मुझे इस बारे में लीडर आफ दि अपोजी ान श्रीमती चन्द्रावती जी ने भी लिखा था। इस बारे में उनहोंने मुझसे बातचीत भी की थी। यह कहना कि सिवानी के अंदर खोलना न्यायोचित नहीं था, यह बात तो निरर्थक है। इन्होंने यह कहा कि एक करोड से ज्यादा का बिजनैस वहां पर नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

श्रीमती चन्द्रावतीः मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी। मैंने यह लिखा था और यह कहा था कि सिवानी में में भी हो और लोहारू में भी हों क्योंकि लोहारू में बिजनैस सिवानी से कहीं ज्यादा है।

श्री हीरा नन्द आर्यः मैंने यह कहा था कि लैंड डिवैल्पमैंट बैंक की भााखा सिवानी में तो आपने खोल दी जहां पर इन्वैस्टमैंट एक करोड से भी कम है लेकिन लोहारू में जहां पर 4 करोड से ज्यादा इन्वैस्टमैंट मिल सकती है, वहां पर आपने नहीं खोली। क्यों नहीं वहां पर खोली गयी, मैंने यह पूछा था।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैंने इनको भी लिखा था कि लोहारू का केस भी हमारे विचाराधीन है। हम जल्दी ही इस बारे में फैसला करेंगे। स्पिनिंग मिल हांसी के बारे में कुछ इररैगुलैरिटीज का जिक्र किया गया। माननीय सदस्य को मैं मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि हमने वहां पर पिछले 15

महीने के दौरान कुछ सुधार लाने की कोि ा ा की है। वहां पर पहले लौसिज बहुत ज्यादा थे मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले 15 महीने में हमने उसकी वर्किन्ग को काफी इम्प्रूव किया है। पहले जो 10–11 लाख रूपये महीने के लोसिज हुआ करते थे, वे हम घटाकर 3–4 लाख रूपये तके लाने में सफल हो गये हैं। यार्न की मार्किट में बडी फलक्चुए ान है। इन्होंने यह कहा कि यार्न बहुत कम कीमत पर बयेचा जाता है। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में कि ानगढ़ की मार्किट सारे इंडिया में सबसे बड़ी यार्न की मार्किट है। जितना भी वहा ंपर दूसरी मिलों का यार्न आता है, उसके मुकाबले में हमारे यार्न की क्रैंडेबिलिटी नम्बर वन पर हें जैसे मैंने कहा हम इसमें सुधार लाने की कोि ा ा कर रहे हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, डाक्टर दहिया जी ने और निर्मल सिंह जी यह कहा कि लोन की रिक्वरी करते समय किसनों और दूसरे गरीब आदमियों के साथ बडा ही हा र्ा ट्रीटमैंट किया जाता है। इस बारे में इन्होंने सुझाव भी दिया, इनके अलावा मेरे कुछ दूसरे साथियों ने भी यह सुझाव दिया कि हर किस्म के लोन क्यों न माफ कर दिए जायें। अध्यक्ष महोदय, इस किस्म के सवाल इस सदन में और पार्लियामंट में भी उठते रहते हैं। हमारे कुछ राजनीतिक नेता इस बारे मे बडी चर्चा करते हैं और यह कहते रहते हैं कि खास कर कोआप्रेटिव लोन को माफ कर दिया जाना चाहिए। इनकी यह बात न्यायसंगत हो नहीं सकती। अबर आज आप लोगों को लोन माफ करते हो तो आने वाले समय में बिल्कुल डिफाल्टर तो क्या दूसरा आदमी भी लोन लेकर उसकी

रिपेमैंट करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस सदन में बारबार चर्चा हुई है कि नैचुरल केलैमीटीज से और ओलों से जो नुकसान होता है उसका तो पैसा दिया जाता है लैकिन दूसरे कारणों से जो नुकसान होता है उसका मुआवजना नहीं दिया जाता। विपक्ष के भाई और हमारी तरफ के भाई भी इस बात को कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि रोहतक और सोनीपत जिले, जिनके अंदर बाढ का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये दोनों जिले 80–90 परसैंट डूबते हैं इन दोनों जिलों में फसल भी खराब होती हैं और जान व माल का भी नुकसान होता है। इन दोनों जिलों के लिए हमने आगे आने वाली खरीफ फसल से इं योंरैंस पालिसी लागू की है।

अध्यक्ष महोदय, कै ा और क्वार्यैज मिलाकर स्माल और मार्जिनल फारमर, जिसके पास छः एकड़ या साढ़े छः एकड़ जमीन है उसको एक एकड़ पर नौ सौ या साढ़े नौ सौ रूपया क्रौप लोन देते हैं। स्माल और मार्जिनल किसान इस कैटेगरी में आते हैं। रोहतक और सोनीपत जिलो में हमने यह स्कीम लागू की है बाकी जिलो ंके लिए नहीं। क्योंकि जो इं योरैंस कम्पनीज हैं वे तहसील को यूनिट मानीत हैं। सारी तहसील डूबे नहीं और किसान को मुआवजा मिले नहीं। आगे आने वाली खरफ क्रौप से जो स्माल और मार्जिनल फारमर्ज हमसे क्रौप लोन लेंगे और फल्ड से या नैचुरल कैलेमीटीज से उनका खराबा होगा तो उस किसान

ने जितना लोन दिया हुा अहै उसका एक सौ पाचा परसैंट उस किसान को मिलेगा ताकि वह लोन अदा कर सके और अगली फसल की तैयारी कर सके। इसलिए बीमे की कि त डी0आर0डी0ए. के थ्रू हम किसान को देंगें। अध्यक्ष महोदय, निर्मल सिंह जी ने भ्रूगर मिल भ्राहबाद का जिक्र किया।

श्री अध्यक्षः आप कितना टाईम और लैंगे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः मैं पांच मिनट लूंगा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः क्योंकि और मिनिस्टर साहेबान ने भी जवाब देना है इसएिल अगर हाउस सहमत हो तो बैठक का समय 15 मिनट बढा लिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय 15 मिनट बढाया जाता है।

वर्श 1984–85 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मांग की गई थी कि भ्राहबाद भ्रूगर मिल का जो एरिया आफ

औप्रे ान है उस मिल के लिए उसी एरिया से रिक्रूटमैंट की जाए। बाहर से लोग न लिए जाएं। यह बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह आ वासन देना चाहता हूं कि टैक्नीकल या ऐसी पोस्टस जिनके लिए उस इलाके में आदमी अवेलेबल नहीं होंगे हम कोि ा ा करेंगे कि जो बाकी का स्टाफ है वह उसी इलाके से ही लिया जाए जो उस मिल के क्षेत्र में पडता हैं

एक आवाजः पलवल के बारे में बता दें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः भााहबाद और पलवल की एक ही स्थिति है। वहां भी लोकल लोग ही लिए जाएंगे। स्पीकर साहब, डा0 दहिया ने एक बात कही कि किसान को लोन की रिकवरी के वक्त तंग किया जाता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जहां जहां नचुरल कैलेमीटीज की वजह से खराबा हुआ है इस दफा ग्यारह करोड रूपये के करीब के भाार्ट टर्म लोन मिडियम टर्म लोन में कन्वर्ट किए हैं ताकि किसान से वसूली न करें। इसके अलावा भागी राम जी और ओम प्रका ा जी ने एक बात कही कि जो दूध डेरी फैडरे ान या मिलक प्लांट मुं किसन देमते हैं उनको अभ्क टाईम पर पेमेन्ट नहीं होती। इन्होंने कहा है कि तीन तीन महीने तक पेमेंट नहीं होती।

चौधरी हुकम सिंहः स्पीकर साहब, रोहतक जिले में तीन महीने से कोई पेमेंट नहीं हुई।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमारी स्टेट में पांच मिल्क प्लांट हैं और औप्रे ान फल्ड–1 में एक स्कीम थी जिसमें कुछ पैसा भारत सरकार और आई0डी0सी0 से मिला था। उस स्कीम में हमने मिल्क प्लांटस लगाए थे। आज भी हम इस बात के लिए भारत सरकार और आई0डी0सी0 से लडे रहे हैं। कि इतना पैसा हमें दो। हमें वर्किंग कैपीटल के लिए पैसा नहीं दिया गया यही वजह है कि जब बिजनैस करने के लिए पैसा नहीं होगा तो हम किसाना को पैसा कहां से देंगे। हम कोि ा ा कर रहे हैं कि आई0डी0सी0 और भारत सरकार से हमको सफिि ाएंट फण्डज मिले ताकि डेरी फैडरे ान का कमा ठीक चल सके। मै। सदन को बताना चाहता हूं कि सिर्फ चालीस दिन की मैक्सीमम पेमेन्ट रूकी हुई है तीन महीने की पेमेन्ट नहीं रूकी हुई है। हमने तकरीबन एक करोड रूपए का इंतजाम कर लिया है। रोहतक यूनिय के ज्यादा पेसे हैं। हमारी कोि ा ा है कि हम यूनियम को डायरैकट पैसा दें ताकि किसान को जल्दी से जल्दी पेसा मिले। स्पीकर साहब, यहां पर बोलने वाले साथियों ने कहा कि कोआप्रे ान डिपार्टमैंट में बडा ऐम्बैजलमैंट है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कोआप्रे ान का जो स्ट्रक्चर है वह दे ा में सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्ज में से एक है। हरियाणा बनने के बाद दो हजार या बाईस सौ करोड रूपये के भाोट टर्म लोन और दूसरे लोन फारमर्ज को एडवांस किए हैं। आप एप्रीि ाएट करेंगे कि बाईस सौ करोड रूपए के लोंज में से .51 परसैंट भी ऐम्बैजलमैंट के केसिज नहीं हैं। हम कोि ा ा करते हैं कि जो

लोन दिया गया है वह पूरी तरह वसूल हो जाए। (ाोर एवं व्यवधान) मैं इतना कह कर अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः आन ए प्वांयट आफर आर्डर। स्पीकर साहब, मिल्क प्लांटस में जो पांच करोड का घाआ है क्या उसको दूर करने की कोि ाश की जाएगी ?

श्री अध्यक्षः इस बारे में उन्होंने कह दिया है।

14.00 बजे।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं0 4, 8, 15, 17, 18, 21 और 22 आज सदन में बहस की मोजू रही हैं और वोटिंग के लिये पे ा हुई है। मुख्यतः जो बातें सदस्यों ने कहीं हैं उनका मेरे साथियों ने बोलते हुए बडे ही विस्तार से जवाब दिया है। इरीगे ान व पावर, कोआप्रे ान, रैवेन्य, ऐग्रीकल्चार और एनीमल हसबैन्डरी से संबंधित कुछ बातें यहां हाउस में माननीय सदस्यों ने रखीं, वे सब नोट कर ली गयी हैं। अगर कोई खास कार्यवाही उन पर दरकार हुई तो संबंतध विभागों को लिख दिया जाएगा और वे उस पर कार्यवाही करेंगे। दो तीन बातें बी0एण्ड0आर0 के बारे में श्री राम बिलास जी ने कही कि उनके जिले में सडकों की हालत अच्छी नहीं है। चौधरी हुकम सिंह साल्हावास ने यह कहा कि उनके हलके में कुछ सैकिण्ड लिंकस होनी चाहिये और गांवों में सडकें बनायी जानी चाहियें ताकि लम्बे से लम्बे रास्तों को आपस में मिलाया जा सके। वाटर

सप्लाई के बारे में भी कहा गया कि बडा ही डिफैक्टिव सिस्टम है। राम बिलास जी ने कहा कि विलेजिल का आपस में लिंक नहीं है। क्योंकि सडके टूटी फूटी हैं और सडकों की रिपेयर नहीं हो रही हैं। सैनी साहब ने यह कहा है कि मुन्डाखेडी में पुल की आव यकता है। इसी तरह से श्री विज ने भी पानीपत में जी0टी0 रोड पर एक फलाई ओवर बनाने के लिए कहा है वे यूरोपियन कंट्रीज में आंखों का आप्रे ान करवाने के लिए गये थे, वहां पर देख कर आये हैं। लछमन सिंह जी ने भी नालागढ रोड पर एक पुल की मांग की है और साथ में यह भी मांग की है कि सडकें टूटी फूटी पडी हुई हैं उनकी रिपेयर की जाए। इन सभी बातों को नोट कर लिया गया है और जो जो अनिवार्य समझीं जाएंगी, उन पर कार्यवाही की जाएगी। जहां पर सड़कों की रिपेयर अनिवार्य होगी, वहां पर सड़कों की रिपेयर करवा दी जाएगी। इसी तरह से ऐनीमल हसबैंडरी के बारे में माननीय सदस्यो ंने हाउस में काफी कुछ कहा है और उन्होंने मांग की है कि कुछ जगहों पर गांवों में स्टौकमैन सैन्टर्ज होने अनिवार्य हैं ताकि प ाुओं की देखभाल अच्छे ढंग से हो सके। इस सुझाव को भी नोट कर लिया गया है। और इस पर भी विचार किया जाएगा। इतना कहता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि इन डिमांडज को पास किया जाए।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो तीन मिनट बोलना चाहता हूं डिमांड नं0 4 पर बोलते हुए श्री भागीराम जी ने सरप्लस जमीन के बारे में और हेल

स्टार्मज के बारे में कहा है कि इस कारण से किसानों का काफी नुक्सान हुआ है और लोगों को इसका मुआवजा दिया जाना चाहिये। हो सकता है कि किसी हद तक इस बारे में कोई कोताही हुई हो। सिरसा के लिये उन्होंने खास तौर पर कहा है। इसलिये अब वहां डी0सी0 और एस0डी0एम0 को यह हिदायतें दे दी गयी हैं कि जो भी उनके पास सरप्लस जमीन है, उसको एलिजीबल लोगों में बांट दिया जाए और कब्जा दिला दिया जाए। अगर कोई गडबड हो तो पुलिस के जरिये से कब्जा दिलवाया जाए। दूसरा जहां तक हेल स्टार्मज से नुकसान का ताल्लुक है, उसके बारे मे मैं बताना चाहता हूं कि अभी पिछली 16 व 17 तारीख को ओलावृशि हुई है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। हमने गिरदावरी के लिए पटवारी लगा रखे हैं ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जा सके। इसी तरह से साहब सिंह सैनी साहब ने एक बात कही कि 50 हजार से फालतू की रजिस्ट्री करवाने पर इंकम टैक्स वालों से मंजूरी लेनी पडती है। वैसे इस बात से रैवैन्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। यह देखना इंकम टैकस विभाग का काम है लेकिन मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि वह मंजूरी खरीददार को लेनी होती है, इसके लिये बेचने वाले को कोई प्रोबलम नहीं होती है। यह मंजूरी का सिलसिला भी इंकम टैक्स वालों ने अपना हिसाब किताब देखने के लिये रखा हुआ है, इससे रैवेन्यू का कोई संबंध नहीं है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूआ स्थान लेता हूं।

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, यह मंजूरी खरीदने वाले को नहीं बल्कि बेचने वाले को लेनी पड़ती है।

श्री लछमन दास अरोड़ाः स्पीकर साहब, मेरी जानकारी के मुताबिक तो खरीदने वाले को ही लेनी पड़ती है।

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब मैं वेरीयस डिमांडज को हाउस की वोटिंग के लिये पुट करता हूं।

अगर हाउस सहमत हो तो इनको एक साथ पुट कर दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

That a sum not exceeding Rs. 59013210 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 4- Revenue.

That a sum not exceeding Rs. 268283000 for revenue expenditure and Rs. 266080000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 8- Building and roads.

That a sum not exceeding Rs. 667349815 for revenue expenditure and Rs. 928441940 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 15- Irrigation.

That a sum not exceeding Rs. 483750200 for revenue expenditure and Rs. 41500000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 17- Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 114629000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 18- Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 225172630 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 21- Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 51936700 for revenue expenditure and Rs. 105261780 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1984-85 in respect of charges under Demand No. 22- Cooperation.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

14.07 बजे।

(तत्प चात सदन दिनांक 28.3.1984 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)